खण्ड-323, अंक-5
सोमवार, 17 कार्तिक, शक संवत् 1898
(8 नवम्बर, 1976 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 323 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1977

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	611–613
प्रश्नोत्तर	614–649
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1976 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	649
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	650
सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना	650
कतिपय सदस्यों के पैरोल पर छोड़े जाने तथा रिहाई की सूचनायें ..	650
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	651
सर्वश्री राघवेन्द्र सिंह तथा एदल सिंह की सदन से अनुपस्थिति हेतु अवकाश के प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में अनुज्ञा के प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	651
प्रदेश में मच्छरों की वृद्धि से मलेरिया, फाइलेरिया, सेरिब्रलमलेरिया तथा ब्लैक वाटर फीवर के प्रकोप के सम्बन्ध में वक्तव्य	651–657
उत्तर प्रदेश पंचायती राज सलाहकार परिषद् में तीन सदस्यों के मनोनयन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	657
उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी में कार्य करने हेतु चार व्यक्तियों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	657
चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड पर कार्य करने के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	657–658
खाद्य अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 (पुरः स्थापित किया गया)	658
उत्तर प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण (पथ-कर) विधेयक, 1976 (पुरः स्थापित किया गया)	658
उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का सप्तम प्रतिवेदन पर विचार एवं मामले में कार्यवाही न किये जाने के प्रस्ताव (स्वीकृत)	659–660
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1976 (पारित)	660–673
उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 1976 (पारित)	673–679
उत्तर प्रदेश फन्डामेन्टल रूल, 56 (संशोधन) विधेयक, 1976 (पारित)	679–682
उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अंतिरित राज्य के क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1976 (पारित)	682–687
प्रान्तीय दिवाला (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 (पारित) ..	687 689
उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976 (पारित) ..	690–708
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	708
वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुत किये गए)	709
वित्तीय वर्ष 1970-71 के अतिरिक्त अनुदान (प्रस्तुत किए गए) ..	709
वित्तीय वर्ष 1971-72 के अतिरिक्त अनुदान (प्रस्तुत किए गए) ..	709
नत्थियां	710–722

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार 8 नवम्बर, 1976

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--251

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनवार जमील, श्री (एडवोकेट) उर्फ जिमी मियां
अनवार मोहम्मद, श्री
अबुलफैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
ईश्वरी सिंह, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद लोधी, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर
चेतराम गंगवार, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नारायन त्रिपाठी, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगल किशोर यादव, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दघीच सिंह, श्री

दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्म सिंह, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम लाल बघवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल वर्मा, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु दयाल, श्री
प्रभु नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
बंशीधर, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद शर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भूपसिंह केन, श्री
मीला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह, श्री एडवोकेट
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहम्मद हयात, हाजी
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोन्डा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री

राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
रामजी लाल केन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नारायन पांडे, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवा नन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्रीनारयण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेई, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल बुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हरप्रताप सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हुकम सिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट--विद्युत् राज्य मन्त्री श्री रमेन्द्र वर्मा; स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री श्री श्रीकृष्ण गोयल तथा ग्राम्य विकास राज्य मन्त्री, श्री हबीबुर्रहमान नोमानी भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 8 नवम्बर, 1976

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

लखनऊ के राजकीय कर्मचारियों के अनिवार्य जमा योजना की प्रथम किस्त का भुगतान

*1—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी) तथा श्री सरस्वती प्रताप सिंह (जिला खीरी)—

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 (उत्तर प्रदेश शासन) के जी0 ओ0 सं0 ए-1-2255/दस-76-10(32)-76, दिनांक 14 अक्तूबर, 1976 के क्रम में क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ कोषाधिकारी ने लखनऊ स्थित किन-किन राजकीय विभागों के कर्मचारियों को अतिरिक्त परिलब्धियां अनिवार्य जमा (राजकीय कर्मचारी) योजना 1974 की प्रथम किस्त के बिलों का भुगतान अक्तूबर, 1976 तक स्वीकार किया ? क्या यह सही है कि जुलाई-अक्तूबर, 1976 में प्रेषित विभागीय सम्बन्धित बिलों को शासनादेश के बावजूद कोषाधिकारी, लखनऊ उन बिलों को भुगतान आज्ञा दे नहीं रहे हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कोई विशेष कारण हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कोषाधिकारी, लखनऊ के विरुद्ध अविलम्ब कठोर कार्यवाही करेगी ?

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

जिन राजकीय विभागों को दिनांक 30 अक्तूबर, 1976 तक भुगतान किया गया उनकी सूची संलग्न† है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

म आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि ये बिल डिपार्टमेंट्स से ट्रेजरी आफिसर के यहां कब पहुंचे और क्या यह बात सही है कि यह प्रश्न करने के बाद भुगतान किया गया है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी—

इसकी सूचना नहीं है।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

मैं यह जानकारी देना चाहूंगा मन्त्री जी को कि ये सब समय से ट्रेजरी में पहुंच गए थे मगर किन्हीं कारणों से अक्तूबर के आखरी हफ्ते में इस प्रश्न के बाद भुगतान किया गया है। तो क्या मन्त्री जी जांच करायेंगे कि इस डिले का क्या कारण है और जिलाधिकारी द्वारा क्या कोई निर्देश दिया गया था कि ट्रेजरी आफिसर को कि भुगतान न किया जाय ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

हमारी सूचना यह है कि अनिवार्य जमा योजना की रकम की वापसी के सम्बन्ध में लेख जो विभागों ने दाखिल किए हैं और जो कोषागार के कार्यालय में हैं, उन लेखों में अभी तक मिलान नहीं हुआ है, तो इस वजह से बिल्स लेट गये हैं।

---

† छापी नहीं गई।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

क्या यह बात सही है कि सारे डिपार्टमेन्ट्स के कर्मचारियों से 30 परसेंट की कटौती की अन्डरटेकिंग लेने के बाद कि वह नेशनल सेविंग सार्टिफिकेट खरीदेंगे, उसके बाद बिल ट्रेजरी आफिस भेजे गए ? क्या ऐसे आदेश थे ?

श्री अध्यक्ष—

इससे कैसे उठता है ?

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मन्त्री जी ने एक सप्लीमेन्टरी के उत्तर में कह दिया कि अनिवार्य जमा योजना के एकाउन्ट में और डिपार्टमेन्ट के एकाउन्ट में गड़बड़ी को ठीक करनी थी, इसलिए सवाल उठता है कि 30 परसेन्ट का उनका हिसाब बताया कि काट करके बिल भेजे गए और तब भी भुगतान नहीं किया गया, यदि यह बात सही है तो इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

लेखा रखने का कार्य तो एकाउन्ट आफिसर का है, उससे व्यक्तिगत किसी प्रकार की बाधा किए जाने का उनके द्वारा सवाल ही नहीं उठता है ।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

यह पूरे कर्मचारियों का मामला है, आप जरा थोड़ी सी मदद करें ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मुख्य मन्त्री जी की तरफ से कोई इस प्रकार का आदेश था कि इन सारे कर्मचारियों से यह कटौती की जाय ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

मुख्य मन्त्री या किसी की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं था।

[सोमवार, 8 नवम्बर, 1976 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

ग्राम भैंसुरिया बाराबंकी के श्री सरूपे द्वारा थाना फतेहपुर में लिखाई गई रिपोर्ट और सिपाहियों का निलम्बन

*1—श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भैंसुरिया, थाना फतेहपुर, जनपद बाराबंकी में 11/12 मई, 1976 की रात को 1 बजे सरूपे हरिजन के यहां पुलिस के दो सिपाहियों सहित अन्य लोगों ने डकैती डाली और पुलिस के सिपाही मौके पर पकड़े गए जिसकी इत्तला पुलिस अधीक्षक को दिनांक 14 मई, 1976 को व मुख्य मन्त्री एवं आई0 जी0 पुलिस, उत्तर प्रदेश को दिनांक 15 मई, 1976 को की गई ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर)—

प्रश्न में उल्लिखित घटना के सम्बन्ध में श्री सरूपे उर्फ राम स्वरूप निवासी मौजा भैंसुरिया थाना फतेहपुर जिला बाराबंकी ने दिनांक 12 मई, 1976 को थाना कोतवाली पर दो सिपाहियों तथा 20-25 अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध एक डकैती की रिपोर्ट धारा 395 भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत अंकित कराई तथा पकड कर लाए गए दोनों सिपाहियों को दाखिल किया। मुकदमा थाना फतेहपुर से सम्बन्धित होने के कारण कागजात थाना फतेहपुर भेजे गए जहां उक्त मुकदमा अपराध संख्या 140-ए पर कायम हुआ। सम्बन्धित सिपाहियों को तत्काल निलम्बित करके लाइन भेजा गया। इस विषय में श्री सरूपे का प्रार्थना पत्र दिनांक 14 मई, 1976 को प्राप्त हुआ था।

विरोधी पक्ष के छोटे लाल (जो श्री सरूपे के रिश्तेदार हैं) द्वारा 12 मई, 1976 को ही सरूपे एवं अन्य के विरुद्ध थाना फतेहपुर पर धारा 148/323 भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत रिपोर्ट लिखाई गई थी जिसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 140 थाने पर पहले ही कायम हो चुका था।

अब तक की विवेचना से मामला केवल दो पक्षों के मध्य मारपीट का होना पाया जाता है और सिपाहयों द्वारा डकैती डालना नहीं प्रतीत होता है। दोनों मुकदमों में विवेचना अभी जारी है।

प्रश्न में उल्लिखित शिकायती-पत्र की जांच इन्सपेक्टर इन्चार्ज कोतवाली द्वारा की गई। जांच से डकैती का आरोप सही नहीं पाया गया।

*2—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या गृह मन्त्री बतलायेंगे कि उपरोक्त घटना के समय बन्दी बनाए गए सिपाहियों को जो लोग बाराबंकी ला रहे थे उन्हे नगर में पुलिस ने पकड़ लिया, रात भर कोतवाली में बन्द रखा और दूसरे दिन मोटर में भर बिन्दौरा छोड़ आए जिसकी दरख्वास्त सरूपे आदि ने दिनांक 14 मई, 1976 को पुलिस अधीक्षक को बजरिए रजिस्ट्री दिनांक 15 मई, 1976 को आई0 जी0 पुलिस, उत्तर प्रदेश को दी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री धर्मवीर—

प्रश्न में उल्लिखित शिकायतों के सम्बन्ध में श्री सरूपे आदि का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जांच इन्सपेक्टर इंचार्ज कोतवाली द्वारा की गई। जांच से प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोप निराधार पाए गए।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

उत्तर में कहा है कि अभी विवेचना की जा रही है। मारपीट दोनों पक्षों के बीच में पायी गयी। डकैती सिद्ध नहीं हुई सिपाहियों के विरुद्ध। सिपाहियों को गांव के अन्दर लोग पकड़ लेते हैं और 18 मील तक कोतवाली लाते हैं और रिपोर्ट दर्ज करायी जाती है। तो इस विवेचना के दौरान इन सिपाहियों के खिलाफ कुछ दोष पाया गया या नहीं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री धर्मवीर—

यह तो आपस की मारपीट किए जाने का वाकया है और दोनों सिपाही उस इलाके में तैनात थे और सुरागरसी के लिए गए हुए थे, उस क्षेत्र में। जब मार-पीट और शोरशराबा हुआ, तो ये वहां पहुंच गए, रात का वक्त था कुछ पता नहीं चला। इन दोनों को पकड़ करके थाने में ले गए और रिपोर्ट लिखाई गयी। जांच का प्रश्न हुआ। उस पर विवेचना जारी है और चूंकि दो पुलिस वालों को पकड़ करके गांव वाले ले गए थे, तो उनको निलम्बित करके लाइन हाजिर किया गया है। अगर तथ्य उनके खिलाफ मिलेंगे तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

श्री देवकुमार यादव (जिला बांदा)—

यह मामला बहुत गम्भीर है, पुलिस के सिपाहियों के खिलाफ आरोप लगाया गया है, तो क्या उन सिपाहियों को किसी भी अभियोग में जेल भेजा गया है या नहीं? और जब मन्त्री जी कहते हैं कि आरोप सिद्ध नहीं होता, तो बजाय पुलिस के जरिए जांच कराने के मैजिस्टीरियल जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री धर्मवीर—

यह मामला तहकीकात का नहीं है। अक्सर रात में जब गांव में डकैतियां डाली जाती हैं और डाकू गिरफ्तार होते हैं तो उनमें अधिकांश पुलिस की वर्दी पहिने रहते हैं। तो यह समझा गया कि वे डकैत हैं, यह नहीं समझे लोग कि ये पुलिस वाले हैं, इस लिए पकड़ कर ले गये। क्योंकि जांच से डकैती साबित नहीं होती है। जब डकैती नहीं है, तो जुर्म का होना नहीं है।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

कहा गया कि मौके पर मारपीट के समय पहुंच गए इसलिए उनको पकड़ लिया गया, तो जो इस तरह से पकड़ कर ले आए उनके खिलाफ 332 का मुकदमा कायम होना चाहिए था, तो किस जुर्म में उनको सस्पेन्ड करके लाइन हाजिर कर दिया गया ?

श्री धर्मवीर—

जो उनके खिलाफ प्रार्थना-पत्र है, उसमें उल्लेख किया गया था कि जो बदमाश उनके यहां डकैती डालने आए थे, उनके भाग जाने में इन लोगों ने उनको मौका दिया। इस पर जांच हुई और यह पाया गया कि वे मुल्जिम जिन पर आरोप लगाया गया था, वे गिरफ्तार नहीं हुए। गांव वाले सिर्फ इन दोनों को पकड़ कर ले आए थे और चूंकि बदमाश पुलिस वालों की मौजूदगी में भाग गये थे, इसलिए इनको निलम्बित कर दिया गया। उच्च अधिकारियों द्वारा जांच हो रही है। जो तथ्य प्रकाश में आयेंगे, अगर ये दोषी पाए गए तो सजा दी जाएगी।

श्री ऊदल—

मन्त्री जी ने कहा कि थाना कोतवाली इन्चार्ज से विवेचना करायी गयी और वहां ही दोनों सिपाहियों को लेकर गए थे, वहीं रिपोर्ट भी दर्ज है और कहते हैं कि उसी थाना कोतवाली के इन्चार्ज से विवेचना भी करायी गयी, जिससे यह बात असत्य पायी गयी। तो यह क्यों जरूरी समझा गया कि कोतवाली का ही मामला है और उसके ऊपर के अधिकारियों से नहीं जांच करायी गयी, क्यों उसी थाने के इन्चार्ज से विवेचना करायी गयी ?

श्री धर्मवीर—

माननीय सदस्य की भावना के अनुसार मैंने निवेदन किया इसीलिए कि चूंकि इन्सपेक्टर इन्चार्ज ने जांच की थी, अब उससे उच्च अधिकारी द्वारा जांच करायी जा रही है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि सिपाही निर्दोष थे और यह भी कहते हैं कि विवेचना हो रही है। तो जब वह निर्दोष थे, तो विवेचना किस बात की हो रही है ?

श्री अध्यक्ष—

इसका जवाब वह दे चुके।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

इसका जवाब नहीं दिया। जब वह निर्दोष साबित हो गए तो विवेचना काहे की चल रही है ?

श्री अध्यक्ष—

एक तो जवाब यह दिया कि विवेचना चल रही है कि वह दोषी हैं या नहीं और दूसरे वह लाइन हाजिर और निलम्बित किए गए, इसलिए कि उनकी कुछ गफलत या असावधानी पायी गयी क्योंकि डकैत भाग गए।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

क्या यह सही है कि जो आदमी उन सिपाहियों को पकड़ कर ले गए थे, स्थानीय पुलिस ने उन्हें मोटर में भर कर बिन्दौरा छोड़ा ?

श्री धर्मवीर—

ऐसी सूचना नहीं है।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

यह थाना फतेहपुर के मैंसुरिया ग्राम का मामला है। उसी हल्के के ये दोनों सिपाही हैं और वहीं के दरोगा, यह विवेचना कर रहे हैं और जहां यह रिपोर्ट लिखायी गयी और इन लोगों को बन्द कराया कोतवाली में और दूसरे दिन आई0 जी0, एस0 पी0 और मुख्य मन्त्री को दरख्वास्त दी गयी, तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में और इस आपातकालीन स्थिति में इन सिपाहियों द्वारा खुले आम डकैती करना और फिर उन्हीं से इन्क्वायरी कराना, क्या माननीय मन्त्री जी इस पूरे मामले की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच करायेंगे ?

श्री धर्मवीर—

यह मामला डकैती का नहीं है। ये दोनों नट जाति के हैं, आपस में सगी रिश्तेदारी है, साले बहनोई की। छोटे लाल की बहू गायब हो गयी थी। उसको पता लगा कि सरूपे, जो उसका साला है, उसको ले गया और वहीं पर जा कर वह रही, 19-20 दिन तक वह वहीं रही। उसी बीच उसके लड़के ने कोतवाली में रिपोर्ट लिखा दी। क्योंकि यह थाना फतेहपुर का मामला था, उसको वहां शामिल किया और वहीं के एक उच्च अधिकारी द्वारा इसकी जांच की गयी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

एक संगीन जुर्म हुआ है और जो थानेदार इन्क्वायरी कर रहा है, उसके खिलाफ भी दूसरे दिन दरख्वास्त दी गयी। तो इस बात को देखते हुए क्या माननीय मन्त्री जी किसी अन्य माध्यम से इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मवीर—

मैंने निवेदन किया है कि उच्च अधिकारी द्वारा जांच हो रही है। अगर कोई बात विशेष रह जाती है, तो आपके सामने जब मामला आएगा तो उसको देख लेंगे।

श्री जफर आजमी (जिला आजमगढ़)—

अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि चूंकि डाकू उनके सामने से भाग गए, इसीलिए उन सिपाहियों को लाइन हाजिर किया गया। एक तरफ आप कहते हैं कि डकैती नहीं पड़ी, मामला दूसरा है और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि डकैती है तथा दूसरे किसी उच्च अधिकारी से इन्क्वायरी हो रही है। तो आखिर सही बात क्या है ?

श्री धर्मवीर—

मैंने यह नहीं कहा कि डकैती पड़ी है। मैंने यह कहा कि ऐसा आरोप था कि मुल्जिमों को भागने का मौका दिया। उस लड़की को लेने गए थे, दोनों रिश्तेदार मौजूद थे, इस बीच आपस में झगड़ा हो गया था, तो दो पुलिस वाले पहुंचे। तो आपने रिश्तेदार को तो जाने दिया। लेकिन चूंकि यह आरोप उनके प्रार्थना-पत्र में था कि उन दोनों सिपाहियों ने उन बदमाशों को नहीं पकड़ा इसलिए सिपाहियों को लाईन हाजिर कर दिया गया। सर्किल आफिसर उसकी जांच कर रहे हैं, जांच से जो भी तथ्य प्रकाश में आयेंगे, उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

भारतीय दन्ड विधान की धारा 302 के अन्तर्गत बन्द दोष सिद्ध कैदियों को प्रोबेशन ऐक्ट के अन्तर्गत मुक्त किए जाने की मांग

*3—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या जेल मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री डा0 सम्पूर्णानन्द के कार्यकाल में प्रोबेशन कानून के आधार पर भारतीय दन्ड विधान की धारा 302 के अन्तर्गत बन्द दोष सिद्ध कैदियों का सपरिहार पांच वर्ष की अवधि पूरा करने पर मुक्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता के सुझाव पर क्या सरकार वैसे ही आदेश पुन : जारी करेगी और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

शासन के उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि डा0 सम्पूर्णानन्द, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी के कार्यकाल में धारा 302 भा0 दं0 वि0 के सिद्ध दोष बन्दियों को 5 वर्ष सपरिहार सजा पूरी करने पर प्रोबेशन ऐक्ट के अन्तर्गत मुक्त किया गया हो।

साधारणतया आधी सजा सपरिहार काट लेने पर प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है। माननीय सदस्य के सुझावानुसार आदेश देना लोकहित में नहीं होगा।

*4—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (अनुपस्थित)—

क्या जेल मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि 1972-73 में राज्य की जेलों से धारा 302 के अन्तर्गत बन्द दोषसिद्ध कैदियों का सपरिहार 10 वर्ष पूरा करने पर बिना किसी शर्त के छोड़ा गया? यदि हां, तो एकरूपता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस प्रकार के समस्त दोषसिद्ध कैदियों को राज्य की जेलों में से दस वर्ष पूरा करने के बाद सपरिहार बिना शर्त रिहा करेगी और यदि हां, तो कब तक?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वर्ष 1972-73 में देश की स्वाधीनता की रजत जयन्ती के पुण्य अवसर पर भा0 दं0 वि0 की धारा 302 के अन्तर्गत, आजीवन कारावास के दन्ड प्राप्त बन्दियों को 10 वर्ष की सपरिहार दन्डावधि भोग लेने पर, इस शर्त के साथ मुक्त किया गया था कि जेल में उनका आचरण सन्तोषजनक रहा हो। यह सुविधा एक विशेष अवसर पर प्रदान की गई थी। इस प्रकार की सुविधा सामान्य रूप से दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पुलिस विभाग सम्बन्धी गंगेश्वर प्रसाद आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों का कार्यान्वयन

*5—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या गृह मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रयाग उच्च न्यायालय के भूतपूर्व विचारपति गंगेश्वर प्रसाद आयोग ने पुलिस प्रशासन में सुधार हेतु तथा पुलिस विभाग के पुन : संगठन हेतु जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं उनमें कितने सुझाव कार्यान्वित किए गए हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रयाग उच्च न्यायालय के भूतपूर्व विचारपति गंगेश्वर प्रसाद आयोग द्वारा पुलिस प्रशासन में सुधार तथा पुलिस विभाग के पुन : संगठन के सम्बन्ध में दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों में से 92 सुझाव कार्यान्वित किए जा चुके हैं।

अमीनाबाद, लखनऊ काश्मीर होटल में अनैतिक व्यापार से सम्बन्धित लड़कियों की गिरफ्तारी

*6—श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि मार्च, 1976 के अन्तिम सप्ताह में अमीनाबाद, लखनऊ की पुलिस ने एक स्कूल की हेड मिस्ट्रेस को गिरफ्तार किया है जो लड़कियों का व्यापार करती थी? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आए और कितने व्यक्ति अब तक गिरफ्तार हुए?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

दिनांक 29 मार्च, 1976 को मुखबिर से सूचना मिलने पर थाना अमीनाबाद, लखनऊ की पुलिस ने काश्मीर होटल, अमीनाबाद के एक कमरे से श्रीमती रोजलिन सिडनी जो फुलवरिया, थाना कैन्ट, जिला वाराणसी में किंडरगार्टन प्राइमरी स्कूल चलाती हैं और जो अपनी पुत्री तथा कलकत्ता से बहला फुसलाकर लाई हुई एक लड़की को व्यभिचार करा कर पैसा कमाने के लिए होटल में लाई थीं, को उनकी पुत्री सहित गिरफ्तार किया। इस सम्बन्ध में थाना अमीनाबाद पर धारा 363/366 भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करके विवेचना की गई। विवेचना से श्रीमती सिडनी के दामाद हैरीफिलिप्स को भी अपराध में सम्मिलित पाया गया। अत : तीनों के विरुद्ध दिनांक 28 मई, 1976 को आरोप-पत्र प्रेषित किया गया। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

पुलिस ने होटल के मैनेजर को भी दिनांक 29 मार्च, 1976 को ही धारा 368 भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत गिरफ्तार किया था। विवेचना के बाद दिनांक 28 मई 1976 को ही उसके विरुद्ध भी आरोप-पत्र प्रेषित किया गया।

*7—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

[5वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जय हिन्द सिनेमा लखनऊ के समीप दुकानदार की गोली से हत्या

*8—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि लखनऊ शहर में दिनांक 10 मार्च, 1976 को एक सिनेमा के सामने किसी व्यक्ति को गोली मार दी गई ? यदि हां, तो पूर्ण घटना क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

दिनांक 10 मार्च, 1976 को लखनऊ में जैहिन्द सिनेमा के समीप के एक दुकानदार राम लाल मलिक ने केसरबाग कोतवाली में एक रिपोर्ट लिखाई थी कि उस दिन एक बदमाश तमंचा लेकर वादी की दुकान में घुसा और वादी के तीस रुपए और घड़ी छीनकर भागने लगा और वादी के लड़के सुरेश कुमार द्वारा पीछा किए जाने पर वालाकदर रोड पर बदमाश ने उसे गोली मार दी तथा कोतवाली के इन्सपेक्टर शंकर सिंह जो जीप से उधर आ रहे थे, ने बदमाश को काबू में करके उसे गिरफ्तार कर लिया। उक्त सूचना के आधार पर धारा 394/307 भारतीय दन्ड विधान तथा 25 आर्म्स ऐक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया जो उसी दिन सुरेश कुमार की अस्पताल में मृत्यु हो जाने के कारण धारा 394/302 भारतीय दन्ड विधान और 25 आर्म्स ऐक्ट में परिवर्तित किया गया। विवेचना के बाद अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 30 अप्रैल, 1976 को आरोप-पत्र प्रेषित किए गए।

श्रीमती लक्ष्मी गुप्ता, प्रभारी अधिकारी, महिला अपस्ताल, छिबरा मऊ, फर्रुखाबाद की जलने से मृत्यु

*9—श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 2 जून, 1976 को डा0 श्रीमती लक्ष्मी गुप्ता, एम0 ओ0, इंचार्ज, महिला अस्पताल, छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद की आग से जलने के कारण मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है और इसमें क्या जांच की गई?

श्री धर्मवीर—

जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 2 जून, 1976 को चिकित्साधिकारी, जिला अस्पताल फतेहगढ़ ने थाना कोतवाली फतेहगढ़ पर डा0 श्रीमती लक्ष्मी गुप्ता, प्रभारी अधिकारी, महिला अस्पताल, छिबरामऊ (फर्रुखाबाद) की मृत्यु हो जाने की सूचना दी थी। यह सूचना थाने के रोजनामचा में अंकित की गई और लाश का पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम से मृत्यु का कारण जलना पाया गया।

शासन ने उक्त मामले की जांच अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा कराए जाने के आदेश दिए थे। अतः जांच अपराध अनुसन्धान विभाग को सौंपी जा चुकी है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या मृतक डाक्टर श्रीमती लक्ष्मी गुप्ता की मां ने कोई शिकायती-पत्र जिसमें स्पष्ट आरोप लगाते हुए यह लिखा है कि डा0 लक्ष्मी गुप्ता के पति डा0 विश्नु गुप्ता ने उनकी हत्या कर दी है, सरकार को दिया है ? यदि हां, तो इतने गम्भीर आरोप के होते हुए भी डा0 विश्नु गुप्ता को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ?

श्री धर्मवीर—

मृतक की मां ने एक टेलीग्राम दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि डाक्टर, जो उनके पति हैं, उनके द्वारा डा0 श्रीमती लक्ष्मी गुप्ता को जला दिया गया और उसके कारण उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन जो गवाह वहां मौजूद थे, उनके नौकर वगैरह और डाइंग डिक्लेरेशन के वक्त जो थे, उन्होंने जो बयान दिया उससे यह पाया गया कि उसने स्वयं मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली थी। चूंकि माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था, अतः इस मामले को सी0 आई0 डी0 के सिपुर्द कर दिया गया है, ताकि सही तथ्य प्रकाश में आ जायें।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

उनकी मां का यह पत्र ब्लिट्ज पेपर में 19 जून, 1976 को निकला है जिसे मैं पढ़ रहा हूं —

श्री अध्यक्ष —

आप पढ़ क्या रहे हैं, अपनी जानकारी पर प्रश्न करिए। उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

इस पत्र में यह स्पष्ट लिखा है कि चूंकि डाक्टर श्रीमती गुप्ता अपनी मां के यहां से दहेज नहीं लायी थीं, इसलिए उनकी हत्या कर दी गयी। यह भी लिखा है कि मृत्यु के पहले डाक्टर गुप्ता ने श्रीमती गुप्ता का 50 हजार का बीमा भी कराया था . . . . .

श्री अध्यक्ष—

क्या आप यह चाहते हैं कि सी0 आई0 डी0 की जांच खत्म कर दी जाए ?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

मेरा कहना यह है कि जब एक डाक्टर के विरुद्ध स्पष्ट आरोप यह है और मृतक की मां ने लिख कर भी दिया है कि दहेज के कारण उसकी हत्या की गयी है, उसको जला कर मार डाला गया है, तो इतने गम्भीर आरोप के होते हुए भी डाक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया ?

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न किए। जहां तक मृतक की मां के शिकायती पत्र का प्रश्न है। शासन को एक टेलीग्राम मिला था अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं टेलीग्राम पढ़ दूं, जिसमें किसी प्रकार का कोई आरोप वगैरह नहीं है कि किस वजह से हत्या की गयी। "My daughter Laxmi Gupta Medical Officer Incharge, Femele Hospital Chhibramau Distriet Fatehgarh Burnt alive on 2-6-76 by her husband Dr. Vishnu Deo Gupta Medical Officer Incharge Male Hospital Chhibramau, Many important letters in my possession. Please arrange enquiry by Intelligence."

मृतक की मां के द्वारा ही अनुसन्धान द्वारा जांच की प्रार्थना की गयी थी। इसी पर शासन ने उसे अनुसन्धान विभाग को जांच के लिए दे दिया है। जहां तक प्रश्न है, उनको निलम्बित करने का, मुझे इसकी सूचना नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें निलम्बित किया है कि नहीं। चूंकि उनकी मां का तार आया है कि उसकी जांच अनुसन्धान विभाग द्वारा की जाय, इसीलिए अनुसन्धान विभाग को जांच के लिए दे दिया है। अनुसन्धान विभाग द्वारा जांच होकर जो तथ्य होंगे वह सामने आ जायेंगे, उस पर कार्यवाही होगी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

मान्यवर, जो जांच आप अनुसन्धान विभाग द्वारा करा रहे हैं, क्या उसका कोई बाकायदा मुकदमा रजिस्टर्ड हुआ है ? यदि हां, तो उसमें किसको अभियोगी बनाया गया है ?

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, सूचना थाने में दर्ज है। इसी बीच में चूंकि उनकी मां का तार आ गया कि इसकी सी0 आई0 डी0 विभाग द्वारा जांच की जाय इसीलिए सारी कार्यवाही रोककर सारी कार्यवाही सी0 आई0 डी0 विभाग को सुपुर्द कर दी गयी। दिनांक 7 अक्तूबर, 1976 को शासन ने आदेश दिया था और दिनांक 19 अक्तूबर, 1976 को पूरी पत्रावली जांच के लिए सी0 आई0 डी0 को सुपुर्द कर दी गयी।

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, जो टेलीग्राम दिया मृतक की मां ने वह एफ0 आई0 आर0 के रूप में ट्रीट होगा। जो इत्तला भेजी गयी, उसको तो दर्ज होना चाहिए। एफ0 आई0 आर0 के आधार पर कोई मुकदमा 302 का या किसी दफा में दर्ज होना चाहिए था। यदि नहीं

दर्ज हुआ है, तो क्यों नहीं दर्ज हुआ है ? क्या माननीय मन्त्री जी टेलीग्राम को एफ0 आई0 आर0 मानकर मुकदमा कायम करायेंगे ?

श्री धर्मवीर—

चूंकि तार में उन्होंने आरोप लगाया और आरोप के साथ-साथ यह कहा कि इसकी जांच अनुसन्धान विभाग को सौंप दिया जाय, इसलिए, मुकदमा अंकित करके सारा केस जो है, सी0 आई0 डी0 को सुपुर्द कर दिया गया है।

श्री शिव प्रसाद गुप्त (जिला आगरा)—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि डाक्टर के खिलाफ इसलिए कोई ऐक्शन नहीं लिया गया स्वास्थ्य विभाग से कि पहले पुलिस विभाग तो कोई ऐक्शन ले, तब स्वास्थ्य विभाग लेगा। यदि एफ0 आई0 आर0 में डाक्टर का नाम अंकित है, तो डाक्टर के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, स्पष्ट है कि एफ0 आई0 आर0 या प्रार्थना-पत्र दिया है कि इसकी जांच अनुसन्धान विभाग द्वारा की जाय, अगर उनको विश्वास होता तो वह कभी न कहतीं कि सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच की जाय।

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

क्या थाने में जो एफ0 आई0 आर0 हुई उसके आधार पर कोई कार्यवाही हुई ? डाक्टर को गिरफ्तार किया गया ? कोई बात हुई ? यदि नहीं हुई, तो उसका क्या कारण ह ?

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि मृतक अस्पताल में थी और सूचना थाने में दर्ज की गयी, लेकिन चूंकि कोई आरोप नहीं था कि उसके पति ने ही उसको मार डाला है इसलिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जब उसकी मां ने तार भेजा कि इसकी जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करायी जाय तब यह कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)—

मान्यवर, इस केस में एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई होगी। इस तरह की कोई भी कार्यवाही होती है, तो उसमें तफतीश अवश्य की जाती है। जब आपके पास तार आया और उसमें नाम भी बतलाया गया कि किसने किसको मारा है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि किसी खास व्यक्ति के द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज कराए बिना इसकी तफतीश न की जाय? तफतीश करने के बाद ही स्पेसिफिकली मालूम होता है कि किसने जुर्म किया है। आप इसमें तफतीश कराना नहीं चाहते, जब कि मुलजिम को पहले ही गिरफ्तार करना चाहिए था। अब आप कहते हैं कि फलां डिपार्टमेंट से तहकीकात कराने जा रहे हैं। इसलिए आप एफ0 आई0 आर0 के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहते हैं। इस तरह से स्पेसिफिकली यह इस दफा का उल्लंघन करना है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अपराध की सामान्य प्रक्रिया का अनुगमन, अनुसरण क्यों नहीं किया गया ? माता ने जब तार भेजा तो उस तार के ऊपर क्यों नहीं कार्यवाही की गयी ? वह तो इस तरह से तार द्वारा चुनौती देती है कि सी0 आई0 डी0 द्वारा भी इसका अनुसन्धान करा लिया जाय। तो जो सामान्य प्रक्रिया है, उस पर ध्यान देना चाहिए था। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इसको देख लें। जो बार-बार आपने कहा है कि तार के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार इसे अनुसन्धान विभाग को दे दिया है, तो जैसा कि मैं शुरू में कह चुका हूं, तो उस तार की शब्दावली को आप प्रमाण के रूप में ग्रहण क्यों नहीं करते हैं, जो एक सामान्य प्रक्रिया में अपनायी जानी चाहिए ?

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, माननीय सदस्य, गर्ग जी तो उच्चतम न्यायालय के एक अच्छे वकील हैं, वे जानते हैं कि इस तरह के मामले में कौन सी प्रक्रिया अपनायी जाती है। पहले मृतक की सूचना थाने पर पहुंची, तो उस सूचना में यह आरोप नहीं था कि उस मृतक को मारने वाला मुलजिम उसका पति ही है। चूंकि वे वहां पर डाक्टर हैं और उन्होंने सूचना दी थी, इसलिए उनके खिलाफ गिरफ्तारी की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मरने के दूसरे या तीसरे दिन तार मिला, तब तक कार्यवाही अनुसन्धान विभाग के सुपुर्द की गयी। इसलिए इसमें कोई ढिलाई नहीं बरती गयी है।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

जब आप यह कह रहे हैं कि आपको तार मिला है और उसमें उल्लिखित था कि आग लगने से डाक्टरनी की मृत्यु हुई है, तो आप तो यह मानेंगे ही कि कोई डाक्टरनी, अगर उसे आत्म हत्या ही करनी होती तो वजाय इसके कि अपने को आग से जलाती, वह नींद की गोलियां खा सकती थी या और पचासों दवायें थीं जिनका इस्तेमाल कर सकती थी, इसलिए यह आत्म हत्या का केस तो हो नहीं सकता। तो जब आपको तार मिला तो बाद में जो कुछ विवेचना हो सकती थी, आप अनुसन्धान विभाग द्वारा या सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराते, लेकिन इसके पहले उसकी गिरफ्तारी हो सकती थी, तो कृपा करके आप बतलायें कि पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ?

श्री धर्मवीर—

जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया—जिस वक्त थाने पर यह सूचना मिली, उस वक्त यह कतई आरोप नहीं था कि उसके पति ने ही उसे जला कर मार डाला है। संदिग्ध स्थिति में ही सी0 आई0 डी0 द्वारा इनक्वायरी करने की बात होती है और इसीलिए उसकी मां ने भी इसे सी0 आई0 डी0 को देने की बात कही थी। इस तरह से पचासों तार रोज आने लगेंगे कि फलां का कत्ल फलां ने कर दिया है, जब कि वह वहां मौजूद भी नहीं है और इस तरह से इन पर कार्यवाही करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि तब न जाने कितने तार इस तरह के आते रहेंगे और इस तरह से गिरफ्तारियां शुरू होने लगें तो शासन किसी तरह से भी कोई सही व्यवस्था नहीं कर पाएगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

जब प्रथम एफ0आई0 आर0 लिखी गयी होगी तो मुकदमा किसी दफा के अन्दर रजिस्टर्ड तो हुआ होगा और उसमें मुलिजम का नाम भी होगा और जब तार में स्पेसिफिकली उस व्यक्ति का नाम उल्लिखित है और सरकमस्टान्सेज भी आपने देखा, और जैसा कि श्री ओम प्रकाश जी ने कहा—तो इसके बावजूद भी क्या मुकदमा 302 में रजिस्टर्ड किया गया या नहीं ? अगर नहीं, तो क्यों ? अगर किया गया, तो डाक्टर को गिरफ्तार क्यों नही किया गया ?

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, मैंने स्पष्ट किया है कि वह स्वयं संदिग्धावस्था की बात करती हैं। 5 सौ मील की दूरी से चाहे कोई व्यक्ति किसी का कितना ही नजदीकी क्यों न हो, घटना स्थल पर मौजूद न हो और इतनी दूर से कोई आरोप लगा दे, तो आरोप अदालत भी नहीं मानती है। जहां तक तथ्यों की गहराई का मामला है, सी0 आई0 डी0 की जांच होने से स्पष्ट हो जायगा। अगर एलीगेशन्स प्रूव हो जाते हैं, कि मारा, तो गिरफ्तारी होगीं और जो कार्यवाही होनी चाहिए, होगी।

श्री अध्यक्ष—

इस पर एक जवाब कई बार आ चुका है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि प्रथम एफ0 आई0 आर0 लिखी गयी है, तो किस धारा के अन्दर, उसको पढ़कर सुनायें। दूसरा प्रश्न यह ह कि जब टेलीग्राम आ गया तो क्या 302 में रजिस्टर्ड किया गया या नहीं ? अगर किया गया तो क्या कारण ह कि डाक्टर को गिरफ्तार नहीं किया गया ?

श्री धर्मवीर—

उस समय, शुरू में केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ सिर्फ सूचना आयी थी कि अस्पताल में फलां डाक्टर की मृत्यु जलने से हो गयी है। इसके बाद पोस्टमार्टम करके, पंचायत नामा करके लाश दी गयी। जब बाद में तार आया तो उसको सूचना में कनवर्ट किया गया। सी0 आई0 डी0 की मांग उन्होंने की। सी0 आई0 डी0 की जांच रिपोर्ट आएगी, तो उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ? किस धारा के अन्दर मुकदमा रजिस्टर्ड किया गया ? 302 में रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

मान्यवर, आप कहते हैं कि कनवर्ट किया गया, तो केस को रजिस्टर्ड किया गया होगा। तो इसके बाद क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, अब कहते हैं कि कोई मुकदमा रजिस्टर्ड नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि तार के मिलने के बाद क्या मुकदमा रजिस्टर्ड हुआ, अगर हां, तो किस धारा के अन्दर ?

श्री अध्यक्ष—

इसको देख लें।

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया है कि सी0 आई0 डी0 की जांच होने के बाद ही केस इस्टेबलिश होगा कि किस धारा में मुकदमा चलायें। धारायें बदलती रहती हैं। अभी कौन सी धारा लगायी जाय ?

(अनेक सदस्य एक साथ बोलने लगे।)

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

धारा बदल नहीं सकती।

श्री अध्यक्ष—

एक-एक करके कहें। वही प्रश्न आप दोहरा रहे हैं। वही जवाब मन्त्री जी दोहरा रहे ह।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

मान्यवर, एक सवाल है, बड़ा परटीनेंट क्वेश्चन है। पहले कागनीजिबिल दर्ज हुआ है। तो किस धारा में दर्ज हुआ है ? आपने कहा है कि कनवर्ट कर सकते हैं तो किस दफा में कनवर्ट किया है ?

श्री ऊदल—

कनवर्ट भी नहीं किया है, पहले दर्ज भी नहीं किया है। गोलमोल जवाब दे रहे हैं। कहते हैं कि सी0 आई0 डी0 जब जांच करेगी तब मुकदमा इस्टेबिलिश होगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

आपको जानकारी होगी रजिस्टर्ड इन कागनीजिबिल आफेन्स हो सकता है। उसी में रजिस्टर्ड हो सकता है और उसी में धारा कनवर्ट होगी, इसलिए कनवर्ट होने का सवाल

नहीं है। तो पुलिस को जांच करनी पड़ेगी। 154 में रजिस्टर होता है, 302 में गिरफ्तारी होती है। आप बतायें कि रजिस्टर इन कागनिजिबल आफेन्स, मुकदमा दर्ज हुआ है या नहीं ?

श्री धर्मवीर—

302 को इस्टेबिलिश करने के लिए अनुसन्धान विभाग को जांच सौंप दी गयी है कि कौन दफा उनके खिलाफ लागू होगी । जांच के बाद ही दफायें लागू हो सकती हैं।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

अध्यक्ष महोदय, आप मदद करें और मन्त्री जी से कहें कि इसका जवाब दें कि मुकदमा किस दफा में रजिस्टर्ड है ?

श्री अध्यक्ष—

आपकी बात मैं समझ गया और मन्त्री जी का जवाब भी मैंने समझने की कोशिश किया। ऐसा लगता है कि पहले कोई चीज प्रमाणित हो जाय, तब वह जुर्म दर्ज हो या दर्ज करके फिर तफतीश की जाय। तो जांच हो रही है उसकी रिपोर्ट आने तक आप इन्तजार करें। मन्त्री जी ने जवाब दे दिया कि ऐसी स्थिति है। एक तो नजदीक की रिपोर्ट है और एक तार की रिपोर्ट मिली है। एस0 पी0 क्या जांच करे ? इसलिए वह तकनीकी मामला चल रहा है।

श्री ऊदल —

मान्यवर, पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट पर भी विवेचना हो सकती थी। वह क्यों नहीं कराया ?

श्री धर्मवीर —

जांच इसलिए नहीं की, क्योंकि आरोप सिद्ध नहीं हुए। मृतक ने कह दिया था कि आग मैंने स्वयं लगा लिया था। इसलिए उसके पति को कैसे जुर्म लगा दें ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

यदि मुकदमा रजिस्टर्ड हुआ है, तो किस धारा के अन्तर्गत हुआ ? यदि नहीं रजिस्टर्ड हुआ, तो विवेचना करा रहे हैं,क्योंकि मुकदमा कोई रजिस्टर्डनहीं हुआ न कोई धारा है और इसीलिए कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है।

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, गिरफ्तारी करने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि उसने स्वयं कहा है कि मैंने आग लगा लिया था। तार आने पर यह पता चला है।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग —

अध्यक्ष महोदय, आप यह सुझाव मन्त्री जी को दें कि तार भेजकर मुकदमा रजिस्डर्ड करा दें, जिससे उस पर तफतीश शुरू हो जाय।

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, मृतक ने बयान दिया है कि स्वयं मैंने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया है, तो दूसरे को कैसे 302 का मुलजिम बनाया जाय ? मां का तार आने पर उचित समझा गया कि पुन : जांच कराई जाय। इसलिए जांच अनुसन्धान विभाग को सौंप दी गयी है। जांच के बाद ही तथ्य मालूम होंगें कि कौन सी परिस्थितियों में उसने आग लगा कर आत्म हत्या की है। तो जांच के बाद ही दफा लगायी जाएगी।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

पोस्ट-मार्टम डाक्टर ने किया है .....

श्री अध्यक्ष—

आपको इजाजत नहीं है। आप बैठें। जो जवाब मन्त्री जी ने दिया है, यह अन्तिम नहीं है, अनन्तिम है जैसा उन्होंने कहा है कि विवेचना हो रही है। इसके बाद आप इसी सन्दर्भ में प्रश्न करेंगे, आपको मौका मिलेगा।

जिलाधिकारी मिर्जापुर का निलम्बन

*10—श्री राम सुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़)—

दिनांक 26 मार्च, 1976 के नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित अधिकारी कब निलम्बित किए गए तथा सम्प्रति अवकाश पर है ? यदि हां, तो कितने मास के लिए और क्यों ?

श्री धर्मवीर—

सम्बन्धित अधिकारी को शासनादेश संख्या 106/दो-(1) 1976, दिनांक 7 जनवरी, 1976 द्वारा 21 जनवरी, 1976 के अपराह्न से निलम्बित किया गया है।

निलम्बन की अवधि में अवकाश देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

मुख्य मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि 21 जनवरी, 1976 के बाद निलम्बन की अवधि में, उसको अवकाश नहीं दिया गया था ?

श्री धर्मवीर—

उत्तर में स्पष्ट दिया है कि निलम्बन की अवधि में कोई अवकाश देने का प्रश्न नहीं उठता।

मैनपुरी में जिलाधिकारी द्वारा एक सिनेमा को दिया गया लाइसेन्स

*11—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1976 में मैनपुरी में एक ऐसे सिनेमा की स्वीकृति जिलाधिकारी, मैनपुरी ने दी है ? जिसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बताई गई त्रुटियों को दूर नहीं किया गया तथा सिनेमा से मिलाने वाली सड़क नियमानुसार 35 फीट चौड़ी न होकर केवल 12 फीट ही चौड़ी है ? यदि हां, तो यह विशेष छूट किन परिस्थितियों में दी गई ?

श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, आप सहायता करें। यह बहुत सीधा सा प्रश्न है, एक फाइल से सम्बन्धित है और एक जगह का मामला है। दिनांक 9 जून, 1976 को प्रश्न किया गया और अभी तक सूचना एकत्रित की जा रही है। वास्तविकता यह है कि वहां के जिलाधिकारी ने अवैध रूप से पैसा ले कर के यह अवैध आज्ञा दे दी थी, जब कि पी0 डब्ल्यू0 डी0 के अधिशासी अभियन्ता ने शुरू में ही नक्शा दाखिल होते ही बड़े गम्भीर एतराज नक्शे में लगाए, जो दूर नहीं किए गए इसलिए अधिकारी इस सूचना को टाल रहे हैं। उत्तर में लिखा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। आप मदद करें।

श्री अध्यक्ष—

एक जगह से सूचना मांगी गयी है। शिकायत जिलाधिकारी के खिलाफ है। इसे दूर नहीं किया गया है।

श्री ऊदल—

जिलाधिकारी के खिलाफ है और उन्हीं से सूचना भी मांगी गयी है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। यह 9 जून, 1976 को प्रश्न किया गया और मैनपुरी के जिला अधिकारी को कितना वक्त चाहिए कि....

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्,कभी-कभी ऐसी स्थिति आती है कि जो प्रश्नों का उत्तर प्रस्तावित होता है, उससे सम्बन्धित मन्त्री स्वयं सन्तुष्ट नहीं होते तो ऐसे अवसर पर सदन में कोई तथ्य छिपाने या दबाने का प्रश्न नहीं उठता इसलिए पूरी सूचना शासन के पास रहे और शासन स्वयं असन्तुष्ट न हो। इसलिए सूचना एकत्रित की जा रही है। नियमानुसार जब फिर सदन बैठेगा एक निश्चित अवधि के अन्दर पुन : सवाल आएगा तो तब तक उत्तर आ जायगा। शासन को स्वयं सूचना चाहिए वह भी आ जाएगी।

चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य

*12—श्री राम सुन्दर पान्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना उत्पादकों का प्रत्येक मिल पर गत और वर्तमान सीजन का कितना-कितना रुपया बकाया है तथा सरकार की ओर से भुगतान कराने की कौन सी कार्यवाही की गई है ?

उद्योग राज्य मन्त्री (श्री अजीजुर्रहमान)—

उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना उत्पादकों का बकाया गन्ना मूल्य प्रत्येक मिल पर गत वर्तमान सीजन का दिनांक 30 सितम्बर, 1976 की स्थिति संलग्न तालिका में दी हुई है।

कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान कराने हेतु गन्ना मूल्य खाते में पर्याप्त धनराशि बैंक से मिलने वाली अग्रिम से स्थानान्तरित कराने के आदेश पारित किए गए। गन्ना मूल्य भुगतान की निरन्तर समीक्षा की गई। चीनी मिलों को सुचारुरूप से भुगतान करन हेतु निर्देशित भी किया गया है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 710–712 पर।)

श्री राम सुन्दर पान्डेय—

क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो 12 करोड़ 34 लाख रुपए या इससे अधिक किसानों का चीनी मिलों के ऊपर बकाया है, सरकार इसका भुगतान कब तक कराएगी, इसके लिए कोई निश्चित तारीख या समय नियत किया गया है ?

श्री अजीजुर्रहमान—

मान्यवर जैसा कि मैंने अर्ज किया कि सरकार हर तरह से प्रयास कर रही है कि जल्दी से जल्दी भुगतान हो और कुल रकम रुपया 151 करोड़ 67 लाख अदा करनी थी, जिसमें से 30 सितम्बर तक 141 करोड़ 5 लाख अदा हो चुकी थी और इस वक्त जो पोजीशन ह, वह यह है कि सन् 1976 का 10 करोड़ 62 लाख, सन् 1974-75 का 1 करोड़ 75 लाख और इससे पहले का 3 करोड़ 26 लाख रुपया बकाया है।

श्री राम सुन्दर पान्डेय—

क्या सरकार बताएगी कि वह कब तक भुगतान होगा कोई तारीख आदि ?

श्री अध्यक्ष—

जल्द से जल्द कहा तो है, अब वह तारीख नहीं बता रहे हैं।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

2 साल, 3 साल से तो जल्द से जल्द हो रहा है, कोई महीना या तारीख आदि तो नियत होगी ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

इस बात को देखते हुए कि किसानों का कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकार ने भी तमाम कदम उठाए हैं लेकिन फिर भी वह पैसा नहीं दिलवा सकी है क्या सरकार चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर पुनर्विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो व्यापक कर दिया आपने।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

क्या मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि यह सही है कि भारत सरकार ने पिछले वर्ष गन्ने के दाम 8.50 रुपए प्रति कुन्टल तय किए थे जबकि प्रदेश सरकार ने इसे बढ़ाकर 12.50 और 13.50 करने के आदेश दिए और यह भी आदेश दिए कि जिस दिन से चीनी मिलें चालू हुई हों, उसी दिन से उन्हें बढ़ी हुई कीमतों पर भुगतान करना पड़ेगा, परन्तु मिल मालिक इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि जिस दिन से मिलें चालू हुई हैं, उस दिन से उन्हें बढ़ी हुई कीमतों पर भुगतान देना पड़े ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, नेता कम्युनिस्टदल के जो विचार हैं, वह ठीक हैं। सूचना सही है। यह बात सही है कि प्रारम्भ में जो चीनी मिलें हैं, वह 11 रुपए ही दाम दे रही थीं, जब प्रदेश में यह सरकार आपके आशीर्वाद से आयी तो जनवरी, फरवरी में यह प्रयास हुआ कि उनको 13.50 रुपए, 12.25 रुपए और 12.50 के दाम दिलाए जायं। इस सम्बन्ध में जो निर्णय हुआ फरवरी में, उसे बहुत सी मिलों ने स्वीकार नहीं किया। वे पर्चियों में, वही पुराने दाम लिखते रहे। उन्होंने कहा कि हम उस दिन से देंगे जबकि यह आर्डर जारी किए गए और शुरू से इसे नहीं देंगे। बढ़ी हुई कीमतों पर भुगतान देने के लिए उनसे बार-बार कहा गया, परन्तु बाद में प्रताड़नात्मक कार्यवाही की गयी और उसका प्रभाव यह हुआ कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वे बढ़े हुए दाम शुरू से देंगे। यह अवश्य है कि उन्होंने कहा कि हम एक साथ वह भुगतान नहीं कर पायेंगे, अत : हमें इसके लिये कुछ समय दिया जाय। लेकिन हमने उनसे कहा कि दिसम्बर तक भुगतान कर दीजिए। इस साल 1975-76 के सीजन में फरवरी के पहले नवम्बर से पुराने दाम और फरवरी से नए दाम के हिसाब से 68 लाख, 25 हजार रुपया बकाया है। लेकिन जो पुराने रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से गन्ने की कीमत दिलाई गयी, तो 3 करोड़ 14 लाख रुपए का बकाया रहा। इस तरह माननीय नेता साम्यवादी दल की सूचना सही है और उसी को मैंने अधिक स्पष्ट कर दिया है।

श्री ऊदल—

थोड़ा और प्रताड़ित माननीय मन्त्री करेंगे तो किसानों का भुगतान थोड़ी और जल्दी हो जाय ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

अवसर आएगा तो जरूर प्रताड़ित करेंगे।

श्री राम सुन्दर पान्डेय—

बकाया की धनराशि अगर वर्तमान सीजन के पहले किसानों को नहीं दी जा सकी तो सरकार का पावना किसानों पर जो बाकी है, उससे उन किसानों को भुगतान कर दिया जाय ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं माननीय सदस्य की भावना का आदर करता हूं। जैसा राज्य मन्त्री ने अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बताया सीजन में 151 करोड़ 67 लाख में से 141 करोड़ 5 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है। किसानों की वसूली जो बकाया है यह व्यक्ति की अलग-अलग है। इसके बारे में कोई सामान्य अपवाद नहीं किया जा सकता। जहां तक किसानों के ऊपर जो वसूली सरकार की है, उसमें छूट देन का सवाल ह, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की वसूली स्थगित कर दी जाती है। इस बारे में केवल गन्ना पैदा करने वाले किसानों के लिये ही व्यवस्था नहीं की जा सकती है। यह व्यक्ति-व्यक्ति के हिसाब से किया जाता है।

श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

जिन शुगर मिलों पर रिसीवर बैठे हैं और वहां 11 रुपए तथा सवा 10 रुपए के अन्दर का बकाया है, उसका भुगतान सरकार जल्दी से जल्दी करवाने की कृपा करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं मानता हूं कि सरकार की जिम्मेदारी है लेकिन रिसीवर शिप वाले मामले में कितनी कठिनाई पेश आ रही है, यह माननीय सदस्य को कदाचित ज्ञात होगा। एक तरफ हाई कोर्ट में मामले चल रहे हैं और हमसे यह अपेक्षा की जाती है कि हम उन मिलों में अधिक रुपया न लगायें, मिलों के रख-रखाव तथा उनके विकास में। इस कारण जितनी उनकी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है, वह भी नहीं बढ़ाई जा सकती। जहां तक भुगतान का सम्बन्ध है, बीमार मिलों पर बकाए का, सरकार करोड़ों रुपया सबसिडी के रूप में दे चुकी ह, ताकि गन्ने की कीमत का पूरा भुगतान हो सके और आगे भी आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार देगी, लेकिन माननीय सदस्य यह स्वीकार करेंगे कि अनावश्यक सबसिडी नहीं दी जा सकती है, जितनी आवश्यक है उतनी ही दी जाय।

श्री भूप सिंह केन (जिला मेरठ)—

क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि नए गन्ने के भुगतान के साथ-साथ पुराने बकाए का भुगतान भी किया जा सके ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

दोनों भुगतान चलते रहेंगे। सदन ने जो ऐक्ट पास किया है, उसके अनुसार 85 परसेन्ट चीनी की कीमत को इम्पाउन्ड कर दिया है। डी0 एम0 ने और गन्ने की कीमत सीधे सोसाइटी को बैंक से पेमेन्ट होती है।

वाराणसी के ग्राम मेहन्दीगंज के प्रधान एवं अन्य व्यक्तियों को पुलिस द्वारा मारे-पीटे जाने की घटना

*13—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना मिर्जामुराद, जिला वाराणसी से एस0 ओ0 और पुलिस कर्मचारियों द्वारा गांव सभा मेहदीगंज, थाना मिर्जामुराद, वाराणसी के प्रधान तथा चार व्यक्तियों को बुरी तरह के पीटने के सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र डाक्टरी मुआइना की नकल के सहित अपने पत्र के साथ तारीख 3 जनवरी, 1976 को प्रश्नकर्ता ने एस0 एस0 पी0, वाराणसी को दिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री धर्मवीर—

जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार थाना मिर्जामुराद, जिला वाराणसी की पुलिस द्वारा ग्राम मेहदीगंज, थाना मिर्जामुराद, जिला वाराणसी के प्रधान एवं अन्य व्यक्तियों को मारे-पीटे जाने के बारे में डाक्टरी मुआयना की नकल सहित एक प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांकित 3 जनवरी, 1976 के साथ ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को मिला था। प्रार्थना-पत्र में लगाए गए आरोपों की जांच कराई गई। जांच से पुलिस के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हुए तथा गिरफ्तारी के दौरान चोटों का आना प्रतीत हुआ।

श्री ऊदल—

क्या सरकार बताएगी कि किस दफा में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया ?

श्री धर्मवीर—

दफा 151 में।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

मान्यवर, यह जो मारपीट की नौबत आई इसमें प्रधान को ही क्यों पीटा गया, पुलिस वालों से उसमें कितनी चोटें प्रधान को आई ? ऐसा लगता है कि जानबूझ कर पीटा गया।

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, उसमें गिरफ्तारी के दौरान चोटें आईं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

क्या वह मेडिकल रिपोर्ट पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, उसमें कोई खास चोटें नहीं आईं । डाक्टरी मुआइना हमारी तरफ से कराया जा रहा है । उन्होंने नहीं करवाया ।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

मान्यवर, इसमें जो 151 दफा में गिरफ्तारियां हुईं, यह प्रधान की पार्टी की ही गिरफ्तारियां हुईं या दूसरी पार्टी की भी हुईं ? अगर दूसरी पार्टी की हुईं तो उनके क्या नाम हैं ?

श्री धर्मवीर—

दोनों पार्टी की गिरफ्तारियां हुईं । प्रथम पार्टी के फुनई उर्फ फुन्ना, सरीफ और दूसरी पार्टी के नजीर, अजीर लक्कड़ उर्फ हरचरन, दीनानाथ ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

क्या दूसरी पार्टी के लोगों को भी दौरान गिरफ्तारी के चोटें आईं ?

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, इसकी सूचना नहीं है ।

थानाध्यक्ष, पसगवां, लखीमपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*14—श्री भीखा लाल—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि थानाध्यक्ष, पसगवां, जिला लखीमपुर खीरी के विरुद्ध डमौरा गांव के सम्भ्रान्त व्यक्तियों को मारने-पीटने, झूठे मुकदमों में फांस देने आदि के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र वहां की जनता से अक्तूबर, 1975; जनवरी, 1976 तथा अप्रैल, 1976 को प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो सम्बन्धित थानाध्यक्ष का तबादला करके जांच कराई गई, जांच से क्या तथ्य प्रकाश में आए ? यदि जांच नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री धर्मवीर—

प्रश्न में उल्लिखित आशय का श्री गिरजा दयाल यादव, लाइनमैन, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्, बाराबंकी मूल निवासी ग्राम डमौरा, थाना पसगवां, जिला लखीमपुर खीरी का एक शिकायती प्रार्थना-पत्र अप्रैल, 1976 में शासन को प्राप्त हुआ था । इसमें उल्लिखित शिकायतों की जांच उप पुलिस अधीक्षक, खीरी द्वारा की गई थी । जांच से थानाध्यक्ष; पसगवां के विरुद्ध शिकायतें प्रमाणित नहीं हो सकी थीं अत: उनके स्थानान्तरण अथवा उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जांच से पाया गया कि प्रार्थी के पिता व भाई राधेश्याम अवांछनीय तत्व हैं, अत : उनके विरुद्ध समुचित वैधानिक कार्यवाही की गई है ।

श्री गिरजा दयाल यादव का 1 अक्तूबर, 1975 का प्रार्थना-पत्र भी प्राप्त हुआ था किन्तु उसमें पुलिस के विरुद्ध शिकायत नहीं थी । डमौरा की जनता का जनवरी, 1976 का कोई प्रार्थना-पत्र पुलिस के विरुद्ध प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है ।

ग्राम भरसार, गोरखपुर में होलिका दहन के अवसर पर गोली-काण्ड एवं सहजनवां थाने में कथित अंकित रिपोर्ट

*15—श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

प्रथम सत्र 1976 के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बताएगी कि दिनांक 15 मार्च, 1976 की रात में

होलिका दहन के विवाद को लेकर ग्राम भरसाड़, जिला गोरखपुर (सहजनवां थाना) में तनाव की सूचना स्थानीय पुलिस सहजनवां को थी ? यदि हां, तो उसे समाप्त करने हेतु कौन-कौन से उपाए किए गये ? यदि नहीं, तो उपरोक्त तनाव के कारण दिनांक 16 मार्च, 1976 को दिन में 3 बजे हुए भीषण गोली कान्ड का कौन उत्तरदायी है ? क्या सरकार इसकी जांच करा कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

दिनांक 15 मार्च, 1976 की रात में होलिका दहन के विवाद को लेकर ग्राम भरसाड़, थाना सहजनवां, गोरखपुर में तनाव होने की कोई पूर्व सूचना सहजनवां थाने की पुलिस को नहीं थी। अत : उसे समाप्त करने हेतु किसी प्रकार की कार्यवाही या उपाए किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

डिप्टी जेलरों और सहायक जेलरों का स्थायीकरण और उनको दिया जाने वाला वर्दी भत्ता

*16—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोन्डा) (अनुपस्थित)—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कारागार विभाग में कितने डिप्टी जेलर एवं सहायक जेलर हैं जिनकी सेवायें 3 साल से अधिक हो गई हैं और वह अस्थायी हैं ? क्या सरकार उनकी सेवाओं को कनफर्म करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

दिनांक 1 अक्तूबर, 1976 को कारागार विभाग में तीन वर्ष से अधिक सेवा वाले अस्थायी डिप्टी जेलरों एवं सहायक जेलरों की संख्या क्रमश : 79 व 102 थी। उनमें से 46 डिप्टी जेलरों तथा 19 सहायक जेलरों को स्थायी किया जा रहा है। शेष उप जेलरों तथा सहायक जेलरों को स्थायी करना सम्भव नहीं है। क्योंकि वे स्थानापन्न रूप से या अस्थायी पदों पर कार्यरत हैं ?

*17—श्री त्रिवेणी सहाय (अनुपस्थित)—

क्या कारागार मन्त्री को यह जानकारी है कि कारागार विभाग के अधिकारियों को सूती तथा ऊनी वर्दी बनवाने हेतु 5 साल में केवल 250 रुपए भत्ता दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या इस भत्ते को 500 रुपए कर देने पर विचार करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां। 1973 से कारागार विभाग के उप अधीक्षक, जेलर, उप जेलर तथा सहायक जेलरों को प्रत्येक पांच वर्ष में 250 रुपए की समान दर से वर्दी भत्ता दिया जाता है।

उक्त भत्ते को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव इस समय शासन के विचाराधीन नहीं है।

श्री खूब चन्द विधायक को पीटे जाने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, एटा का निलम्बन और जांच रिपोर्ट

*18—श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि एटा के कांग्रेसी विधायक श्री खूब चन्द ने एटा के पुलिस अधीक्षक को, एटा जिले के अन्तर्गत पुलिस थाना आमापुर के पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध ऐसी कौनसी शिकायत लिखित दी थी कि जिसकी सुनवाई न करने के कारण दिनांक 30 अप्रैल, 1976 को एटा के पुलिस अधीक्षक को निलम्बित किया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्री खद चन्द ने पुलिस अधीक्षक, एटा से कोई ऐसी शिकायत नहीं की थी जिसकी सुनवाई नहीं की गई हो। पुलिस अधीक्षक को निलम्बित किए जाने का कारण यह था कि दिनांक 30 अप्रैल, 1976 को सदन में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया था जिसमें अन्य बातों के

अतिरिक्त एक गम्भीर आरोप यह था कि थाना अमापुर के कुछ सिपाहियों ने दिनांक 25 अप्रैल, 1976 को अकारण ही श्री शाक्य को पीटा और चोटों के कारण वे अगले दिन विधान सभा की कार्यवाही में सम्मिलित न हो पाए। सदन द्वारा मांग किए जाने पर स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक को निलम्बित करने का आश्वासन दिया गया था और उसके फलस्वरूप उन्हें निलम्बित किया गया था।

*19—श्री मोती लाल देहलवी (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि पुलिस थाना आमापुर, जिला एटा के थाना इन्चार्ज व द्वितीय थाना इन्चार्ज और 5 सिपाहियों तथा पुलिस अधीक्षक को दिनांक 30 अप्रैल, 1976 को निलम्बित करने के बाद माननीय विद्युत्, श्रम तथा स्वायत्त शासन मन्त्री ने समूची घटना की जांच सी0आई0डी0 की सहायता के साथ आगरा मन्डल के कमिश्नर साहब से कराने का आश्वासन दिया था और जांच रपट 3 दिन के अन्दर पेश होनी थी? यदि हां, तो कमिश्नर साहब की जांच रपट का ब्यौरा क्या है तथा विधायक श्री खूबचन्द शाक्य को पुलिस द्वारा बुरी तरह पीटे जाने का कारण क्या था?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां। इस मामले की जांच मण्डलायुक्त, आगरा ने की थी। उनकी प्रथम रिपोर्ट 2 मई को और अन्तिम रिपोर्ट 23 मई, 1976 को प्राप्त हुई थी? जांच की रिपोर्ट† संलग्न है जिसमें इस काण्ड का पूरा ब्योरा दिया हुआ है।

कानपुर के शेखपुर गांव में डकैती की घटना

*20—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 2 अप्रैल, 1975 को कानपुर जिले में महराजपुर के पास शेखपुर गांव में रात में 10 बजे के करीब सुखलाल के घर पर भीषण डकैती पड़ी थी तथा जिसमें एक व्यक्ति मर गया और कई घायल हो गए? यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की? डकैती की एफ0आई0आर0 क्या है और क्या कोई डकैत पकड़ा गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

कानपुर जिले के थाना महराजपुर अन्तर्गत ग्राम शेखपुर में श्री सुखलाल के यहां दिनांक 1/2 अप्रैल, 1975 की रात में बन्दूक तमन्चा व लाठी से लैस 7-8 डकैतों द्वारा डकैती डाले जाने तथा ग्राम के कुछ लोगों द्वारा डकैतों का मुकाबला किए जाने की सूचना उसी रात ग्राम के चौकीदार द्वारा थाने पर दी गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी को नामजद नहीं किया गया था। सूचना मिलने पर पुलिस दल तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुआ परन्तु घटनास्थल पर पहुंचने के पहले ही डकैत डकैती डाल कर भाग चुके थे। इस डकैती में एक व्यक्ति की मृत्यु गोली लगने के फलस्वरूप अस्पताल में हुई तथा एक अन्य व्यक्ति को डन्डे की मामूली चोटें आईं। घटना के सम्बन्ध में दर्ज मुकदमे की विवेचना के दौरान प्रकाश में आए 8 अभियुक्तों में से 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। सबूत तसदीक न होने के कारण दो अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। गिरफ्तार शुदा 6 अभियुक्तों की कार्यवाही शिनाख्त में किसी ने भी शिनाख्त नहीं किया अत: सभी को धारा 169 जा0फौ0 के अन्तर्गत रिहा कर दिया गया और मुकदमें की विवेचना अन्तिम रिपोर्ट लगा कर समाप्त कर दी गई।

*21—श्री बाबू लाल वर्मा—

[पुनर्विचार पर निरस्त।]

---

†छापी नहीं गई।

सचिवालय की महिला कर्मचारी के चिकित्सा अवकाश प्रार्थना-पत्र पर स्वीकृति न मिलना

*22—**श्री दशरथ सिंह** (जिला गोन्डा) (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि गत तीन माह की अवधि में सचिवालय के प्रशासनिक सुधार विभाग की किसी महिला कर्मचारी द्वारा प्रेषित चिकित्सा अवकाश प्रार्थना-पत्र जिसके साथ अधिकृत चिकित्साधिकारी का प्रमाण--पत्र संलग्न था, अन्य उच्च चिकित्सा अधिकारी की राय मांगे बिना अस्वीकृत कर दिया गया और उसे ड्यटी ज्वाइन करने के आदेश दिए गए ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किए जाने का क्या कारण था और इस अनियमित कार्य के लिए कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या सरकार तथ्य की जानकारी करा कर सम्बन्धित अधिकारी के प्रति कठोर कार्यवाही करेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां। कार्यवाही नियमानुकूल तथा शासकीय कार्य के हित में थी। अत : इसके लिए किसी अधिकारी को दोषी ठहराने अथवा उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

बाराबंकी के ग्राम महमूदाबाद निवासी श्री राम भरोसे का ग्राम से कथित निष्कासन

*23—**श्री बेनी प्रसाद वर्मा** (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि ग्राम महमूदाबाद, थाना सफदरगंज, जिला बाराबंकी के निवासी राम भरोसे पुत्र छतई हरिजन को उसके मकान से गांव के भूतपूर्व जमींदार ने लगभग 2 माह पूर्व जबरदस्ती निकाल दिया है जिससे इस क्षेत्र के हरिजनों में आतंक व्याप्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या शासन को इस सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र मिले हैं या नहीं ? यदि मिले हैं तो शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्री राम भरोसे पुत्र छतई हरिजन, साकिन महमूदाबाद, जिला बाराबंकी, जो नट जाति के हैं, ग्राम महमूदाबाद में नसीम पुत्र अब्दुल वाजिद व मु0 हमीदुननिशां बेवा फरीद अहमद, साकिन महमूदाबाद की बाग में झोपड़ी डालकर रहते थे। यह खाना बदोश किस्म के आदमी हैं जो इधर-उधर डेरा डाल कर भीख मांग कर गुजर करते हैं। गांव की पार्टीबन्दी से प्रभावित होकर राम भरोसे ने पुलिस अधीक्षक को कुछ प्रार्थना-पत्र श्री नसीम के विरुद्ध दिए थे जिनकी जांच करायी गयी। जांच से किसी जुर्म का होना नहीं पाया गया और न शान्ति भंग का अन्देशा ही पाया गया ? यह सही नहीं है कि राम भरोसे उपरोक्त को उसके घर से निकाला गया।

क्षेत्र के हरिजनों में आतंक व्याप्त होने की बात सही नहीं है।

*24—**श्री दयाराम भास्कर**—

[उरे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

मिर्जापुर व फतेहपुर में आन्तरिक सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरुद्ध अध्यापक एवं प्राध्यापक और राजनैतिक बन्दियों का अनुरक्षण भत्ते हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्र

*25—**श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपातकालीन की घोषणा के बाद आन्तरिक सुरक्षा कानून के अन्तर्गत जिला मिर्जापुर एवं फतेहपुर में अराजकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं, डिग्री तथा पोस्ट-ग्रेजुएट कालेजों के कितने अध्यापक एवं प्राध्यापक निरूद्ध हैं ? क्या ऐसे निरुद्ध व्यक्तियों को निलम्बित भत्ता दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्रश्न का उत्तर देना लोकहित में न होगा

*26—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (अनुपस्थित)—

क्या राज्य सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मिर्जापुर व फतेहपुर के आन्तरिक सुरक्षा कानून के अन्तर्गत कितने निरुद्ध राजनैतिक बन्दियों ने अनुरक्षण-भत्ता हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है? उनमें से कितनों को इस समय भत्ता मिल रहा है? कितनों को नहीं? न मिलने का कारण क्या है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्रश्न का उत्तर देना लोक हित में नहीं होगा।

*27—श्री भीखा लाल—

[पुनर्विचार पर निरस्त।]

ग्राम दरगौली टोला, देवरिया में श्री पारस की हत्या

*28—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या पुलिस मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के खड्डा थाना के दरगौली ग्राम में 27/28 मई, 1976 की रात्रि में पारस नामक युवक की निर्मम हत्या की गई? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पुलिस क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री वासदेव प्रसाद यादव, निवासी ग्राम दरगौली टोला, कठहरा, जिला देवरिया ने दिनांक 28 मई, 1976 को थाना खड्डा पर इस आशय की लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की कि दिनांक 27 मई, 1976 की शाम को करीब 5.30 बजे पारस निवासी ग्राम छितौनी टोला, मेड़िहरवा, देवरिया उनसे कुछ पैसा कर्ज के रूप में मांगने आया जिसे उन्होंने नहीं दिया। रात में जब वह लौटने लगा तो ग्राम दरगौली के इन्द्र देव और सुन्दर देव ने उसे रोका इस पर पारस वादी के यहां वापस आकर सो गया। रात में लगभग 1.30 बजे उक्त दो तथा ग्राम दरगौली के ही आठ अन्य नामजद अभियुक्तों ने आकर बांसों से मार पीट कर पारस को घायल किया। वादी द्वारा बचाने की कोशिश पर एक अभियुक्त ने वादी को भी मार पीट कर गिरा दिया। अभियुक्तगण पारस को बिस्तर से उठाकर अभियुक्त विश्वनाथ के दरवाजे पर ले गए जहां वह चोट के कारण मर गया। पारस की एक नामजद अभियुक्त इन्द्र देव से चिड़िया के शिकार के सम्बन्ध में कभी कहा सुनी हुई थी।

उपरोक्त सूचना के प्राप्त होने पर थाने पर दिनांक 28 मई, 1976 को ही एक मुकदमा धारा 147/323/302 भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत दसों नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कायम किया गया व विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के उपरान्त दसों नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

जिला कारागार, गोन्डा में बन्दी श्री भिखारी द्वारा आत्म हत्या

*29—श्री दशरथ सिंह (अनुपस्थित)—

क्या जेल मन्त्री को यह जानकारी है कि दिनांक 10 अप्रैल, 1976 को गोन्डा जेल में किसी कैदी (हवालाती) ने आत्म-हत्या कर ली थी? यदि हां, तो क्या उक्त व्यक्ति के आत्म- हत्या के कारण की जांच कराई गई? यदि हां, तो किसके द्वारा तथा जांचकर्ता अधिकारी ने अपनी जांच की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण की है और उस जांच में कितने लोगों का बयान लिया गया?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां। दिनांक 10 अप्रैल, 1976 को जिला कारागार, गोन्डा में भिखारी पुत्र सुकई नाम के विचाराधीन बन्दी ने आत्म हत्या की थी। इस घटना की जांच मजिस्ट्रेट तथा विभागीय अधिकारी, क्षेत्रीय उप कारागार महानिरीक्षक, गोरखपुर ने की थी। क्षेत्रीय

उप कारागार, महानिरीक्षक द्वारा 27 व्यक्तियों के बयान लिए गए जिनमें जेल के कर्मचारी तथा अधिकांश वह बन्दी शामिल हैं जो घटना के दिन जेल में मौजूद थे। साथ ही साथ जेल में उपलब्ध घटना सम्बन्धी प्रपत्रों को देखा गया जिसमें कुछ शिकायती-पत्र थे। शव परीक्षण रिपोर्ट तथा गवाहों के बयान के आधार पर विभागीय जांच प्रक्रिया पूर्ण की गई। मजिस्टीरियल जांच अभी जारी है।

लखनऊ में कार्यरत पुलिस अधीक्षकों को आवास क आवंटन

*30—श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में कितने पुलिस अधीक्षक नियुक्त हैं उनमें से कितनों को सरकार द्वारा आवास आबंटित किए गए हैं और किन-किन को अभी तक नहीं मिला और जिनको नहीं आबंटित किए गए उनको लखनऊ में आए कितना समय हो गया है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

लखनऊ मे 30 पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों में से 20 को सरकारी आवास आबंटित हैं एक अधिकारी श्री हरिदेव पिल्ले अपनी पत्नी के आबंटित सरकारी आवास में रह रहे हैं और शेष 9 अधिकारियों को सरकारी आवास नहीं मिल सका। जिनको सरकारी अवास नहीं मिल सका है उनके नाम एवं लखनऊ में उनकी नियुक्ति की तिथि संलग्न तालिका में अंकित है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 713 पर।)

जिला जेल, गोरखपुर के अनअपराधी पागल बालक श्री सुरेश की मुक्ति

*31—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश की जेलों में बहुत से ऐसे बन्दी पांच, सात साल से बन्द हैं जिन पर न तो इस समय कोई मुकदमा चल रहा है और न किसी मुकदमें में उनको सजा मिली है ? यदि हां, तो सरकार ऐसे बन्दियों की रिहाई के प्रश्न पर विचार करेगी ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि गोरखपुर जिला जेल में बन्द उपरोक्त किस्म के बन्दी लड़के सुरेश की रिहाई का प्रबन्ध करेगी जो आठ साल से जेल में बन्द है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इस समय राज्य की जेलों में इस प्रकार का कोई भी बन्दी नहीं है। अतः उनके रिहा किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

अन अपराधी पागल बालक सुरेश दिनांक 24 सितम्बर, 1970 को न्यायालय के आदेश से जेल में बन्द किया गया था और न्यायालय के ही आदेश से दिनांक 20 मार्च, 1976 को कारागार से मुक्त किया जा चुका है।

थाना मीरानपुर कटरा, शाहजहांपुर की पुलिस के विरुद्ध प्रधानों का शिकायती-पत्र

*32—श्री रेवती रमण सिंह (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1976 के प्रथम सोमवार के दिनांक 5 अप्रैल, 1976 के तारांकित प्रश्न संख्या 40 तथा उसी सत्र के 2रे सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 35 के उत्तरों के सन्दर्भ में क्या मुख्य मन्त्री कृपया प्रधानों के दोनों शिकायती प्रार्थना-पत्र सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे और इस विशेष मामले की जांच अभिसूचना विभाग या मजिस्ट्रेट द्वारा कराने का आदेश देंगे क्योंकि इमरजेन्सी के दुरुपयोग का प्रश्न उनमें निहित है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्रश्न में उल्लिखित प्रधानों के दोनों शिकायती प्रार्थना-पत्रों के तथ्यों से सम्बन्धित मामले न्यायालय के विचाराधीन हैं, अत : उक्त प्रार्थना-पत्रों को सदन की मेज पर रखना उपयुक्त नहीं है और न ही इसकी जांच अभिसूचना विभाग या मजिस्ट्रेट द्वारा कराए जाने का प्रश्न उठता है।

टिहरी-गढ़वाल की लूचूखेत विजयपुर सिंचाई नहर के निर्माण की मांग

*33—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला टिहरी-गढ़वाल के प्रताप नगर विकास खंड के अन्तर्गत लूचूखेत-विजपुर सिंचाई नहर का वर्ष 1955-56 के आस-पास सर्वेक्षण किया गया था ? यदि हां, तो उसका निर्माण अब तक क्यों नहीं प्रारम्भ किया गया ? क्या सरकार इसका पुन : सर्वेक्षण कराकर इसके निर्माण के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

स्थानीय जांच के पता चला है कि बीस पच्चीस वर्ष पहले प्रश्नगत नहर का सर्वेक्षण हुआ था। बहुत समय व्यतीत हो जाने से तथा अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण यह नहीं पता चल सका कि नहर का निर्माण किन कारणों से नहीं हो सका। इस नहर का सर्वेक्षण किया जाएगा और उसके बाद ही इसके निर्माण के प्रश्न पर विचार हो सकेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

मान्यवर, 25 वर्ष पहले के अभिलेख गायब हो गये कोई बात नहीं। तो क्या अब माननीय मन्त्री जी आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि अगले वर्ष में इसका दुबारा सर्वेक्षण करके निर्माण हेतु कार्य के आदेश दे दिए जायेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

यह प्रस्तावित नहर 10 किलोमीटर लम्बी है। इसके लिए सर्वेक्षण किया जाएगा और फीजिब्लिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी तथा धन उपलब्ध होने पर उसका निर्माण भी किया जाएगा।

अल्मोड़ा के पातली बगड़ कान्ड की जांच

*34—श्री गोविन्द सिंह नेगी —

क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला अल्मोड़ा के पातली बगड़ कान्ड की जो जांच सी0आई0 डी0 को सौंपी गई थी क्या वह पूरी हो गई ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ? क्या यह सही है कि सम्बन्धित डी0-वाई0 एस0 पी0 को अभी तक निलम्बित नहीं किया गया ? यदि हां , तो क्यों ?

श्री धर्मवीर—

प्राप्त सूचना के अनुसार जिला अल्मो । के पातलीबग ;नामक स्थान पर घटित घटना के सम्बन्ध में अंकित कराए गए अभियोगों की विवे ना अभी अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा की जा रही है।

अब तक की जांच से पुलिस उपाधीक्षक के विरुद्ध ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ जिसके आधार पर उनका निलम्बन किया जाता।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

इसमें पुलिस उपाधीक्षक ने लोगों को अपनी पिस्तौल से मार गिराया था, तो क्या मन्त्री जी को सूचना है कि यह बात साबित हो चुकी है कि इस डी0-वाई0 एस0 पी0 ने अपनी गोली से इन आदमियों को मारा था ?

श्री धर्मवीर---

इसकी जांच अनुसन्धान विभाग कर रहा है, अभी उसकी कोई आख्या शासन को प्राप्त नहीं हुई है और न ऐसी कोई सूचना है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी ---

इस कान्ड के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि मृतकों को मुआवजा दिया जाए, तो क्या यह काफी नहीं है कि यह डकैत नहीं थे, बल्कि उनको मारा गया ?

श्री धर्मवीर---

यह मुआवजा देना अलग प्रश्न है और जुर्म साबित होना अलग प्रश्न है।

देवरिया की छितौनी और गोरखपुर की धुधली चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य

*35---श्री श्रीनारायण---

क्या गन्ना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के छितौनी और गोरखपुर जिले की धुधली चीनी मिलों के जिम्मे गन्ना किसानों का अब तक कुल कितना-कितना गन्ने का दाम बाकी ह और उसके भुगतान के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

दिनांक 30 सितम्बर, 1976 की स्थिति के अनुसार देवरिया जिले की छितौनी और गोरखपुर जिले की धुधली चीनी मिलों पर क्रमश: 11.81 लाख रुपए एवं 26.18 लाख रुपए का गन्ना का मूल्य बकाया है।

बकाया गन्ना मूल्य की वसूली के लिए निरन्तर प्रयास जारी है। चीनी मिलों को यह भी निदेश दिए गए हैं कि वे अपनी स्थाई सम्पत्ति के आधार पर बैंक से ऋण लेकर गन्ना मूल्य की बकाया धनराशि का भुगतान करने की व्यवस्था करें।

बलिया में नगरा के थानाध्यक्ष द्वारा पकड़ा गया चावल

*36---श्री रघुनाथ (जिला बलिया)---

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बलिया जिला के अन्तर्गत नगरा थाने के थानाध्यक्ष ने छापा मार कर 305 बोरी चावल कटौझा घाट के समीप, जून, 1976 को बरामद किया। यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 7 जून, 1976 को थाना नगरा, जिला बलिया की पुलिस ने ग्राम डिहवा के निकट तीन ट्रकों पर लदे हुए 305 बोरे चावल का पकड़ा था और ट्रक म उपस्थित नौ व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया था। इस सम्बन्ध में धारा 3/7 ई0सी0 ए0, 114 डी0 आई0 आर0 के अन्तर्गत मुकदमें कायम किए गए जिनमें विवेचना के पश्चात् अभियुक्तों का चालान न्यायालय में किया गया। मुकदमें न्यायालय में विचाराधीन हैं ?

गढ़वाल एवं कुमायूं मन्डल के असहायिक जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची में सम्मिलित किए जाने के आदेश

*37---श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मार्च, 1976 में गढ़वाल एवं कुमायूं मन्डल में कितने व्यक्तिगत जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची पर लाया गया है ? क्या जिन मानकों को आधार मानकर इन जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची पर लाया गया है उन्हीं मानकों वाले कोई स्कूल इस सूची में आने से रह गए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या 34 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मार्च, 1976 में इन दो मन्डलों के कुल 46 व्यक्तिगत असहायिक स्थाई मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची में सम्मिलित करने के आदेश जारी किए गए थे।

व्यक्तिगत असहायिक स्थाई मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची में लाने के लिये शासन द्वारा मानक निर्धारित है। प्रति वर्ष ऐसे समस्त विद्यालयों से आवेदन-पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। और प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त जो विद्यालय निर्धारित मानक पूर्ण करते हैं उनको वित्तीय प्राविधान के अनुसार अनुदान सूची में सम्मिलित किया जाता है। गत वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवेदन-पत्रों में केवल 46 विद्यालय ही मानकों के आधार पर अर्ह पाए गए और उनको अनुदान सूची में सम्मिलित करने के आदेश जारी किए गए।

*38—श्री दीप नारायण पान्डेय—

[पुनर्विचार पर निरस्त।]

पिथौरागढ़ के धर्मघर स्थान पर श्री केशरराम की हत्या

*39—श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद पिथौरागढ़ के धर्मघर में दिनांक 1 जुलाई, 1976 को एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को पीटकर मारा गया है? यदि हां, तो उसकी जांच कब आरम्भ हुई और मृतक की मां द्वारा क्षेत्रीय पटवारी को दिनांक 7 जुलाई, 1976 को रिपोर्ट देने पर भी इसकी जांच और कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ के स्थान धर्मघर में दिनांक 1 जुलाई, 1976 को श्री केशर राम पुत्र श्री पाना राम हरिजन निवासी ग्राम फरसाली, पट्टी लल्ला, दानपुर, जिला अल्मोड़ा की मृत्यु के सम्बन्ध में मृतक की मां द्वारा परगना मजिस्ट्रेट, डीडीहाट को दिनांक 12 जुलाई, 1976 को लिखित रिपोर्ट दिए जाने पर धारा 302 भा० दं० वि० का मुकदमा कायम कर दिनांक 13 जुलाई, 1976 को विवेचना आरम्भ की गयी। विवेचना के उपरान्त प्रकाश में आए चारों अभियुक्तों का चालन अदालत किया जा चुका है।

मृतक की मां द्वारा उक्त घटना की मौखिक रिपोर्ट पट्टी पटवारी को दिनांक 5 जुलाई, 1976 को दिया जाना प्राप्त हुआ जिस पर पटवारी ने कोई कार्यवाही नहीं की। पटवारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अदहो, बस्ती के सहायक अध्यापक का मार-पीट सम्बन्धी तार

*40—श्री रामपति (जिला गोन्डा) तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोंडा)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के ढेबरुआ थाना के अन्तर्गत माह अक्तूबर, 1975 में नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, औदही के शिक्षकों द्वारा उसी विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं कुछ अन्य असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए अत्याचार एवं मारे-पीटे जाने के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है तथा पुलिस ने आज तक क्या कार्यवाही किया? यदि नहीं किया, तो क्यों और कब तक करेगी?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित आशय की कोई रिपोर्ट अक्तूबर, 1975 में थाना ढेबरुआ जिला बस्ती में प्राप्त नहीं हुई। परन्तु दिनांक 22 अक्तूबर, 1975 को श्री अष्टभुजा प्रसाद पांडे, सहायक अध्यापक, नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, औदही, थाना ढेबरुआ, जिला बस्ती ने एक तार पुलिस अधीक्षक, बस्ती को इस आशय का अवश्य भेजा

था कि प्रधानाचार्य तथा गुन्डे अध्यापकों को मारपीट रहे हैं तथा सामान लूट रहे हैं और विद्यालय बन्द है।

उक्त तार की जांच कराई गई। जांच से ज्ञात हुआ कि उक्त विद्यालय के पांच अध्यापकों को अप्रशिक्षत होने के कारण निकाल दिया गया था। इसी बात को लेकर आपस में कुछ कहा सुनी हो गई थी व इसी कारण तार दिया गया था। इसके बारे में दोनों पक्षों को समझा दिया गया कि वे अपने विभाग के अधिकारियों द्वारा मामले का निर्णय करा लें। जांच से तार में उल्लिखित आरोप सही नहीं पाए गए। अत : पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही आपेक्षित नहीं पाई गई।

मीसा के अन्तर्गत निरुद्ध व्यक्तियों का अनुरक्षण भत्ता

*41--श्री शारदा भक्त सिंह (जिला हरदोई) तथा श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 1975 से मार्च, 1976 के बीच मीसा (राजनीतिक) के अधीन निरुद्ध कितन व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश सुरक्षा बन्दी नियमावली, 1971 के नियम 51 के अन्तर्गत अनुरक्षण भत्ता देने के लिए स्वयं उनके (बन्दियों) अथवा उनके आश्रितों द्वारा शासन को आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ? उनमें से कितनों को अगस्त, 1976 तक भत्ता प्राप्त हो गया ? जिनको नहीं मिला, उनको कब तक प्राप्त हो जाएगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

वांछित सूचना देना लोक हित में न होगा।

थाना गोला, खीरी की पुलिस द्वारा छात्रों पर कथित लाठी चार्ज

*42--श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी--

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मई, 1975 में 4 से 12 तारीख के बीच किसी दिन पुलिस (थाना गोला, जिला खीरी) द्वारा गोला नगर में छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया ? यदि हां, तो लाठी चार्ज किसके आदेश पर किया गया तथा क्यों किया गया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मई, 1975 में 4 से 12 तारीख के बीच किसी दिन पुलिस (थाना गोला, जिला खीरी) द्वारा गोला नगर में छात्रों पर लाठी चार्ज नहीं किया गया ?

सर्वश्री गौरी शंकर, राधेश्याम एन्ड कम्पनी, झांसी के विरुद्ध अपलिखित किया गया बकाया सेल्स टैक्स

*43--श्री सत्य पाल मलिक (जिला मेरठ)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि शासन ने मार्च, 1976 को मेसर्स गौरी शंकर राधे श्याम एन्ड कम्पनी, झांसी के ऊपर सेल्स टैक्स की बकाया धनराशि जो लगभग 22 लाख रुपए थी को अपलिखित कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

सर्वश्री गौरी शंकर राधेश्याम के विरुद्ध बकाया 21.87 लाख की धनराशि अपलिखित की गई क्योंकि उसकी वसूली की कोई सम्भावना नहीं थी ?

ग्राम इच्छापुरवा, गोन्डा में विद्युत विभाग के श्री अलख राम कर्मचारी की मृत्यु

*44--श्री दीपनारायण पान्डेय (जिला गोन्डा)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8 अगस्त, 1976 को श्री अलख राम मस्टर रोल कर्मचारी की मृत्यु बिजली का शाक लगने से इच्छा पुरवा,

तहसील गोन्डा, थाना खरगूपुर, जिला गोन्डा में हो गई तथा इस मृत्यु को स्टेशन इन्चार्ज थाना पुलिस खरगूपुर, जिला गोन्डा व जूनियर इन्जीनियर हल्का खरगूपुर ने सांप के काटने से मृत्यु दिखाया है? क्या इसकी शिकायत श्री काशी सिंह ने बिजली कर्मचारी संघ की ओर से जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक, गोन्डा को हाल ही में की? यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही हुई?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

पुलिस रिकार्ड के अनुसार बिजली विभाग के मस्टर रोल कर्मचारी अलखा राम की, ग्राम इच्छा पुरवा के क्षेत्र में दिनांक 8 जून, 1976 को कार्य करते समय सांप के काटने से मृत्यु होने की लिखित सूचना उसी दिन के0 वी0 विद्युत् उप गृह, खरगूपुर, गोन्डा के जूनियर इन्जीनियर द्वारा थाना खरगूपुर पर दी गई थी। थाने के रोजनामचे में सूचना अंकित होने के उपरान्त एक सब-इन्सपेक्टर ने मृतक के शव का पंचायतनामा तैयार किया। पंचायतनामे के गवाहों में मृतक का पिता एवं बहनोई भी थे। चूंकि इस मामले में किसी अपराध के होने का संदेह नहीं था, अतः पंचायत नामे के बाद सब-इन्सपेक्टर ने लाश मृतक के पिता को अन्त्येष्टि के लिए दे दी। बाद में इस बारे में श्रीमन् नारायण एवं दो अन्य द्वारा जिलाधिकारी से लिखित शिकायत की गई है कि अलख राम की बिजली का करेन्ट लगने से मृत्यु हुई थी और जूनियर इन्जीनियर और खरगूपुर के दरोगा की साजिश से मृतक के परिवार वालों को धमका कर तथा सांप के काटने की घटना दिखाकर फर्जी पंचायतनामा तैयार किया गया है। शिकायतकर्ताओं ने मृतक की पत्नी को मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। जिलाधिकारी, गोन्डा के आदेश से, परगनाधिकारी गोन्डा इस विषय में जांच कर रहे हैं।

*45--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

[पुनर्विचार पर निरस्त।]

बहराइच ग्राम कथापुर के निवासियों का थाना भिनगा के थानेदार के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*46--श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या सरकार को जानकारी है कि थाना भिनगा, जिला बहराइच के एक दरोगा द्वारा एक हजार रुपया नाजायज लिए जाने व जानमाल की धमकी दिए जाने के सम्बन्ध में कथापुर, थाना भिनगा के असामियों श्री राम अवध व राम सागर आदि द्वारा शिकायती-पत्र मुख्य मन्त्री व आई0 जी0, लखनऊ डी0 आई0 जी0, फैजाबाद को रजिस्ट्री डाक द्वारा जुलाई अथवा अगस्त, 1976 को भेजा है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त थाने के दरोगा के खिलाफ अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

राम अवध, राम सागर व सत्य देव निवासीगण मौजा कथापुर थाना भिनगा के 2 संयुक्त प्रार्थना-पत्र दिनांकित 27 जुलाई, 1976 शासन को प्राप्त हुए थ जिनमें थाना भिनगा के थानेदार श्रीवास्तव द्वारा 1000 रुपया नाजायज लिए जाने व मारने पीटने व मुकदमों में फंसाने की धमकी दिए जाने की शिकायतें की गई थीं। दोनों प्रार्थना-पत्रों की विषयवस्तु एक ही थी। शिकायती-पत्रों की जांच क्षेत्राधिकारी, भिनगा द्वारा कराई गई। जांच से सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध लगाए गए आरोप निराधार एवं पेशबन्दी में लगाए गए पाए गए? अतः सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*47--श्री दीनानाथ सेवक--

[4थे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 28 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

गोरखपुर शहर में असामाजिक तत्वों द्वारा गोली चलाने की घटना

*48—श्री शारदा प्रसाद रावत तथा श्री अब्दुल रऊफ लारी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि गोरखपुर शहर में व्यस्त मार्गों पर गत दो माह में असामाजिक तत्वों द्वारा गोली चलाने की कितनी घटनायें हुई ? उनका पूर्ण विवरण क्या है तथा इस प्रकार की घटनाओं की रोक-थाम के लिए सरकार की ओर से तत्काल क्या-क्या कदम उठाए गए ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

गोरखपुर शहर में व्यस्त मार्गों पर जुलाई व अगस्त, 1976 के गत दो महीनों में असामाजिक तत्वों द्वारा गोली चलाए जाने की तीन घटनाएं होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। तीनों घटनाओं सम्बन्धी विवरण संलग्न हैं।

इस प्रकार के अपराधों की रोक थाम के लिए पुलिस को सतर्क कर दिया गया है तथा असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सम्बन्धित पार्टियों के विरुद्ध धारा 107/116 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत 10 रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी हैं तथा अन्य कड़ी कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है तथा सुरक्षा के कड़े प्रबन्ध किए गए हैं।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 714 पर।)

*49—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[5वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

घुघली शुगर मिल, गोरखपुर के विरुद्ध विभिन्न बकाया

*50—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)

क्या चीनी उद्योग मन्त्री को जानकारी है कि पंजाब शुगर मिल, धुधली, जिला गोरखपुर के ऊपर गन्ना किसानों, मजदूरों, बैंक का ओवर ड्राफ्ट गन्ना समिति को देय धन तथा अन्य प्रकार के सरकारी टैक्स कुल करीब 80 लाख रुपया बाकी है ? यदि हां, तो सरकार इसे शुगर कारपोरेशन को देने में विलम्ब क्यों कर रही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां, धुधली मिल मालिकों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने बैंकर्स से मिल की स्थाई सम्पत्ति के आधार पर ऋण प्राप्त कर कृषकों, श्रमिकों आदि के बकाया का शीघ्र भुगतान करें तथा आफ सीजन में मिल की मरम्मत करा कर अगले पिराई सीजन में चालू करने हेतु तैयारी कर लें।

मुरादाबाद के अमरोहा नगर में थानाध्यक्ष द्वारा लाठी एवं गोली चलाए जाने की घटना

*51—श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत अमरोहा नगर में दिनांक 14 अगस्त, 1976 को बीच बाजार में 9 बजे रात में पूर्व की भांति कुरान शरीफ का जब पाठ हो रहा था, थानाध्यक्ष सदल बल पहुंच कर (कारी) पाठ पढ़ाने वाले को पकड़ कर थाने पर ले गए ? कुछ लोगों की भीड़ थाने पर पहुंच गई, थानाध्यक्ष ने भीड़ पर लाठी चार्ज के साथ गोली चला दिया जिससे 6 आदमियों को गोली लगी, दर्जनों घायल हुए और अब तक सैकड़ों गिरफ्तार करके जेल भेजे गए ? पुलिस आतंक से जनता भयभीत हो कर घर छोड़ कर भाग रही है ? यदि हां, तो तथ्य क्या हैं और जनता को राहत देने के लिए कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्रश्न में अपेक्षित सूचना दिया जाना लोकहित में न होगा।

थानाध्यक्ष बबेरू, बांदा के विरुद्ध मारने-पीटने की शिकायत

*52—श्रीमती शान्ति देवी यादव (जिला बदायूं)—

क्या पुलिस मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा भेजे गए आदेशों एवं निर्देशों का पालन न करके थानाध्यक्ष बबेरू, जनपद बांदा ने गरीब किसान केदार पुत्र साधू व अयोध्या निवासी ग्राम पखरौली तहसील बबेरू, जनपद बांदा को बुरी तरह मारने की सूचना माह अगस्त, 1976 में प्राप्त हुई है? यदि हां, तो सरकार ने अब तक उस थानाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्राप्त सूचना के अनुसार केदार पुत्र साधू एवं अयोध्या पुत्र हजारी निवासी पखरौली, थाना बबेरू, जिला बांदा को थाना बबेरू के 3 कांस्टेबिलों ने दिनांक 5 जुलाई, 1976 को ननकाई तथा रमाशंकर से मारपीट व झगड़ा करते हुए विपक्षियों सहित धारा 151 जा0 फौ0, 160 भा0 दं0 वि0 तथा पुलिस ऐक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार किया था। इस सम्बन्ध में केदार पुत्र साधू के प्रार्थना-पत्र दिनांक 7 जुलाई, 1976 जिसमें थानाध्यक्ष, बबेरू के विरुद्ध प्रार्थी को मारने-पीटने तथा धमकी देने के आरोप लगाए गए थे, की जांच क्षेत्राधिकारी ने की। जांच के दौरान प्रार्थी ने बताया कि उसने अपने वकील के कहने से थानाध्यक्ष का नाम लिखा दिया था और उसे थानाध्यक्ष से कोई शिकायत नहीं है। जांच से आरोप सही नहीं पाए गए अतः थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री इन्द्रलाल विधायक का समाचार-पत्र "सन्देश सागर" हल्द्वानी के सम्पादक के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*53—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन के उप सचिव गृह (पुलिस) अनुभाग-3 के अ0 शा0 पत्र संख्या 4892 (2-पी) आठ 3–268–पी0–75, दिनांक लखनऊ जुलाई, 28, 1975 के द्वारा असामाजिक तत्वों के सम्बन्ध में जो आदेश दिए गए थे, वे आदेश क्या थे और इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय प्रश्नकर्ता विधायक ने शासन को दो पत्र दिनांक 29 अप्रैल, 1975 तथा 25 मई, 1975 भेजे थे। जिनमें हल्द्वानी, जिला नैनीताल से प्रकाशित होने वाले एक स्थानीय समाचार-पत्र 'सन्देश सागर' के सम्पादक के विरुद्ध कुछ असामाजिक तत्वों से मिलकर माननीय विधायक को परेशान करने के आरोप लगाए गए थे। प्रश्न में उल्लिखित पत्र द्वारा माननीय विधायक के पत्र की प्राप्ति स्वीकार की गई थी। उपरोक्त शिकायतों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, नैनीताल को समुचित जांच कराकर यथोचित कार्यवाही करने के आदेश भेजे गए थे। उक्त आरोपों की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नैनीताल द्वारा की गई। जांच से पाया गया कि उपरोक्त समाचार पत्र में कुछ वर्ष पूर्व माननीय विधायक के विरुद्ध कुछ बातें छापी गई थीं। इस सम्बन्ध में माननीय विधायक के पत्र के सम्पादक के विरुद्ध न्यायालय में मानहानि का दावा दायर कर रक्खा है, जो न्यायालय के विचाराधीन है। माननीय विधायक द्वारा अपने विपक्षियों के विरुद्ध, समय-समय पर जो रिपोर्टें पुलिस में दर्ज कराई गईं उन पर पुलिस द्वारा यथासमय आवश्यक कार्यवाही की गई। माननीय विधायक की सुरक्षा के लिए उन्हें अंगरक्षक दिया गया तथा उसके निवास-स्थान पर सशस्त्र गारद लगाई गई।

जिला जेल व माडल जेल, लखनऊ के जेलरों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनैतिकता सम्बन्धी शिकायतें

*54—श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जिला जेल, लखनऊ व माडल जेल, लखनऊ के किन-किन जेलरों के खिलाफ वैश्यागमन, रिश्वतखोरी, मुलाकातियों की पत्नियों के शीलभंग और कत्ल के आरोप की शिकायतें आपात स्थिति के दौरान शासन, सचिवालय व जेल प्रशासन को प्राप्त हुई और उन पर क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

थाना कदौरा, जालौन के सिपाहियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*55—श्री वीरसिंह सेंगर (जिला जालौन)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना कदौरा, जिला जालौन के राम शंकर आदि कुछ सिपाहियों के विरुद्ध अनियमितता बरतने तथा भ्रष्टाचार आदि के सम्बन्ध में क्षेत्रीय विधायक ने दिनांक 25 अगस्त, 1976 को एक शिकायती-पत्र वहां जालौन के आरक्षी अधीक्षक को दिया था ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या ह ? उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

दिनांक 25 अगस्त, 1976 को प्रश्नकर्ता ने अपने उसी दिनांक के पत्र के साथ श्री विजय बहादुर निवासी ग्राम बबीना, थाना कढौरा, जिला जालौन का प्रार्थना-पत्र, जिसमें प्रश्न में उल्लिखित आशय की शिकायतें थीं, क्षेत्राधिकारी, कालपी को दिया। क्षेत्राधिकारी द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच से कांस्टेबिल राम शंकर तथा दो अन्य कांस्टेबिल प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत हुए। अत : उक्त कांस्टेबिलों के विरुद्ध थाना कदौरा पर अपराध संख्या 156 धारा 379/342/504/323/161 भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत कायम किया गया जिसकी विवेचना उप अधीक्षक पुलिस द्वारा की जा रही है ?

तीनों सम्बन्धित कांस्टेबिलों को थाने से स्थानान्तरित कर दिया गया है।

अतारांकित प्रश्न

लोक सेवा अधिकरणों में दायर किए गए मामले

1—श्री गोविन्द सिंह नेगी —

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 मई, 1966 तक लोक सेवा अधिकरण में कितने मामले गए हैं और उनमें से कितनों का निर्णय हो चुका है और उनमें से सरकार के पक्ष में कितने हुये हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

31 मई, 1976 तक लोक सेवा अधिकरणों में जो मामले दायर किये गये उनकी स्थिति संलग्न तालिका में दी हुयी है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 715 पर।)

2—श्री मोती लाल देहलवी—

[पुनर्विचार पर निरस्त।]

जिला जेल, लखनऊ के राजबन्दियों पर किए जाने वाले व्यय का विवरण

3—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या मुख्य मुन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार जिला जेल, लखनऊ के राजबन्दियों में सुपीरियर क्लास प्राप्त राजबन्दियों पर अधिकतम कितनी धनराशि औसतन प्रतिदिन खर्च कर रही है तथा उसी खर्चे में मेडिकल सुविधा का औसतन कितना खर्च शामिल है और इसी प्रकार स्पेशल क्लास की सुविधा पर प्रतिदिन क्या औसतन खर्च है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रश्न का उत्तर देना लोक हित में न होगा।

ग्राम ढरेंपुर मजरे व कुखिला, बाराबंकी के हरिजनों का प्रार्थना-पत्र

4—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम कुखिला व ढरेंपुर, थाना देवा, जनपद बाराबंकी के हरिजनों को कुछ लोगों द्वारा धमकाने व हर तरह से परेशान करने; बेगार कराने आदि के बारे में एक प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के संलग्नक के साथ मुख्य मन्त्री को दिनांक 23 अप्रैल, 1976 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या उसमें जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम हुआ ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रश्न में उल्लिखित आशय का ग्राम ढरेंपुर मजरे कुखिला, थाना देवा, जिला बाराबंकी के हरिजनों का मुख्य मन्त्री को सम्बोधित प्रार्थना-पत्र दिनांक 21 अप्रैल, 1976 प्राप्त हुआ था।

इसमें उल्लिखित शिकायतों की जांच क्षेत्राधिकारी तृतीय, बाराबंकी द्वारा की गई। जांच से शिकायतें निराधार पाई गईं।

राजकीय अधिकारियों को सम्बोधित विधायकों के पत्रों के उत्तर दिए जाने सम्बन्धी आदेश

5—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि विधायकों द्वारा राजकीय विभागीय अधिकारियों को लिखे गए पत्रों के उत्तर देने या न देने के बारे में कोई नियम है ? यदि हां, तो वे नियम क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

राज्य सरकार के यह आदेश हैं कि शासन के अधिकारियों को, विधान मन्डल के सदस्यों द्वारा सम्बोधित पत्रों की प्राप्ति की सूचना तुरन्त देनी चाहिए और तत्पश्चात् उन पर जो कार्यवाही की जाय उसका विवरण भी उनके पास भेज दिया जाना चाहिए।

इन्डस्ट्रियल इस्टेट, फर्रुखाबाद के विस्तारण की मांग

6—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या इन्डस्ट्रियल इस्टेट, फरुर्खाबाद के विस्तारण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि, हां, तो इसकी क्या रूप-रेखा है तथा इसके लिए कितनी भूमि अधिग्रहण करने का विचार है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

इन्डस्ट्रियल इस्टेट फर्रुखाबाद के विस्तारण की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में मारे गये एवं पकड़े गए डकैतों तथा पुलिस एन्काउन्टर्स की संख्या

7—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि प्रदेश में जनवरी, 1976 से अब तक कितने डकैत पकड़े गए और कितने मारे गए तथा कितने पुलिस एन्काउन्टर्स हुए?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनवरी, 1976 4 से जून, 1976 तक कुल 2533 डकैत पकड़े गए, 271 डकैत मारे गए तथा 692 पुलिस एन्काउन्टर्स डकैतों के साथ हुए ?

लखनऊ के जूते के कारखानेदारों से प्राप्त बिक्री-कर

8—श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1972-73, 1973-74 व 1974-75 में लखनऊ नगर में जूते के कारखानेदारों से सेल टैक्स में कितनी धनराशि ली गई है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

लखनऊ नगर में जूते के कारखानेदारों से वर्ष 1972-73, 1973-74 तथा 1974-75 में क्रमश : रु0 539.96, रुपए 456.25 तथा रुपए 369.20 बिक्रीकर प्राप्त हुआ।

ठखौली बाराबंकी स्थित स्पिनिंग मिल द्वारा, अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

9—श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी नगर के निकट ग्राम ठखौली में 25 व्यक्तियों की भूमि सरकारी स्पिनिंग मिल बनाने हेतु सन् 1974 में ली गई थी जिसमें फैक्टरी लगभग बन चुकी है परन्तु अब तक किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा भुगतान नहीं किया गया ह ? यदि हां, तो क्यों और कब तक मुआवजे का भुगतान दिया जाएगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मिल के लिए अर्जित भूमि का कब्जा अध्यापित निकाय को दिनांक 28 अगस्त, 1975 को दिया जा चुका है। दिनांक 18 जून 1976 के पश्चात् कुछ भू-स्वामियों की ओर से पुन : साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के कारण अभिनिर्णय नहीं दिया जा सका। अब यह कार्यवाही पूरी कर ली गई है और अभिनिर्णय आयुक्त, फैजाबाद मन्डल को स्वीकृति हेतु भजा जा रहा है। स्वीकृति प्राप्त होते ही प्रतिकर वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी।

प्रदेश में मीसा के अन्तर्गत निरुद्ध बन्दियों का अनुरक्षण भत्ता

10—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 1975 से 15 मई, 1976 के मध्य राज्य भर में विभिन्न जेलों में निरुद्ध कुल कितने मीसा बन्दियों ने अपने आश्रितों के भरण पोषण के लिए राज्य सरकार को मेन्टिनेन्स एलाउन्स के लिए आवेदन-पत्र दिए ? उनमें से कुल कितने लोगों को और किनको-किनको मासिक भत्ता देना स्वीकार किया गया और कितना प्रतिमाह ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

वांछित सूचना देना लोक हित में नहीं होगा।

प्रदेश में चल-चित्र निगम का गठन एवं उसकी बैठकें

11—श्री दीना नाथ सेवक (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि चल-चित्र निगम की स्थापना प्रदेश में कब हुई थी और उसकी स्थापना से लेकर अब तक निगम की कितनी बैठकें हुईं तथा प्रदेश में अब तक कुल कितने चल चित्र गृह निगम द्वारा बनाए गए ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्रदेश में चल-चित्र निगम की स्थापना दिनांक 10 सितम्बर, 1975 को हुयी। निगम की Statutory Annual general meeting अथवा extra ordinary general meeting अभी नहीं हो सकी है किन्तु निगम के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की अब तक तीन बैठकें दिनांक 10 नवम्बर, 1975, 21 मई, 1976 तथा 19 अगस्त, 1976 को हो चुकी हैं। निगम द्वारा अभी कोई चल-चित्र गृह नहीं बनाया गया है।

प्रेस क्लब, लखनऊ का टेलीविजन सेट और सूचना विभाग द्वारा क्रय किए गए टेलीविजन सेट्स

12—श्री ऊदल—

क्या सूचना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रेस क्लब, लखनऊ को जो एक टेलीविजन सेट दिया गया था उसको 21 जनवरी, 1976 को सूचना विभाग ने वहां से मंगवा लिया और 26 जनवरी, 1976 के लिए माननीय मुख्य मन्त्री के निवास का टेलीविजन माननीय मुख्य मन्त्री ने प्रेस क्लब को दिया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

ई0 सी0 आई0 एल0 की स्थानीय शाखा द्वारा एक सेट प्रेस क्लब में ट्रायल बेसिस पर लगाया गया था। फर्म द्वारा वापस मांगें जाने पर प्रेस क्लब का सेट उन्हें वापस कर दिया गया। इसी तरह एक सेट मुख्य मंत्री जी के निवास स्थान पर भी लगाया गया था। चूंकि शासन के आदेश प्रेस क्लब को एक सेट खरीद कर देने के हुए थे। अतः जो सेट मुख्य मन्त्री जी के निवास स्थान पर ट्रायल के लिए लगा हुआ था उसे फर्म से खरीद कर दिनांक 25 जनवरी, 1976 को प्रेस क्लब में लगा दिया गया।

13—श्री ऊदल—

क्या सूचना मन्त्री यह भी कृपया बतायेंगे कि विभाग ने कितने टेलीविजन सेट जब से टेलीविजन लखनऊ में आया, मंगाया और उसको कहां-कहां किन-किन लोगों को दिया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

लखनऊ टेलीविजन केन्द्र के सम्बन्ध में शासन द्वारा 138 टेलीविजन सेट खरीदे गए हैं, जो प्राप्त हो चुके हैं और प्राप्त सेटों में से अभी केवल निम्नलिखित 55 सेट लगाए गए हैं।

1—प्रेस क्लब, लखनऊ।
2—सूचना मन्त्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ निवास।
3—यू0 पी0 निवास, नई दिल्ली।
4—सूचना केन्द्र, नगरपालिका, राय बरेली।
5—अधीक्षक, जिला परिषद्, बाराबंकी।
6—प्रधान, ग्राम सभा निजामपुर, मल्हौर, लखनऊ।
7—खन्ड विकास अधिकारी, मलिहाबाद, लखनऊ।
8—खन्ड विकास अधिकारी, माल, लखनऊ।
9—प्रधान, ग्राम सभा सरसवा, अर्जुनगंज, लखनऊ।

10—प्रधानाचार्य, राजकीय कन्या इन्टर कालेज, बाराबंकी।
11—पुलिस लाइन कर्मचारी क्लब, बाराबंकी।
12—प्रधानाचार्य, राजकीय इन्टर कालेज, बाराबंकी।
13—अध्यक्ष, नगरपालिका, बाराबंकी।
14—अध्यक्ष, टाउन एरिया, बाराबंकी।
15—प्रधानाचार्य, जसोदा रस्तोगी गर्ल्स इण्टर कालेज, लखनऊ।
16—क्षेत्र समिति, सरोजनी नगर, लखनऊ।
17—क्षेत्र समिति, काकोरी, लखनऊ।
18—कलेक्ट्रेट, कर्मचारी क्लब, बाराबंकी।
19—नशनल गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल, बाराबंकी।
20—सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, सूचना भवन, लखनऊ।
21—विभागीय प्रदर्शनी (स्थल), लखनऊ।
22—मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
23—सूचना सचिव, उत्तर प्रदेश।
24—निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
25—राज्य सूचना केन्द्र, हजरतगंज, लखनऊ।
26—पर्वतीय बन्धु परिषद्, लखनऊ।
27—खण्ड विकास अधिकारी, मोहनलालगंज, लखनऊ।
28—प्रिन्सपल, गांधी विद्यालय, बछरावां, रायबरेली।
29—प्रधान ग्राम सभा, विनोबा, रायबरेली।
30—अध्यक्ष, जिला परिषद्, रायबरेली।
31—सेक्रेटरी रायबरेली क्लब, रायबरेली।
32—खण्ड विकास अधिकारी, रामनगर, बाराबंकी।
33—यूनियन इन्टर कालेज, रामनगर, बाराबंकी।
34—वी0 डी0 ओ0, बंकी, बाराबंकी।
35—मन्त्री सहकारी संघ, बड़ा गांव, बाराबंकी।
36—कार्यालय जल-कल संगठन समिति, सुरसन्डा, बाराबंकी।
37—प्रधानाचार्य राष्ट्रपिता स्मारक विद्यालय हायर सेकेन्डरी स्कूल, लखनऊ।
38—आचार्य, संयुक्त प्रशिक्षण केन्द्र, बक्सी का तालाब, लखनऊ।
39—प्रधान, ग्राम सभा, पहाड़नगर, लखनऊ।
40—बी0 डी0 ओ0 गोसाईगंज, लखनऊ।
41—प्रधान, ग्राम सभा, सरोसा भरोसा, लखनऊ।
42—प्रधान, ग्राम सभा, बहेटा (बक्सी का तालाब), लखनऊ।
43—नेहरू युवक केन्द्र, रायबरेली।
44—महा मन्त्री, खादी ग्रामोद्योग समिति, चन्द्रावल, लखनऊ।
45—प्रधानाचार्य, जनपद इन्टर कालेज, हरचरनपुर, रायबरेली।
46—खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र समिति, लालगंज, रायबरेली।
47—टाउन एरिया, लालगंज, रायबरेली।
48—प्रिन्सपल, वैसवाडा इन्टर कालेज, लालगंज, रायबरेली।
49—खण्ड विकास अधिकारी हैदरगढ़, बाराबंकी।
50—क्षेत्र समिति, त्रिवेदीगंज, बाराबंकी।
51—क्षेत्र समिति, फतेहपुर, बाराबंकी।
52—नेशनल इन्टर कालेज, फतेहपुर, बाराबंकी।
53—प्रधानाचार्य, श्री फिरोज गांधी कालेज, रायबरेली।
54—क्षेत्र समिति, देवा, बाराबंकी।
55—अध्यक्ष, टाउन एरिया, फतेहपुर, बाराबंकी।

सब-इन्सपेक्टर पुलिस के परीक्षार्थियों को नेहरू युवक केन्द्र, बांदा द्वारा दिया गया खेल कूद का प्रमाण-पत्र

14—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1975 में हुए सब-इन्सपेक्टर पुलिस की परीक्षा में बैठने वाले कितने परीक्षार्थियों को नेहरू युवक केन्द्र, बांदा द्वारा खेल-कूद सम्बन्धी प्रमाण-पत्र दिए गए ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि जिन परीक्षार्थियों को केन्द्र की ओर से प्रमाण-पत्र दिए गए वे प्रतियोगिताएं केन्द्र द्वारा कभी भी आयोजित नहीं की गई ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच गुप्तचर विभाग द्वारा कराने की कृपा करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रश्नगत चयन में जितने अभ्यर्थी जिला बांदा से परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, उनमें केवल एक अभ्यर्थी, जो प्रशिक्षण हेतु नहीं चुना गया, के आवेदन पत्र के साथ नेहरू युवक केन्द्र, बांदा द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की दो प्रतियां संलग्न पाई गयीं। उस प्रमाण-पत्र के आधार पर उक्त अभ्यर्थी को कोई लाभ नहीं मिला, अत : नेहरू युवक केन्द्र, बांदा द्वारा कथित, प्रतियोगिताओं के आयोजन के विषय में शासन गुप्त रूप से जांच कराए जाने की आवश्यकता नहीं समझता।

15—श्री त्रिवेणी सहाय—

[दिनांक 24 मार्च, 1975 को तारांकित प्रश्न सख्या 1 पर उत्तरित।]

उद्योग लगाने हेतु आबंटित ऋणों पर लगाई गयी स्टाम्प ड्यूटी

16—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग लगाने हेतु जो ऋण दिया जाता है उस पर 45 रुपया प्रति हजार ड्यूटी स्टाम्प राज्य सरकार लेती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उद्योग के विकास की सम्भावनाओं को बढ़ाने के लिए इसे समाप्त करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उद्योग लगाने हेतु जो ऋण लिया जाता है,उस पर ऋण के बन्धक पत्रों पर सामान्य दर 37.50 रुपए के स्थान पर 25 रुपया प्रति हजार की रियायती दर के स्टाम्प ड्यूटी देय है। इसके अतिरिक्त आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत 20 रुपए प्रति हजार की दर से अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क भी देय है। क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी की दर में पहले रियायत दी जा चुकी है, इसे पूर्णतया समाप्त करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है।

17—श्री अठई राम—

[दिनांक 1 नवम्बर, 1976 को अतारांकित प्रश्न संख्या 19 पर उत्तरित।]

श्री रामफल त्रिपाठी, ग्राम त्रिलोकपुर, गोन्डा की अपनी लड़की भगाए जाने सम्बन्धी रिपोर्ट

18—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 10 जनवरी, 1976 को श्री रामफल त्रिपाठी, निवासी ग्राम त्रिलोकपुर, थाना धानेपुर, जिला गोन्डा से कोई रिपोर्ट उक्त थाने में अपनी लड़की भगाए जाने के सम्बन्ध में दर्ज करायी थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्री रामफल त्रिपाठी, निवासी ग्राम त्रिलोकपुर, थाना धानेपुर, जिला गोन्डा ने अपनी बयस्क पुत्री श्रीमती चन्द्रकान्ता को भगाए जाने के सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, गोंडा को दिया या जिसमें मामले की रिपोर्ट लिखकर विवेचना किए जाने की प्रार्थना

की गई थी। प्रार्थना-पत्र के आधार पर दिनाक 10 फरवरी, 1976 को थाना धानेपुर में एक अभियोग अन्तर्गत धारा 366 भारतीय दन्ड विधान का कायम हुआ। विवेचना से घटना थाना अंधेरी, बम्बई (महाराष्ट्र) से सम्बन्धित पायी गयी। अतः सम्बन्धित सभी अभिलेख अग्रिम विवेचना हेतु बम्बई पुलिस को भेज दिए गए हैं।

धारीखाट व मोतीगंज, गोन्डा में पुलिस थाने की स्थापना की मांग

19—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र धारीखाट व मोतीगंज. में पुलिस थाना कायम किए जाने के सम्बन्ध में अप्रैल, 1976 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां। प्रश्नकर्ता का एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसे दिनांक 3 मई, 1976 को पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया। जिन्होंने उसे पुलिस अधीक्षक, गोन्डा को भेजा किन्तु वह पत्र पुलिस अधीक्षक, गोन्डा के कार्यालय में नहीं पहुंचा। पुलिस अधीक्षक, गोन्डा ने प्रश्नकर्ता से सम्पर्क स्थापित करके पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त की। इस पत्र में प्रश्नकर्ता ने धारीखाट व मोतीगंज में थाना तथा वैरिया विशुनपुर एवं सुभागपुर में चौकियां स्थापित किए जाने का अनुरोध किया है। पत्र में उल्लिखित स्थानों पर थाने/चौकियां स्थापित करने के सम्बन्ध में जांच कराए जाने पर धारीखाट व मोतीगंज में थाने का तथा सुभागपुर में चौकी स्थापित करने का औचित्य नहीं पाया गया है। धारीखाट, मोतीगंज तथा वैरिया विशुनपुर में विशेष ग्रामीण चौकियों की स्थापना का औचित्य पाया गया है। इन स्थानों पर चौकियों की स्थापना के प्रश्न पर पूरे प्रदेश में चौकियां स्थापित करने के मामले पर विचार करते समय विचार किया जाएगा।

शराब सेवन के सम्बन्ध में दन्डित किए गए सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारी

20—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या मुख्य मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध जो शराब पीते हैं अनुशासनहीनता की कड़ी कार्यवाही किए जाने का कोई आदेश है ? यदि हां, तो इस आदेश के अन्तर्गत कितने राजपत्रित व अराजपत्रित कर्मचारियों को 2 अक्तूबर, 1975 से आज तक दन्डित किया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 के नियम 4-क में प्राविधान है। उक्त नियम के उल्लंघन फलस्वरूप अभी तक जो सूचना प्राप्त हो सकी है उसके अनुसार 2 अक्तूबर, 1975 से अब तक 1 राजपत्रित तथा 128 अराजपत्रित कर्मचारियों को दन्डित किया गया।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1976, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 1 नवम्बर, 1976 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 4 नवम्बर, 1976 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 1 नवम्बर, 1976 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 5 नवम्बर, 1976 को वापस प्राप्त हो गया है।

सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मुझे सदन को सूचित करना है कि पिछले बजट सत्र के बाद, विधान सभा के निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने अपने दल परिवर्तन करने की सूचना मुझे दी है: —

(1) श्री आशाराम यादव (मिर्जापुर) लोकपक्ष से निर्दल हुए।

(2) श्री हरीश कुमार गंगवार (बरेली), लोकपक्ष से निर्दल हुए।

(3) श्री मंगरे सिंह, लोकपक्ष से निर्दल हुए।

(4) श्री विजय पाल सिंह, लोकपक्ष से निर्दल हुए।

(5) श्री कैलाश सिंह (बलिया), लोकपक्ष से निर्दल हुए।

कतिपय सदस्यों के पैरोल पर छोड़े जाने तथा रिहाई की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

मुझे सदन को यह भी सूचित करना है कि—

(1) अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ के पत्र दिनांक 20 अक्तूबर, 1976, जो इस सचिवालय में दिनांक 20 अक्तूबर, 1976 को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री वेद प्रकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा (फैजाबाद) जो दिनांक 6 अप्रैल, 1976 को पैरोल पर रिहा किए गए थे, तब से पैरोल पर ही चल रही हैं। माननीय सदस्य की गिरफ्तारी इत्यादि की सूचना बुलेटिन 13, 15, 17, 20 तथा 23 द्वारा प्रसारित की गई थी।

(2) अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ के पत्र दिनांक 1 नवम्बर, 1976, जो इस सचिवालय में दिनांक 1 नवम्बर, 1976 को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री उमानाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा (जौनपुर) जो धारा 107/117 सी0 आर0 पी0 सी0 के अन्तर्गत दिनांक 22 नवम्बर, 1975 को ए0 सी0 एम0 (1), लखनऊ के न्यायालय द्वारा उक्त कारागार में भेजे गए थे, को न्यायालय के आदेश से दिनांक 28 मार्च, 1976 को मुक्त कर दिया गया है। माननीय सदस्य की गिरफ्तारी इत्यादि की सूचना बुलटिन 15 द्वारा प्रसारित की गई थी।

(3) जिलाधिकारी, गाजीपुर के पत्र दिनांक 27 अक्तूबर, 1976, जो इस सचिवालय में दिनांक 4 नवम्बर, 1976 को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री राम जनम राय, सदस्य, विधान सभा (गाजीपुर) जो मीसा के अन्तर्गत निरुद्ध हैं, दिनांक 2 अक्तूबर, 1976 से पैरोल पर छोड़े गए हैं। उनकी पैरोल की अवधि दिनांक 7 नवम्बर, 1976 तक है। माननीय सदस्य की गिरफ्तारी इत्यादि की सूचना बुलेटिन संख्या 8, 14, 19, 30 तथा 32 द्वारा प्रसारित की गयी है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन†

*श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति के सभापति के हैसियत से उत्तर प्रदेश शासन के उद्योग विभाग के अधीन विभागाध्यक्षों, अधीनस्थ कार्यालयों तथा निगमों की सेवाओं, पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों का प्रतिनिधित्व के विषय पर उक्त समिति के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

समिति का प्रथम प्रतिवेदन विधान सभा में 24 माच, 1975 को तथा विधान परिषद् में 31 मार्च, 1975 को प्रस्तुत किया कया था। तदुपरान्त प्रतिवेदन शासन के उद्योग राष्ट्रीय एकीकरण तथा संसदीय विभागों को समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन हेतु 19 अप्रैल, 1975 को भेजा गया था। प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों के कार्यान्वयन की सूचना राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के पत्र संख्या 1/82/75-रा0 एकी0, दिनांक 1 मई, 1976 तथा उद्योग विभाग के पत्र संख्या 5186-1/18-3-17-74, दिनांक 12 जुलाई, 1976 द्वारा प्राप्त हुई। समिति ने दिनांक 12 जुलाई, 1976 की बैठक में शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर राष्ट्रीय एकीकरण एवं उद्योग विभाग के सचिव से विचार विमर्श किया। दिनांक 13 अगस्त, 1976 की बैठक में यह प्रतिवेदन समिति के विचारार्थ रक्खा गया और समिति ने इसे अंगीकृत किया।

समिति के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन ने जो कार्यवाही की है और समिति ने उन पर जो मत व्यक्त किया है उनका उल्लेख अनुवर्ती पृष्ठों में किया गया है। समिति को प्रसन्नता है कि लगभग सभी संस्तुतियों को शासन ने माना है और तदनुसार कार्यवाही की है।

सर्वश्री राघवेन्द्र सिंह तथा एदल सिंह की सदन से अनुपस्थिति हेतु अवक श के प्रार्थना-पत्रों के सुम्बन्ध में अनुज्ञा के प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री राघवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की प्रार्थना के अनुसार सदन के वर्तमान सत्र के उपवेशनों से उनकी अनुपस्थिति हेतु अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(प्रार्थना-पत्र के लिए देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 716 पर।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री एदल सिंह, सदस्य विधान सभा की प्रार्थना के अनुसार सदन के वर्तमान सत्र के उपवेशनों से उनकी अनुपस्थिति हेतु अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(प्रार्थना-पत्र के लिए देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 717 पर।)

प्रदेश में मच्छरों की वृद्धि से मलेरिया, फाइलेरिया, सेरिब्रल मलेरिया तथा ब्लैक वाटर फीवर के प्रकोप के सम्बन्ध में वक्तव्य

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री रामायण राय)—

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की स्थापना वर्ष 1958-59 में हुई थी, वर्ष 1961-62 तक मलेरिया कार्यक्रम आक्रामक प्रावस्था में चलता

---

†छापा नहीं गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायण राय]

रहा, परन्तु भारत सरकार द्वारा नियुक्त स्वतन्त्र मूल्यांकन दलों की संस्तुतियों के आधार पर यह कार्यक्रम आक्रामक (अटैक) से समकेन (कन्सोलिडेशन) और समकेन से अनुरक्षण (मेन्टीनेन्स) प्रावस्था में बदलता रहा। वर्तमान समय में प्रदेश का 22 प्रतिशत क्षेत्र राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना के अन्तर्गत और 78 प्रतिशत क्षेत्र अनुरक्षण प्रावस्था के अन्तर्गत है। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना पर होने वाला समस्त व्यय भारत सरकार वहन करती है तथा अनुरक्षण प्रावस्था पर होने वाले व्यय को प्रदेश सरकार वहन करती है।

मलेरिया का प्रकोप

प्रदेश में मलेरिया का प्रकोप वर्ष 1973 से पुन: बढ़ना प्रारम्भ हुआ। वर्ष 1974 में 1973 के मुकाबले प्रदेश में मलेरिया के केसेज में साढ़े तीन गुना की वद्धि हुई, जबकि वर्ष 1975 में वर्ष 1974 के मुकाबले दुगनी वृद्धि हुई। वर्ष 1976 में (सितम्बर तक) मलेरिया के केसेज वर्ष 1975 (सितम्बर तक) की तुलना में बढ़े नहीं, वर्ष 1975 (सितम्बर तक) में 2,66,771 केसेज पाए गए थे जब कि वर्ष 1976 (सितम्बर तक) में 2,64,553 मलेरिया के केसेज पाए गए हैं। देश के अन्य प्रदेशों में भी प्रकोप में बढ़ोत्तरी पाई गई है। प्रदेश में इस वर्ष मलेरिया के प्रकोप के बढ़ने में स्थिरता आई है।

वर्ष 1975 में 65,36,023 ज्वर पीड़ितों की रक्त पट्टिकायें बनाई गईं तथा उनका उपचार किया गया। इसी प्रकार वर्ष 1976 (अगस्त तक) 37,36,065 ज्वर पीड़ितों की रक्त पट्टिकायें बनाई गईं तथा उनका उपचार किया गया।

प्रदेश में फैल्सीपेरम तथा मिक्सड (जिनसे सेरिब्रल मलेरिया तथा ब्लैकवाटर फीवर फैलता है) केसेज की संख्या अधिक नहीं है। प्रदेश के पश्चिमी दक्षिणी तथा दक्षिणी-सीमावर्ती क्षेत्रों में फैल्सीपेरम के केसेज पाए जा रहे हैं। यह क्षेत्र हरियाणा मध्य प्रदेश तथा राजस्थान प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। प्रदेश में फैलसीपेरम केसेज की संख्या कुल केसेज की संख्या की तुलना में 2.4 प्रतिशत हैं जबकि देश के अन्य भागों में यह 10 प्रतिशत से अधिक है।

मलेरिया के बढ़ते हुए प्रकोप को रोकने के लिए किए गए उपाय

1—कीट नाशक दवा का छिड़काव—

(1) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन इकाइयों के 7.75 यूनिट एरिया में कीट नाशक दवा का छिड़काव दो चक्रों में किया गया। झांसी तथा रुद्र पुर (नैनीताल) यूनिटों में बी0 एच0 सी0 का छिड़काव तीन चक्रों में कराया गया।

(2) वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद प्रदेश सरकार ने चालू वर्ष में 40 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि अनुरक्षण प्रावस्था के अधिक प्रभावित क्षेत्रों में कीट-नाशक दवा के छिड़काव के लिए स्वीकृत की है। यह छिड़काव 20 जनपदों के 149 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में किया जा चुका है। जो क्षेत्र मलेरिया से कम प्रभावित थे, उन क्षेत्रों में भी फोकल छिड़काव कराया गया।

(3) सर्वेक्षण कार्य का सुदृढ़ीकरण—स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तर के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए कि सभी ज्वर पीड़ितों को प्रोजम्पटिव ट्रीटमेंट दिया जाय, प्रत्येक ज्वर पीड़ित व्यक्ति की रक्तपट्टिका बनाई जाय तथा उसकी जांच प्राथमिकता के आधार पर की जाय और जो स्लाइड घनात्मक पाई जायें, उस व्यक्ति का रेडिकल उपचार किया जाय।

(4) मलेरिया उन्मूलन कार्य-क्रम को और अधिक सक्रिय रूप देने के लिए जिले के मुख्य जिले के चिकित्सा अधिकारी को उत्तरदाई बनाया गया है तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारियों को भी सुपरविजन का कार्य करने के लिए कार्यक्रम में पूर्ण रूप से सम्मिलित किया गया है। चरित्र-पंजिका में वार्षिक प्रवृष्टि करते समय मलेरिया में किए गए कार्य का उल्लेख भी किया जाय, ऐसे भी निदेश दिए गए हैं।

(5) मुख्यालय स्तर पर मन्डलीय संयुक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशकों की प्रतिमाह होने वाली बैठक में स्वास्थ्य सेवा निदेशक की अध्यक्षता में प्रदेश में किए गए मलेरिया कार्य क्रम का मूल्यांकन किया जाता है।

(6) प्रदेश में बढ़ी हुई जनसंख्या को देखते हुए तथा उन सभी को मलेरिया की सेवायें उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकार ने सर्विलेन्स निरीक्षक तथा गृह दर्शकों के क्रमश: 69 तथा 264, जो अविलम्ब पद स्वीकृत किए गए हैं, उन पर तैनाती की जा रही है।

(7) इस वर्ष सितम्बर मास तक 2,64,553 घनात्मक केसेज की तुलना में 1,93,158 (73 प्रतिशत) केसेज को रेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा चुका है।

(8 जिला मुख्यालय से लेकर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल एवं डिस्पेन्सरी स्तर तक में 1.62 करोड़ क्लोराक्वीन की गोलियों का वितरण किया गया है। इसके अतिरिक्त मन्डलीय संयुक्त निदेशक स्तर पर भी काफी मात्रा में औषधियों का स्टाक जमा कर दिया गया है। मलेरिया निरोधक औषधि का वितरण पंचायत तथा स्कूल मास्टर के माध्यम से मलेरिया से अधिक प्रभावित क्षेत्रों में कराया जा रहा है।

(9) सरकार ने मलेरिया को प्रदेश में नोटीफाइएबिल डिजीज घोषित कर दिया है।

(10) रक्त पट्टिकाओं की जांच शीघ्रता से किए जाने के लिए सरकार ने अनुरक्षण प्रावस्था के 673 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर माइक्रोस्कोप उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था कर दी है।

नगरीय मलेरिया——

प्रदेश में तीन नगरों——लखनऊ, इलाहाबाद तथा मेरठ में नगरीय मलेरिया नियन्त्रण कार्य-क्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पानी एकत्र होने वाले स्थानों पर मलेरिया तेल का छिड़काव सप्ताह में एक बार किया जा रहा है।

नगरों में मच्छरों की बढ़ती हुई संख्या को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय निकाय इन्जीनियरिंग तथा नगरपालिकाओं के सहयोग की आवश्कता होती है। वैसे 18 नगरों में फाइलेरिया इकाइयां भी कार्य कर रही हैं, जो मच्छरों के प्रजनन को रोकती हैं।

बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में मलेरिया——

इस वर्ष आगरा, मथुरा तथा प्रदेश के पूर्वी अंचल के कुछ जनपदों में बाढ़ का प्रकोप रहा, बाढ़ की भयंकरता को देखते हुए कुछ विशेष मलेरिया निरोधक उपाए किए गए, जिसके कारण स्थिति नियन्त्रण में रही और मलेरिया का प्रकोप बढ़ने नहीं पाया।

मलेरिया पर संशोधित रूप रेखा ——

देश के कई अन्य राज्यों में भी मलेरिया के बडते हुए प्रकोप को ध्यान में रख कर भारत सरकार ने मलेरिया की रोक-थाम के लिए दो कमेटियां नियुक्त की थीं। इन कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी है। इसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इस संशोधित रूप-रेखा पर 65 करोड़ रुपया भारत सरकार प्रतिवर्ष व्यय करेगी। संशोधित रूप-रेखा में निम्नलिखित मुख्य उपाए सुझाए गए हैं :——

(1) देश में मलेरिया के वर्तमान पैटर्न को समाप्त करके क्षेत्रों में मलेरिया के प्रकोप के आधार पर कीटनाशक दवा का छिड़काव कराया जायगा।

(2) निर्धारित सीमा के ऊपर खर्च होने वाली कीट-नाशक दवा की पूर्ति निःशुल्क भारत सरकार प्रदेशों को करेगी।

(3) जिले की सीमाओं के अनुसार मलेरिया यूनिटों का पुनर्गठन किया जाएगा।

[श्री रामायण राय]

(4) स्वेच्छित संस्थाओं तथा युवा संस्थाओं को मलेरिया कार्य-क्रम में सहयोग देने के लिए शामिल किया जायगा।

(5) मलेरिया निरोधक औषधि को जनता में वितरण के लिए पंचायत, स्कूल-मास्टर तथा पोस्ट-मास्टरों को भी सम्मिलित किया जायगा।

राष्ट्रीय फाइलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम —

फाइलेरिया को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश के 18 जिलों में फाइलेरिया नियन्त्रण यूनिटें स्थापित हैं तथा साथ ही 6 फाइलेरिया सर्वे यूनिटें भी कार्य कर रही हैं। इन सर्वे यूनिटों ने अब तक 6 जनपदों का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है और आशा की जाती है कि अगले चार वर्षों में शेष 24 जनपदों में भी सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो जायगा।

जनपद गोंडा के बलरामपुर क्षेत्र में एक फाइलेरिया नियन्त्रण इकाई तथा जौनपुर जनपद में फाइलेरिया पायलेट प्रोजेक्ट की स्थापना किए जाने पर भी विचार हो रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय फाइलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम के विस्तार के उद्देश्य से दो फाइलेरिया कन्ट्रोल यूनिट तथा 24 फाइलेरिया क्लीनिक खोले जाने का प्रस्ताव है।

उक्त से विदित होगा कि प्रदेश में जहां-जहां फाइलेरिया अथवा मलेरिया का प्रकोप है वह शासन द्वारा उठाए गए कदमों की कमी के कारण नहीं है। वास्तव में मलेरिया का प्रकोप एक अन्तर्प्रदेशीय तथा अन्तर्देशीय समस्या है। यद्यपि इस प्रदेश में इन रोगों के फैलाव में स्थिरता आ गई है तथापि राज्य सरकार इस दिशा में भी जागरूक एवं प्रयत्नशील है कि अन्य राज्यों तथा अन्य देशों में उक्त रोगों के फैलने का प्रभाव इस राज्य पर न पड़े और जो स्थिरता इस समय लाई जा चुकी है उसमें उत्तरोत्तर सुधार किया जाय।

*श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

मान्यवर, मलेरिया और फाइलेरिया और इससे पैदा होने वाले सेरीब्रल मलेरिया और ब्लैक वाटर फीवर की जो स्थिति इस प्रदेश में है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मन्त्री जी ने अपने इस वक्तव्य में इस भयावह बीमारी की स्थिति को स्वीकार किया है और उसके सम्बन्ध में कुछ स्टेप्स लेने की भी घोषणा की है। लेकिन मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इधर कई वर्षों से जो मलेरिया निरोधक स्टेप्स थे और डी0डी0टी0 के छिड़काव और सर्विलेन्स के जो कार्य थे, उनको क्यों स्थगित कर दिया गया था और अब क्या माननीय मन्त्रीजी जिलों-जिलों में युद्ध स्तर पर इस भयंकर बीमारी को रोकने के लिए कोई प्रयास करेंगे तथा बुन्देलखण्ड के जिलों में विशेषकर बांदा, अतर्रा में इसकी रोक-थाम की विशेष व्यवस्था करेंगे जहां पर कि इन मच्छरों का भयंकर प्रकोप है ?

श्री रामायण राय—

बुन्देलखण्ड में जहां का जिक्र माननीय सदस्य ने किया, वहां पर 4 यूनिटें काम कर रही हैं। बांदा जनपद में ही 1 लाख 35 हजार 613 रक्त पट्टिकायें एकत्र की गयीं जिसमें 5,074 केवल धनात्मक पायी गयीं। तो ऐसी बात नहीं है कि सरकार जागरूक नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

माननीय मन्त्री जी ने ज्वर पीड़ितों के जो आंकड़े दिए हैं उस हिसाब से प्रति व्यक्ति 50 पैसे खर्च का प्राविधान रखा गया है। तो क्या इतने भयंकर प्रकोप को देखते हुए माननीय मन्त्री जी इसके लिए इस धनराशि को और बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामायण राय—

मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूं कि इस रोग की भयंकरता को देखते हुए ही भारत सरकार ने स्वयं 65 करोड़ की व्यवस्था की है और इसके लिए एक योजना को स्वीकार किया ह। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार अपने सीमित साधनों में ही कुछ उठा नहीं रखगी, जितना सम्भव होगा, अवश्य करेगी।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या यह सही है कि पहले सन् 1962 में स्वास्थ्य विभाग ने जगह-जगह यह लिख दिया था कि मच्छर रहेगा, पर मलेरिया नहीं रहेगा और इसी तरह की भारत सरकार को रिपोर्ट भी दी थी कि प्रदेश में मलेरिया का उन्मूलन हो गया है, इसी कारण से भारत सरकार ने सहायता देना रोक दिया था ?

श्री रामायण राय—

यह बात सही नहीं है। सभी मच्छर मलेरिया नहीं फैलाते। एक दो प्रकार के ही मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। हम लोगों ने अपनी तरफ से इसको नहीं रोका था, बल्कि सेन्ट्रल अधिकारियों की एक टीम यहां आयी थी जिसने सर्वेक्षण किया था और अपनी कार्यवाही की थी ।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री प्रभुनारायण)—

मान्यवर, जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का प्रश्न है हम अधिक से अधिक सहायता केन्द्र से चाहते हैं। जैसा रा य स्वास्थ्य मन्त्री जी ने कहा केन्द्र ने सर्वेक्षण के आधार पर हमारे बहुत से जिलों को मेंटीनेन्स फेज में कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की हो गयी। लेकिन अटैक फेज में कुछ जिले हैं जहां मलेरिया का इन्सीडेन्स उत्तर प्रदेश में है। उस इन्सीडेन्स फेज के आधार पर हमको हेल्प दी जाय। अब केन्द्रीय सरकार ने इसको मान लिया है और आगे से यह कार्यक्रम और सघन और इन्टेन्सिव कर दिया जायगा।

श्री ऊदल—

मान्यवर, इस बात को देखते हुए कि गलती किसकी है, किसकी नहीं, उन्होंने सर्वेक्षण कराया। इस बात को तो आपने भी देखा होगा कि सब जगह लिखा हुआ था उत्तर प्रदेश में कि मच्छर रहेगा मलेरिया नहीं रहेगा ? जैसा माननीय राज्य स्वास्थ्य मन्त्री जी ने कहा। लेकिन उसी का नतीजा है कि कुछ क्षेत्र हमारे प्रदेश में ऐसे हैं जैसे गोरखपुर का इलाका, तराई का इलाका , जहां उस टाइप के मच्छर आज भी हैं, लोगों को फाइलेरिया पैर में भी और गले में भी पकड़ती है। इन सब चीजों को देखते हुए और इसमें स्टेटमेंट में भी यह कह दिया कि 74 के मुकाबिले में 75 में दुगुना इसका प्रकोप वढ़ा। तो श्रीमन्, जब प्रकोप बढ़ रहा है तो क्या सरकार इस बात के लिए पूरा सर्वेक्षण करा कर भारत सरकार के सामने एक योजना प्रस्तुत करेगी ताकि भारत सरकार अब तक जो कुछ एलाटमेंट दिया है आगे और एलाटमेंट हमको बढ़ा सके और इस मलेरिया के रोग को रोका जा सके। इस पर काबू पाया जा सके ?

श्री प्रभुनारायण—

मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि 1975 में जो मलेरिया का इन्सीडेन्स था, वह 2,66,771 था और 1976 में 2,64,553 है। इसके मुकाबले हम 1976 में इम्प्रव की पोजीशन में है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मलेरिया का उन्मूलन जब प्रारम्भ हुआ उस समय डी० डी० सी० या डी० एल० डी० हो, उसका असर मच्छर और मलेरिया पर पड़ता था। अब हम यह देखते

[श्री देव बहादुर सिंह]
हैं कि जितने भी छिड़काव होते हैं चाहे डी० एल० सी० या डी० डी० सी० या डी० एल० डी० का हो उससे न तो मच्छर मरते हैं और न कीड़े मरते हैं। क्या माननीय मन्त्री जी नए तरीके की कोई दवाई, जिससे कि मच्छर भी मरे और मलेरिया का भी उन्मूलन हो, ऐसी दवाइयों को उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे ?

श्री रामायण राय—

मान्यवर, मैंने अपने वक्तव्य में माननीय सदस्यों को यह बताया। इसीलिए हम नए ढंग से इसके इलाज करने की व्यवस्था कर रहे हैं।

डाक्टर कृष्ण बीर सिंह कौशल (जिला आगरा)—

मान्यवर, आज मलेरिया का प्रकोप किसी से छिपा हुआ नहीं है। मान्यवर, आगरा में जो मलेरिया विद्यमान ह, उससे दर्जनों मौतें हो चुकी हैं। वहां पर मलेरिया की कोई दवाई उपलब्ध नहीं हो पाई है। वहां के जो स्थानीय विधायक थे, उन्होंने बक्तव्य भी दिया और बजाय इसके कि स्वास्थ्य विभाग वहां पर दवाइयां उपलब्ध करवाता यह कह दिया कि वहां पर सब दवाइयां उपलब्ध हैं।

आज आगरा के अन्दर मेरे पास निश्चित जानकारी है कि मलेरिया के सम्बन्ध में जो दवायें हैं वे आसानी से नहीं मिलती हैं। जब कि जनता को वे दुगुने, तीनगुने और चौगुने दाम पर उपलब्ध हैं। शासन द्वारा जो मलेरिया निरोधक दवायें मिलती हैं वे ब्लैक में बिक जाती हैं। इसके अलावा यह निश्चित रूपसे सत्य है कि मलेरिया की बीमारी गन्दगी से फैलती है। जब तक गन्दगी वगैरह दूर नहीं की जाती, तब तक मलेरिया या फाइलेरिया पर कन्ट्रोल नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरा निबेदन है कि जो मलेरिया निरोधक दवाइयां हैं उनको बाजार में मिलने की उचित व्यवस्था की जाय ताकि वे आम जनता को सही दामोंपर मिल सकें।

श्री अध्यक्ष—

यह आपका अच्छा सुझाव है।

श्री रामायण राय—

अभी जो माननीय सदस्य ने कहा यह बात सही नहीं है। जिन जनपदों में बाढ़ आयी थी, माननीय सदस्य न आगरा की बात कही। हमारे माननीय मन्त्री जी स्वयं मथुरा की तरफ तशरीफ ले गए थे और जहां आवश्यकता थी वहां टेबलेट्स और दूसरी दवायें भेज दी गयी हैं।

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में मलेरिया के सम्बन्ध में जितने केसेज का उल्लेख किया है, गांवों में मलेरिया से पीड़ित सभी लोग अस्पतालों में नहीं जाते हैं। मेरे जिले में बड़ी ही भयंकर स्थिति है, लोग घरों में ही बीमार पड़े रहते हैं और दवाइओं के लिए वे अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाते। इस स्थिति को देखते हुए मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिले में जो यूनिट्स हैं वे पूरे जिले को कवर नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या वे दवाओं के लिए ब्लाक स्तर पर कोई व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे।

श्री रामायण राय—

मान्यवर, गृह दर्शक के कुछ नए पद सृजित किए गए हैं और उनकी नियुक्त करने जा रहे हैं जिससे ब्लाक स्तर पर लोगों की सेवा की जा सकेगी।

श्री देवकुमार यादव—

जो किलर मच्छर होते हैं उनकी रेजिस्टेंस पावर इतनी बढ़ गयी है कि डी० डी० टी० के छिड़काव का उन पर कोई असर नहीं होता है, तो क्या वे डी० डी० टी० के अलावा गेमेक्सिन का छिड़काव भी कराने की व्यवस्था करेंगे जिससे वे नष्ट हो सकें ?

श्री रामायण राय—

जो आपने सुझाव दिया है उसकी जांच करा ली जाएगी।

श्री अध्यक्ष—

गेमेक्सिन से आदमी भी मर जाते हैं, दूसरी बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं।

श्री प्रभु नारायण—

जो उन्होंने सूचना दी है इस सम्बन्ध में जांच करा ली जाएगी और जो व्यवस्था होनी चाहिये, वह की जाएगी। इसी सन्दर्भ में यह भी बतला दूं कि गेमेक्सिन का छिड़काव झांसी और नैनीताल के जिलों में किया गया है और जहां पर जरूरत होगी, वहां अवश्य देख लिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज सलाहकार परिषद् में तीन सदस्यों के मनोनयन का प्रस्ताव

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश पंचायती राज सलाहकार परिषद् में शासकीय संकल्प सं0 यू0 ओ0 582-डी/33-2-140-72, दिनांक 8 मार्च, 1973 के अनुसार विधान सभा के तीन सदस्यों को मनोनीत करे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश पंचायती राज सलाहकार परिषद् में, शासकीय संकल्प सं0 यू0 ओ0 582-डी/33-2-140-72, दिनांक 8 मार्च, 1973 के अनुसार विधान सभा के तीन सदस्यों को मनोनीत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी में कार्य करने हेतु चार व्यक्तियों के निर्वाचन का प्रस्ताव

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर चरण सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी में कार्य करने के लिए, उक्त समिति के विधान नियम के नियम 12(ख) (अ) के अनुसार चार व्यक्तियों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी में कार्य करने के लिए, उक्त समिति के विधान नियम के नियम 12(ख)(आ) के अनुसार चार व्यक्तियों का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड पर कार्य करने के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

कृषि राज्य मन्त्री (श्री चेतराम गंगवार)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 2-क की उपधारा (2) के खंड (ग) के अनुसार, 1 मार्च, 1977 से गठित

[श्री चेतराम गंगवार]

किए जाने वाले चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड पर कार्य करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खन्ड (क) के साथ पठित कृषि अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 5071/12-8-400(2)-76, दिनांक 15 सितम्बर, 1976 के साथ प्रकाशित प्रथम परिनियम के अध्याय 3 के परिनियम 2 के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 2-क की उपधारा (2) के खन्ड (ग) के अनुसार 1 मार्च, 1977 से गठित किए जाने वाले चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड पर कार्य करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खन्ड (क) के साथ पठित कृषि अनुभाग 8 की अधिसूचना संख्या 5071/12-8-400(2)-76, दिनांक 5 सितम्बर, 1976 के साथ प्रकाशित प्रथम परिनियम के अध्याय 3 के परिनियम 2 के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खाद्य अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री प्रभु नारायण)—

अध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रभु नारायण—

मान्यवर, मैं खाद्य अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 718-719 पर।)

उत्तर प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण (पथ-कर) विधेयक, 1976

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण (पथ-कर) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण (पथ-कर) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री वीर बहादुर सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण (पथ-कर) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 720-722 पर।)

उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का सप्तम प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के सप्तम प्रतिवेदन पर जो, 3 नवम्बर, 1976 के उपवेशन में सदन के पटल पर रखा गया, विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के सप्तम प्रतिवेदन पर, जो 3 नवम्बर, 1976 के उपवेशन में सदन के पटल पर रखा गया, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, सदन को ज्ञात होगा कि श्री शिवानन्द नौटियाल, सदस्य, विधान सभा ने श्री हरी राम श्रीमाली पुत्र स्वर्गीय श्री अशरफी प्रसाद श्रीमाली, ग्राम भरसर, थाना सहजनवां, जिला गोरखपुर तथा श्री प्रेमपाल सिंह रावत, उर्फ बालयोगेश्वर (डिवाइन लाइट मिशन) के खिलाफ एक विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान का प्रश्न उठाने की सूचना दी थी। जो स्टेटमेन्ट, 31 दिसम्बर, 1971 को जो भाषण दिया था डिवाइन लाइट मिशन के खिलाफ। उसको देखते हुये इन पर देश के कई हिस्सों में वहां के न्यायालयों में मुकदमें दायर हैं और यह मामला विशेषाधिकार समिति के सामने आया। समिति ने इस मामले को देखा और सदस्यों तथा साक्षियों की बातों को सुना। समिति अन्त में इस निर्णय पर पहुंची कि इस पर विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता ह क्योंकि उपर्युक्त तथ्यों एवं दृष्टांतों को देखते हुए समिति की यह राय है कि श्री शिवानन्द नौटियाल के विरुद्ध जो इस्तेगासा दाखिल किया गया वह सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित नहीं है। अतः इस मामले में माननीय सदस्य के किसी विशेषाधिकार की अवहेलना या आदरणीय सदन के अवमान का प्रश्न निहित नहीं है।

उच्चतम न्यायालय के आदेश से माननीय सदस्य के विरुद्ध देश के विभिन्न न्यायालयों में जो कार्यवाही चल रही थी उसे अब दिल्ली के न्यायालय में सुने जाने की व्यवस्था हो गयी है, अतः समिति यह समझती है कि अब इस मामले में किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

श्री शिवानन्द नौटियाल के विरुद्ध भारत के विभिन्न भागों में जो इस्तगासे दायर किए गए उससे यह प्रतीत होता है कि उन्हे दुर्भावनावश परेशान करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया था। समिति शासन से यह अपेक्षा करती है कि उसे ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे भविष्य में किसी सदस्य को इस प्रकार परेशान न किया जा सके।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के सप्तम प्रतिवेदन को अभिपुष्ट करते हुए यह मत व्यक्त करती है कि श्री शिवानन्द नौटियाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा अधिसूचित श्री हरी राम श्रीमाली, जिला गोरखपुर तथा श्री प्रेमपाल सिंह रावत (बालयोगेश्वर), डिवाइन लाइट मिशन, हरिद्वार जिला, सहारनपुर के विशेष सदन में श्री नौटियाल द्वारा किए गए कार्यों (भाषण, प्रश्न व पत्र) के कथित आधार पर न्यायालय में अभियोग-पत्र दायर करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के मामले में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संसदीय कार्य मन्त्रीजी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 में कोई नोटिस नहीं है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1976†

सहकारिता मन्त्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1976, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, हमारी प्रधानमन्त्री जी ने सहकारिता को सुदृढ़, सुव्यवस्थित और जनसाधारण के काम, जिसमें निर्बल वर्ग के लोग हिस्सा ले सकें, बनाया जाय ऐसी इच्छा व्यक्त की है। इस बात को देखते हुए यह एक छोटा सा विधेयक हम लाए हैं। इसमें से बहुत सी चीजों को आप पास कर चुके हैं और थोड़ी सी कठिनाइयां आयी हैं जिनको इसमें दुरुस्त किया गया है। उसके लिए पहली आवश्यकता यह है कि ज्यादा से ज्यादा जो कोआपरेटिव संस्थायें हैं उसके सदस्य बन सकें, दूसरे रिप्रेजेन्टेशन अच्छा हो और तीसरी उसकी अपनी निजी पूंजी हो। इन चीजों को देखते हुए यह विधेयक रखा गया है कि जो मेम्बर हों। उन पर कोई रोक न लगायी जा सके और यूनिवर्सल मेम्बर हों। जो सदस्य बनना चाहें वह जिस दिन दरख्वास्त देंगे उस दिन से वह सदस्य माने जायेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए जिन लोगों को भूमि आवंटित की गयी है उनको मेम्बर बनाना शुरू किया है। सरकार ने यह भी किया है कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, उनको देते हैं। इस तरह से 4 लाख सदस्य जिनको नई भूमि आवंटित हुई है वह सदस्य बने हैं। यह भी किया है कि निर्बल लोगों की, जिसकी घोषणा यहां सदन में की गयी थी, जितनी सोसाइटियां हैं उनका रिप्रेजेन्टेशन दिया है यदि वह न हों तो यह भी आदेश दे दिए हैं कि 1/3 निर्बल लोगों को नामिनेट कर दिया जाय।

विभाग को सुदृढ़ और अच्छा बनाने की दृष्टि से हमने कैडर बना दिए हैं जो लोग सुपरवाइजर हैं उनके कैडर बना दिये हैं और इसी प्रकार सेक्रेटरी के कैडर बना रहे हैं। जो हमारी सोसाइटीज हैं उनको प्रान्त भर में रिआरगनाइज कर दिया है और सात हजार सोसाइटीज ऑलरेडी रिआरगनाइज्ड हो गयी हैं और पहली दफा हमने यह किया है कि ये जो सात हजार सोसाइटीज हैं उनमें फुल टाइम सेक्रेटरी काम करेंगे वह वहीं रहेंगे और उसको देखेंगे। यह भी हमने व्यवस्था की है कि ज्यादा से ज्यादा रुपया वसूल हो। पहली दफा सत्ताइस वर्ष में हमने आज जो रिजर्व बैंक का रुपया था उनको पूरा-पूरा लौटा दिया उससे हमारी क्षमता जो है, वह बढ़ी है। इसका जो विस्तृत विवरण है मैं हर एक माननीय सदस्य की सेवा में भेजने लग रहा हूं।

तीसरा, डिपाजिट इन्शोरेन्स स्कीम जो और बैंकों में है वह एक इसमें भी चालू की गयी है। इसका मतलब यह हुआ कि जो बीस हजार तक के डिपाजिट हैं इन्श्योड हो जायेंगे और इसी तरह यह दूसरे बैंकों में भी कवर होगा। रिजर्व बैंक ने कुछ हिदायतें दी हैं कि सुदृढ़ रूप से स्कीम चलायी जाय जैसा हमने किया है। जब से यह डिपाजिट इनश्योरेन्स की है उसका हमने अभियान चलाया था, 16 अगस्त से 20 सितम्बर के लिए और उस अभियान से हमारा यह इरादा था कि कम से कम 25 करोड़ रुपया, जिसमें ज्यादातर बाहर के लोग हों, जो सरकारी न हों, उसमें डिपाजिट किया जाय और आपको सुन कर खुशी होगी कि करीब 26 करोड़ 60 लाख रुपया इस बीच हमारे यहां बैंकों में इस स्कीम के बनने के बाद हो गया। कुछ यह भी है कि एक दूसरी स्कीम चलायें 25 करोड़ रुपया और लोगों का जमा करायें जिससे कि हमारा कोआपरेटिव आन्दोलन अपने रुपए से ही अपनी पूंजी चलाये और बाहर से कम से कम रुपए की जरूरत पड़े। मैं समझता हूं कि यह नान-कन्ट्रोवरशियल छोटा सा बिल है और हमारे सब माननीय सदस्य इसका स्वागत करेंगे और उसको पारित करेंगे।

---

†3 नवम्बर, 1976 की कार्यवाही में छपा है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्री देव कुमार यादव संशोधन रखें।

*श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1976 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो एक मास में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे ।

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो अभी इस सम्बन्ध में सुधार के लिए घोषणाएं की उनका स्वागत करते हुए मैं इस विभाग में फैली हुई गड़बड़ियों की ओर और तमाम ऐसे भ्रष्टाचार की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो इस विधेयक के तहत आपका लक्ष्य है और उसको पूरा करने के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

मान्यवर, सहकारिता आन्दोलन इस मुल्क में समाजवाद का एक सुधार रूप में माना गया था और यह अपेक्षा की गयी थी कि इस आन्दोलन के जरिए तमाम गरीब लोगों को राहत मिलेगी और उन लोगों के चंगुल से गरीब जनता को छुड़ाया जायगा जो पीढ़ी दर पीढ़ी से सूद खोरों के चंगुल में फंसे हुए हैं। जब से मान्यवर, ऋण मुक्ति कानून इस देश में लागू हुआ है तब से यह मांग की जाती रही है कि कोई न कोई वैकल्पित व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए जिसके जरिए इस प्रदेश की गरीब जनता को जिनके लिए दरवाजे अब सूदखोरों न बन्द कर दिए है कोई न कोई राहत दी जा सके। इस सन्दर्भ में मान्यवर, इस सहकारिता आन्दोलन का महत्व और भी बढ़ गया है। दूसरी बात जिस पर मैं माननीय मन्त्री जी से आग्रह करता चाहता हूं कि यदि पिछले तरीके से गड़बड़ी इस विभाग में बनी रही तो इस प्रदेश की गरीब जनता का बहुत बड़ा अहित होगा। अब तक जो अनुभव है इस विभाग के सम्बन्ध में उसकी चर्चा करने में लोग डरते हैं। भयभीत रहते हैं क्योंकि इतने गबन और इतनी गड़बड़ियां विभाग में हैं कि कुछ नहीं कहा जा सकता है।

मान्यवर, ऐसे भी बहुत से केसेज देखे गए हैं कि बहुत से गरीबों के नाम से फर्जी कर्जे ले लिए गए हैं। मैं मान्यवर, अपनी जानकारी से मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कमासिन ब्लाक ममसीपुर, खुर्द की ओर जहां के एकाउन्टेंट ने उन गांवों के गरीब लोगों की खतौनियों पर कर्ज ले लिया और बहुत दिनों तक बताया नहीं और साल भर के बाद उनके खिलाफ जब वसूली आयी तब उनको मालूम हुआ। उसमें शासन को उन्होंने दरख्वास्तें दे रखी हैं। ए0 आर0 को जब यह बताया गया तो उन्होंने कहा कि पहले आप पैसा जमा कर दें उसके बाद जांच करायी जाएगी। तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह कहूंगा कि किसी के नाम अगर फर्जी कर्ज लिया गया है और उससे उसको डिपाजिट कराने के लिये कहा जायगा तो इससे बहुत गड़बड़ियां पैदा होंगीं। इस प्रकार के जो घोटाले होते हैं उनकी रोक-थोम के लिए आपके पास कुछ होनी चाहिए। आपके पास विजिलेंस सेल में बहुत कम कर्मचारी हैं और इस प्रकार के केसेज कई बार सहकारी समितियों मे होते है, कोई घोटाले होते हैं तो इसकी रोकथाम के लिए आपको विजिलेंस सेल की प्रभावशाली व्यवस्था रखनी चाहिए।

जो जालसाज व्यक्ति हों उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए ऐसा वातावरण बनाया जाय कि जालसाजी करने पर सख्त सजा मिलेगी जिससे कि ऐसी वरादातें कम हों। दूसरी चीज मैं मान्यवर कहना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने भूमिहीनों के सम्बन्ध में जो अभिनन्दनीय घोषणा की हैं और यह सरकार की नीति भी है कि वह भूमिहीनों और गरीबों को जमीन का पट्टा एवं कर्ज देती है लेकिन इसमें भी बहुत गड़बड़ियां आयीं हैं। इसमें शिकायत यह है कि अगर 200 रुपए या 175 रुपए कर्जा पट्टेदार को देते हैं तो मान्यवर, भुरवल एक सहकारी समिति है जहां कि भूमिहीनों को शिकायत है कि 150 रुपए या कुछ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवकुमार यादव]

रुपया देते हैं लेकिन इसमें से कुछ रुपया पहले से ही जमा करा लेते हैं या देने से पहले काट लेते हैं तो मान्यवर, इसके लिए कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

मान्यवर, एक केस की ओर और मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जजपुर ब्लाक, बांदा में जो एकाउन्टेन्ट हैं, जिसकी उससे सांठ-गांठ हो जाती है वह बहुत ज्यादा कर्जा पा जाने में सफल हो जाते हैं। एक प्रभावशाली व्यक्ति के सम्बन्ध में यह लिखित शिकायत मिली है जिसके बारे में मैं प्रश्न भी उठाना चाहता था, कि उन्होंने करीब-करीब 85 हजार रुपया अपने परिवार के लोगों के नाम कर्जा ले रखा है और वह कई महीनों से वसूल नहीं हुआ है और न स्थानीय अधिकारी उसमें कोई कार्यवाही कर रहे हैं। मान्यवर, ऐसी चीजों को रोकना बहुत जरूरी है। मान्यवर, पहले देहातों में पढ़े-लिखे व्यक्ति ही इन सहकारी समितियों के सदस्य हुआ करते थे परन्तु अब आप इस आन्दोलन को गरीबों के बीच लाने का प्रयास कर रहें हैं लेकिन अगर व्यवस्था वही पुरानी रही तो तमाम उन गरीब लोगों के साथ जालसाजियां होंगी और इस आन्दोलन के जरिए उनका नुक्सान होगा। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन तो करता हूं परन्तु इसमें निहित गड़बड़ियों के लिए कोई व्यवस्था न होने के कारण मैं मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि वे इसको इतनी जल्दी आज पारित न करा कर के इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें जो इसमें बहुत सोच समझ कर संशोधन करे और संशोधित हो कर सुव्यवस्थित ढंग से यह जनता के सामने आए। इसलिए मन्त्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

*श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी (जिला मैनपुरी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक से सम्बन्धित विवरण पेश करते हुए माननीय मन्त्री जी ने जो सदेच्छाएं पेश की हैं और उसके सुन्दर व सुघड़ रूप की झांकी पेश की है उसके लिए मैं मन्त्री महोदय का बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं। सवाल यह है कि क्या सहकारिता आन्दोलन हमारे देश के जन जीवन के लिए मात्र ऐसा आन्दोलन है जैसे हमारे जीवन में बहुत से अन्य आन्दोलन हैं? मेरा विचार है कि सहकारिता नए भारत का जो जीवन दर्शन है, जीवन प्रणाली है उसकी वह मूलाधार बनने जा रही ह। अगर इसके अन्दर कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं किया गया और एक नया दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया तो समय-समय पर किए जाने वाले संशोधन मात्र पेबन्द होंगे और यह संशोधन विधेयक नई तस्वीर तथा प्रेरणा हमारे देश को देने में असमर्थ होगा।

पिछले दिनों बड़ी सदिच्छा और नेकनियती के साथ इसके अन्दर दखल देने की कोशिश की गयी शासन की तरफ से लेकिन परिणाम क्या हुआ? पिछले दिनों यह कहा गया कि सचिवों को ट्रान्सफर कर दिया जायगा लेकिन पूरे राज्य में कितने सचिवों को ट्रान्सफर किया गया? अगर नहीं किया गया तो क्या कारण है उनको वहीं थोपे रखने का? हम जानते हैं कि यह की पोस्ट है और इनके जरिए ही सारे का सारा आन्दोलन ध्वस्त हो गया है और लोगों की नजरों में गिर गया है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद हमने एक सपना अपने दिलो दिमाग में संजोया था कि हमारे गरीबों के झोपड़ों तक यह आजादी पहुंचेगी और उस सपने का नाम हमने दिया था समाजवाद। उस समाजवाद की मूलाधार होगी सहकारिता। यह घोषित किया गया कि यह सहकारिता सामान्य जन जीवन को काफी बेहतर बनाएगी, शोषण के शिकन्जे को तोड़ेगी लेकिन हुआ क्या? हर साल जब हम यहां बैठते हैं तो बहुत लम्बी चौड़ी चर्चा होती है सहकारिता के नाम पर। क्या यह वस्तु स्थिति नहीं है कि वही लोग ग्रामीण जीवन पर हावी हो गए जो कल तक सूदखोर और ग्रामीण जीवन के शोषक थे और जो सबसे अधिक समाज का शोषित और पीड़ित अंग था उसके शोषण की समाप्ति ही नहीं हुई, बल्कि एक नए ढंग से सहकारिता की आड़

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में जो वहां का शोषक था, सूदखोर था उसने उनका नए तरीके से शोषण करना शुरू कर दिया।

सुपरवाइजरों के नाम पर पिछले दिनों इस सहकारिता के ऊपर ठेकेदार बन कर जिस तरह से तबाही की वह आप जानते हैं। यह खुशी की बात है कि पिछले दिनों में उनका ट्रान्सफर करने का आदेश दे दिया । ट्रान्सफर हो भी गए लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं मन्त्री जी से कि जिनका ट्रान्सफर हो गया है और जिन्होंने दसियों बीसियों सालों तक एक जगह पर रह कर कई वारे-न्यारे किए, क्या उनकी काली कारगुजारियों की जांच की जाएगी ? अगर यह साबित हो जाय तो क्या उनकी जांच करने की व्यवस्था की जाएगी ? मैं अपने यहां का ही उदाहरण देना चाहता हूं वैसे सारे प्रदेश में उदाहरण भरे पड़े हैं। मैनपुरी में एक जगह सुलतानगंज है उसमें क्षेत्र सहकारी समिति के प्रधान महोदय और वहां के सुपरवाइजर ने मिल कर सारे गांव वालों के ऊपर फर्जी तरीके से कर्जा लाद दिया और सारा पैसा उन्होंने ले लिया और उसके बाद हर साल ट्रान्सफर इन्ट्री के तौर पर कागज में कर्ज की अदायगी होती रही और 6 साल बाद वह ट्रान्सफर इन्ट्री भी बन्द कर दी और अब मान्यवर, सैकड़ों रुपयों की वसूली का चाबुक गांव वालों पर लगना शुरू हो गया। अब जाकर उन लोगों को मालूम हुआ कि उनके ऊपर इतना पैसा बाकी है । सारे जिले के राजनीतिक कार्यकर्ता वगैरह दलगत भेदभाव को छोड़कर सर पटक कर मर गए लेकिन कुछ नहीं हुआ और आज भी उनके ऊपर वसूली का चाबुक सवार है। कोई त्राण देने वाला उनको नहीं है।

इस तरह के केसेज हैं आपके विभाग में, क्या इसके लिए कोई व्यवस्था करने का प्राविधान है ? मैं समझता हूं, नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि इस बात को ज्यादा गहराई से देखने की जरूरत है। अभी-अभी पिछले दिनों की बात है सुपरवाइजरों का ट्रान्सफर हो गया, मैनपुरी के बेबल गांव के नजदीक एक क्षेत्र सहकारी समिति है उस समिति के जरिए से जिनके ऊपर कर्जा लदा था, वह एक नहीं दो नहीं, पचास नहीं करीब ढाई सौ लोग हैं जिनके ऊपर गलत तरीके से फर्जी वसूली शुरू हो गई है। मैं मौके पर गया और दूसरे अधिकारी भी थे उनको बुलाने की कोशिश की, लिख कर दिया कि जांच होनी चाहिए लेकिन मान्यवर, ताज्जुब की बात है पता नहीं कहां पानी मरता है आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुई। कोई पूछनेवाला नहीं है तो क्या इस बात की व्यवस्था शासन की तरफ से होगी ? अगर जांच नहीं होने वाली है तो सुपरवाइजर का चाहे कहीं ट्रान्सफर कर दें हर जगह वह व्यक्ति यथावत काम करेगा और उसके काम में कोई फर्क आने वाला नहीं है।

मान्यवर, यह जो कुछ चीजें आपने रखी हैं उसमें एक व्यवस्था की है कि अगर कोई प्रशासक नियुक्त करते हैं बीच की अवधि में जो प्रबन्ध समिति भंग होती है उसके लिए पहले 5 महीने की अवधि भी जिसमें 5 महीने के अन्दर दुबारा प्रबन्ध समिति का पुनर्गठन हो जाता था अब आपने उसके लिए एक वर्ष कर दिया है इसलिए कि 5 महीने का समय कम है। मान लिया कि 5 महीने का समय कम है। लेकिन क्या गारन्टी है कि एक साल का जो समय है उसमें प्रबन्ध समिति का पुनर्गठन हो जाएगा। जब पांच महीने में नहीं किया जा सकता है तो एक साल में कैसे किया जा सकेगा ? किसी चीज का इनफोर्समेंट यदि 5 महीने में नहीं हो सकता है तो एक साल में कैसे इनफोर्समेंट हो जाएगा ? मान्यवर, यह ऐसी चीजें हैं जिनका सहकारिता आन्दोलन से वास्ता है उनके लिए यह तकलीफदेह है। मैं नहीं कहता कि इसके बारे में माननीय मन्त्री जी और सरकार चिंतित नहीं है और हम लोग भी चिंतित हैं। किन्तु सवाल चिंता का नहीं, अमली कदम उठाने का है, जिससे मात्र पेबन्दबाजी न हो बल्कि आमूल चूल परिवर्तन हो। यह आन्दोलन जनता को उठाने वाला, नीचे के लोगों की नुमाइन्दगी करने वाला होना चाहिये था, किन्तु आज यह उसकी जगह नौकरशाही, देहात के ठेकेदारों, दलालों और उनके शिकंजे में रहने वाले लोगों का आन्दोलन बन कर रह गया है। उसके इस जामे को, उसके इस जकड़ाव को यदि आप तोड़ेंगे नहीं, दलालों के चंगल से आन्दोलन निकलता नहीं, जो नई तस्वीर भारत की जनता

[श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी]

के हृदय में बन रही है, उस तस्वीर के मुताबिक इस आन्दोलन को ढालने की कोशिश नहीं की जाती, असली जामा नहीं पहनाया जाता, तो बड़े खतर हैं, पुरानी बातों के दोहराए जाने के खतरे दरपेश हैं। प्रस्तुत विधेयक मे बहुत से अच्छी चीजें हैं, लेकिन ये बुनियादी चीजें हैं, इन पर भी विचार कर इनका समावेश होना बहुत लाजिमी है।

मुझे आशा है कि इन सारी चीजों पर समिति में विचार किया जाएगा। यह जो संशोधन प्रवर समिति में भेजने के लिए पेश किया गया है, वह इसीलिए है कि वह इसको फिर से सुचारु रूप से तैयार कर पेश करे और उसके बाद यहां आवें तो ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं और एक अच्छा विधेयक इस विधान सभा में लाया जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

इस विधेयक के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, वे ठीक हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि जो संशोधन आप लाए हैं, यह क्या काफी हैं? कौन नहीं जानता सहकारिता आन्दोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, उसकी पूर्ति के लिए आज यह आन्दोलन नहीं चल रहा है, बल्कि उसको खत्म करने के लिए, उसके विपरीत यह आन्दोलन चल रहा है। क्या यही है सहकारी आन्दोलन? आपके ही देहरादून में कौन है इन सहकारी समितियों पर हावी? देहात के धनी किसान, प्रभावशाली व्यक्ति, वे व्यक्ति जो पहले सूदखोरी का काम करते थे, आज भी सहकारी समितियों पर उन्हीं का कब्जा है।

मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी कितनी सहकारी समितियां हैं, जिनके मेम्बर या पदाधिकारी कमजोर वर्ग के या हरिजन समाज के लोग हैं? मैं समझता हूं इन समितियों के अन्दर शायद कोई ही अपवाद हो, जहां इन समितियों के पदाधिकारी कोई भूमिहीन या हरिजन मिलेंगे। तो देहात के प्रभावशाली व्यक्ति इन पर हावी हैं और वे बेचारे हरिजन, गरीब आदमी, गरीब किसानों के नाम का झूठा अंगूठा लगवा कर, कर्जा लेते हैं और उस कर्जे को खुद हड़प जाते हैं। मेरे क्षेत्र में भी ऐसे केस हुए हैं। अभी तक आप उनको नहीं पकड़ पाए हैं। यहां तक हो गया कि बी० डी० ओ०, श्री तिवारी साहब ने वसूली की रसीदें दे रखी हैं। किसानों के पास मौजूद हैं, वे खा गए, लेकिन आज इन किसानों से वह वसूल किया जा रहा है। यह एक मिसाल है, लेकिन ऐसे केसेज सब जगह हैं। इसकी छानबीन करेंगे तो इनके बारे में मालूम होगा। तो कौन से उपाय सरकार सोचने जा रही है, जिनसे किसानों और निर्बल वर्ग को जो सहायता मिलनी चाहिए, उसको इस सहकारिता आन्दोलन का फायदा मिले। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछूगा कि इसके बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है?

दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे हैं जो सहकारिता आन्दोलन पर हावी हो गए हैं। लखनऊ के अपेक्स बाडी में कुछ लोग 20-25 साल से जमे हुए हैं। उनको आपने सब अधिकार दे दिए हैं। अब तक जो सहकारी बैंक थे उनके निदेशक मन्डल, उनके छोटे-मोटे कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकते थे। लखनऊ के अन्दर आपने सेवा मन्डल बना दिया। वह वाराणसी से लेकर चमोली तक जितने भी सहकारी बैंक हैं उनके कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा। चपरासियों की, चौकीदारों की, पहरा देने वालों की भी वही नियुक्ति करेगा। अगर किसी अधिकारी की नियुक्ति का सवाल हो तब समझ में आ सकता है। जो लोग सेवा मन्डल में बैठे हुए हैं वह अपने रिश्तेदारों की भरती किए पड़े हैं। जो बेचारे वर्षों से अस्थायी ढंग से काम कर रहे ह, उनको नहीं देते। आखिर क्या कारण है कि सहकारी बैंक का जो चुना हुआ चेयरमैन है, उसको अधिकार नहीं है कि एक चौकीदार की भी वह भरती कर सके, एक चपरासी की भरती कर सके। उनकी भरती के लिए उसको लखनऊ न आना पड़े।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सचिव के पद का प्रान्तीयकरण किया, ठीक किया। सुपरवाइजर की पोस्ट ट्रांसफरेबिल कर दी, ठीक किया। लेकिन एक तरफ नौकरशाही और देहात का धनी वर्ग, इनका गट है जो सहकारी आन्दोलन को हजम करना चाहता है। दूसरी तरफ आप नौकरशाही को मजबूत करते हैं। जो असली जनता है, उसका सहयोग नहीं लेते। उसका यही नतीजा होगा जो भूमि सुधारों का हुआ। वही नतीजा सहकारी आन्दोलन का है। ट्रान्सफर एन्ट्रीज लीजिए। खाद के अन्दर 75 फीसदी रिकवरी, 80 फीसदी रिकवरी और हकीकत यह है कि रिकवरी कुछ नहीं होती, एक की एन्ट्री दूसरे के नाम कर दिया। माननीय मन्त्री की व्यक्तिगत नौलेज में है कि किस तरह से सहकारी बैंकों में उनकी लूट की जा रही है। एक तरफ कर्जा लिया जाता है। देने का कोई सवाल ही नहीं आता। ट्रान्सफर एन्ट्रीज दिखला दीजिए। यह कुछ समस्यायें हैं जिनकी वजह से सहकारी आन्दोलन सफल नहीं हो पा रहा है। बजाय इसके कि सहकारी आन्दोलन कमजोर वर्ग के हाथ में होता, देहात के सामन्ती, धनी वर्ग और नौकरशाही के हाथ में है। उनके ऊपर बन्धन लगाने के लिए आप का विधेयक काफी नहीं है। इसलिए देवकुमार जी का प्रस्ताव माननीय मन्त्री स्वीकार करें।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं संशोधन के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सहकारिता आन्दोलन समाजवादी ढांचे में प्राथमिक अंग है। आप देखें कि आपके सहकारिता आन्दोलन के अन्तर्गत क्या खामियां हैं, किस प्रकार आपने अमल किया? आपकी सहकारिता स्थायी कमेटी है, प्रदेश के माननीय सदस्यों की। ढाई साल के अन्दर आपकी सरकार ने तवज्जह नहीं दिया, कि एक मर्तवा सहकारिता कमेटी की बैठक बुलाएं। श्रीमन्, मैं भी उस कमेटी में हूं। जब-जब मुझे सूचना मिलती थी तो जब मैं अपने कमरे में लौट कर आता तो यहां पर एक दूसरा लिफाफा मिल जाता है कि स्थगित हो गई। एक ही मर्तवा नहीं यह कई बार हो चुका है। अभी हाल में 28 जुलाई को ही ऐसा हुआ।

जहां तक निचली इकाई का प्रश्न है मैं आपका ध्यान अपने जिले फैजाबाद की ओर आर्कषित करना चाहता हूं। हमारे यहां पर नेवादा और रफीगंज संगठन हैं। रफीगंज में एक भी पैसा नहीं है, सारा का सारा रुपया गबन हो गया है। यह दशा वहां पर गत 7 वर्ष से है। कई बार जब भी यहां पर सहकारिता आन्दोलन का विषय उठा मैंने आपका और सदन का ध्यान इस ओर आर्कषित किया लेकिन आज तक भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहां का जो लिपिक था, उसने सबसे बड़ा हिस्सा लिया। श्री राज देव यादव जिसको वहां से हटाना चाहिए था उसी को फिर हमारे ही जिले में दूसरे स्थान पर चेन्ज कर दिया। आज वह बड़े फक्र के साथ कहता है कि गबन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सहकारिता के आन्दोलन के जरिए से जो जनता की सहायता करना चाहते हैं, उनको कर्ज देना चाहते हैं वह उद्देश्य ही पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है।

आप देखने की कृपा करें नेवादा संघ से 50 हजार रुपए का लोन लिया गया एक बड़े ताल्लकेदार के द्वारा लेकिन उससे एक भी पैसा वसूल नहीं किया गया है? वहां से किसी भी किसान को कोई पैसा नहीं मिला है। मैंने स्वयं व अधिकारियों से कहा लेकिन वे कहते हैं कि हमारे विभाग में बड़ी गड़बड़ी है। मैं नेवादा संघ पर गया। वहां पर एक अमीन है जिसका नाम श्री राम केल यादव है। उसने इस प्रकार से गबन किया है कि एक दूसरें किसान से 200 रुपए का गबन किया और 30रुपए की रसीद काट दी अपने बाप के नाम। वहां के ए0डी0ओ0 ने, जिसे मैं ईमानदार तो नहीं कहूंगा, उसे पकड़ा और उस अमीन के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 लिखाई गई, लेकिन आज तक भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। वह अमीन आज भी वहीं काम कर रहा है। बी0 डी0 ओ0, जलालपुर ने चार्ज लगाया लेकिन आज तक भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। यही नहीं राम केल यादव ने 15 हजार रुपया जाली रसीदों से वसूल किया है। उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 हुआ हम लोग भी गए। सारी रसीदें आपके

[श्री भगवती प्रसाद]

यहां पर जमा हुई, लेकिन ए0 डी0 ओ0 ठीक से सबूत नहीं दे सके उसका तत्काल ट्रान्सफर कर दिया गया। वहां के अध्यक्ष ने मुझ से कहा कि ब ड़ा घोटाला है। ए0 डी0ओ0 के यहां जब मैं जाता हूं तो वे कहते हैं कि लिपिक के खिलाफ वे कोई कार्यवाही करने में असमर्थ हैं। मेरी प्रार्थना है कि जो वहां पर 7 वर्ष से गबन चला आ रहा है उसकी आप इन्क्वयारी करायें और दोषी व्यक्तियों को न केवल जेलों में ही बन्द करवायें बल्कि उनकी जायदाद से उस रुपये को वसूल करावें। जब तक ऐसा नहीं किया जायगा तब तक सहकारिता के आन्दोलन को आप शह न दे सकेंगे और जो लोगों की आस्था है वह दिनो दिन घटती चली जाएगी।

आपके जो सुपरवाइजर हैं वे भी 8 गज कप ड़ा जो कोआपरेटिव संगठन से मिलता है उसे चुरा कर ले जाते हैं। आपके जो भी उच्चाधिकारी है, उनका बिल्कुल भी कन्ट्रोल नहीं है क्योंकि वे अधीनस्थ कर्मचारियों से पैसा लेकर घोटाला करते हैं और उनकी करतूतों पर पर्दा डालते हैं। एक नहीं इस प्रकार के प्रदेश में और बहुत से मामले हैं। यह एक बहुत ही महत्व-पूर्ण विषय है और मैं समझता हूं कि जब तक आप सख्ती से कोई कदम नहीं उठायेंगे प्रदेश का कल्याण होने वाला नहीं है क्योंकि इसका लिंक किसान और मजदूरों से भी है। अन्त में मैं पुन : सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वे तुरन्त इन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करें।

कुमारी रमा पन्त (जिला अल्मो ड़ा)—

मान्यवर, आज सदन में माननीय सहकारिता मंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1976 प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने एवं अपने सुझाव पेश करने के लिए खड़ी हुई हूं। जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने बताया आज सहकारिता विभाग में बड़ी धांधली मची हुई है। मेरा जिला भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ है और मेरा विचार है कि यदि मैं उसकी आज यहां पर चर्चा न करूं तो मेरे अपने क्षेत्र की जनता के प्रति अन्याय करना होगा। सरकार के सहकारिता के जो सिद्धान्त हैं और इसके कार्यान्वियन की व्यवस्था है यह बहुत ही सराहनीय है। और सारी जनता ने इसके सफल होने में अपना योगदान दिया है लेकिन आज भी इसमें कुछ खामियां रह गई हैं। आज इसमें कुछ चालाक लोग बैठे हुए हैं, जो समितियों पर कब्जा किए हुए हैं और जिन्होंने सहकारिता की व्यवस्था को जनता को लाभ पहुंचाने के बजाय अपने लाभ का साधन बना लिया है। और इसका नतीजा यह हुआ कि जब पिछली दफा वसूली आई तो मेरे जिले में ब ी खेदजनक स्थिति देखने को मिली। जो व्यक्ति मर चुका है, उसकी मृत्यु के 2-4 साल बाद ऋण दिखाया गया है। उसकी वसूली आयी है। नाबालिग बेसहारे बच्चों के नाम वसूली आयी है। बेसहारा महिलाओं, विधवाओं के नाम वसूली आई है। मान्यवर, जब एकाएक उन बेचारों पर वसूली आई तो ऐसा लगा कि उनके ऊपर बज्रपात हो गया है। वे बेचारे बेसहारे और नाबालिग बच्चे हम प्रतिनिधियों के पास माननीय मन्त्री जी के पास दौड़े आए।

मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस व्यवस्था को सतर्क बनायें ताकि धूर्त लोग इसे अपने लाभ का माध्यम न बना लें। जो सरकारी कर्मचारी ईमानदार हैं वह लाख कोशिश करें, जैसा सरकार का ध्येय है, लेकिन यह तो सफल होने वाला है नहीं। अगर उसको इतना दृढ़ नहीं बनाया जायगा. तो यह चीज जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। हमारी जनता बहुत ईमानदार है, लेकिन हमारी जनता जानकार नहीं है। हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोग तो दूसरों पर बहुत जल्दीं विश्वास कर लेते हैं। बहुत बार तो ऐसा हुआ कि उनसे दस्तखत करा लिए और ऋण स्वयं ले लिया। मेरे क्षेत्र की जनता ने तो विश्वास करके दस्तखत कर दिया अब उन लोगों के पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं है। सहकारी बक से उनको पसा दिया गया है। वसूली में ब ी सख्ती की जा रही है। लोगों के नाम पर जाली रूप से उनसे दस्तखत करा लिया और जिन्होंने दस्तखत नही भी किए उनके दस्तखत बना लिया चाहे सरकार की तरफ के लोग हों चाहे जनता की तरफ के लोग हों,

उनके ऊपर तो कड़ी से कड़ी कार्यवाही करना चाहिए। जो ऐसी गलतियां हो गयी हैं, ऐसी भविष्य में नहीं होनी चाहिए।

आज हर व्यक्ति ऋण लेने में डर रहा है। जो नहीं ले रहा है वह भी डर रहा है कि पता नहीं कब हमारे सिर पर ऋण का बोझ आ जाय। इसलिए मान्यवर, मेरा माननीय मन्त्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध है कि वह इस पर ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश करें कि जो अन्याय जनता के साथ हो रहा है भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति न हो। जहां पर हमारे सहकारी बैंक हैं वहां पर अपना पैसा जमा करने में भी अब जनता डरने लगी है। मैं समर्थन तो इस बिल का कर ही रही हूं लेकिन यह भी कहना चाहती हूं कि इसमें सुधार की भी आवश्यकता है। मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

मैं आभारी हूं उन आदरणीय सदस्यों का उनके सुझावों के लिए। लेकिन मुझे थो ा सी तकलीफ है कि जो बात वह कह गए। उससे बिल से कोई मतलब नहीं था। आज यह बात सही ह कि हमारा सहकारी आन्दोलन पिछले बहुत दिनों से बदनाम रहा है। लेकिन वह बात पुरानी हो गयी और जो इस आदरणीय सदन के सदस्य हैं उनको यह मानना प ेगा कि उसमें परिवर्तन होना शुरू हो गया। हमने एक सहकारिता आयोग बनाया है और वह आयोग और सहकारिता आन्दोलन में किस-किस को क्या-क्या करना है उसके विषय में रिपोर्ट देंगे। वह एक समय होगा कि जिस समय हम और आप सब सलाह करेंगे कि इस कानून में विस्तृत रूप से क्या करने की आवश्यकता है? किस-किस को माना जाय और किस-किस को सुपुर्द करने की जरूरत है। आज तो बहुत छोटा सा बिल लाया गया है। जो बातें आपने कहीं हैं उन्हीं को उसमें दोहराया है।

एक आपने कहा कि जो गरीब लोग हैं जो आज सदस्य नहीं बन सकते थे उनके लिए यह किया कि जो आदमी जिस वक्त दरख्वास्त देगा उस वक्त से सदस्य मान लिया जायगा। इसमें कौनसी बात है जो प्रवर समिति में भेजने की बात रख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो लोग कि 10-10, 15-15, 20-20- वर्ष से काबिज थे वह अदालतों में पहुंच जाते थे और मुकदमें लड़ा करते थे। हमने यह कर दिया है कि जिस रोज चुनाव की तारीख उनकी समाप्त हुई उस रोज वह कमेटी भंग मान ली जाय। यह नहीं कि मुकदमा लड़ते रहे और 10-15 वर्ष तक मामला लटका रहे। तो जब उनका टर्म खत्म हुआ उस रोज वह सदस्य नहीं रहे। वह कमेटी या सोसाइटी भंग हो गयी या अपेक्स बाडी के सदस्य नहीं रहे, सेक्रेटरी चार्ज ले लेगा। जब उनका इन्टरेस्ट नहीं रहा तो कोर्ट में मुकदमा नहीं करेंगे। इसमें आप भी एग्री करते हैं। उसके अलावा लोग बैंक में रुपया जमा नहीं कराते थे। लोग समझते थे कि हमारा रुपया मारा जायगा तो उसको हमने इन्श्योर करा दिया। अब हर आदमी को यकीन हो गया कि अगर कोआपरेटिव बैंक में जमा कर देंगे तो वहां भी नहीं मारा जायगा। उसका नतीजा यह हुआ कि जब लोग पहले डरते थे जमा कराने में, अब 26 करोड़ रुपया हमारे यहां जमा कर दिया और आगे भी जमा करायेंगे।

तो ये तीन चीज इस विधेयक में हैं। जहां तक आपने गबन की बात बतायी और अन्य सुझाव दिए वह भी इसमें हैं। सुपरवाइजर्स का हमने ट्रान्सफर किया है। दो चार की बात तो कहता नहीं हूं। सुपरवाइजर के अलावा बहुत सी सर्विस बैंक्स की थीं उनमें सचिव भी है। उनका एक कैडर बना रहे हैं। पूरा बना नहीं है, दो तीन-चार महीने के अन्दर ऐसा कैडर बना देंगे। फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रान्सफर हो सकेंगे और उनका कन्ट्रोल उससे हो सकेगा जिससे कोई गड़बड़ी नहीं हो सकेगी।

जहां तक गबन के मामले हैं। अब नयी जो बाडी है उसमें हम चेक रखना चाहते हैं। अब हम यह करने जा रहे ह कि सबको पास-बुक दी जाएं जिसमें एक तस्वीर रहेगी और जब चेक मिलेगा तो जो रूपया आपको मिलगा वह पास बुक में जमा होगा। जब

[श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा]

रुपया जमा होगा तब उस पास-बुक में जमा करेंगे। तो फिर गड़बड़ी करने की कोई गुंजायश है नहीं। जहां तक पुराने केसेज हैं उनको हम दिखवा रहे हैं। ज्यों-ज्यों हमारे नोटिस में आते हैं हम करवा रहे हैं। मैं आपका कृतज्ञ हूं कि जो मेरे नोटिस में बातें नहीं थीं वह आपने यहां उठायीं। जो-जो मेरे नोटिस में न हों वह आप बता दीजिए। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि एक बेईमान को भी बख्शूंगा नहीं।

जहां हमारी नोटिस में यह आया कि कुछ लोगों ने कर्जा ले लिया और दिया नहीं, तो उनसे कह दिया है कि इनसे वसूल न किया जाय, स्टे करा दिया और इनकी ज च की जाय। लेकिन दिक्कत यह होती है कि लोग यह कहते हैं कि दस्तखत तो हमारे हैं लेकिन कर्जा हमने नहीं लिया। तो आज 15 वर्षों के बाद कैसे यह साबित हो सकता है कि आपने कर्जा नहीं लिया ?

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

बहुतों ने नहीं लिया।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

जिन्होंने नहीं लिया, वह हमने रोक दिया, और रोक ही नहीं दिया, माफ भी कर दिया है।

नेगी जी ने सेवा मन्डल का सवाल उठाया। हमारे सामने दिक्कत यह थी, मैं कहना नहीं चाहता था, कि अगर एक सचिव को नौकरी देनी हुई तो बैंक की, एक ब्रांच ही खोल दी चाहे उसकी वहां आवश्यकता हो या न हो। तो मैंने यह आदेश दे दिया है कि डिवीजनल हेडक्वार्टर में जा कर सेवा मन्डल वहीं सेलेक्शन करेगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं यह भी बता दूं कि हमने न्याय पंचायत लेविल पर पूरे प्रदेश में जो रिआर्गेनाइजेशन किया ह उस में फुल टाइम पेड सेक्रेटरी रहेंगे। इनका सेलेक्शन सेवा मन्डल की मारफत लोकल लेविल पर, जो नम्बर आया करते थे उस हिसाब से हुआ। मैंने कोशिश की थी कि जिला लेविल पर हो। चपरासी वगैरह को जरूर हम सोच रहे हैं कि सेवा मन्डल के परब्यू से निकाल दें। लेकिन किसी न किसी को तो देना ही प ेगा। बैंक में चूंकि ज्यादा तनख्वाह मिलती है इसलिए जरूरत हो या न हो नौकर रख लिया। इस पर तो रोक लगानी प ेगी। इसके बारे में नेगी साहब को मालूम है, खासतौर से पहाड़ के लोगों को उनसे विचार करने के लिए हमने बुलाया है। इस विधेयक में तो सब वही बातें हैं जो आप चाहते हैं। तो फिर प्रवर समिति में भेजने का कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन सहकारिता आयोग की रिपोर्ट आने के बाद आपसे सलाह करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी --

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। सेवा मण्डल आपने बना दिया, ट्रांसफरेबिल पोस्ट भी आपने बना दी लेकिन जो चुने हुए लोग आपने बोर्ड में रख रखे हैं बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में उनको भी भंग कीजिए क्योंकि उनका न तो सुपरवाइजर के ऊपर नियन्त्रण है, न सेक्रेटरी के ऊपर नियन्त्रण है, न एग्जीक्यूटिव आफिसर के ऊपर और न चपरासी के ऊपर। तो इनको भी खत्म कीजिए।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

यह आपकी गलतफहमी ह या आपने स्टडी नहीं किया। आज भी म्यूनिसिपल बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं, जो एक्जीक्यूटिव आफिसर हैं उनका सेलेक्शन दूसरी जगह से होता है। आप उनके कैरेक्टर रोल में एन्ट्री कर सकते ह, उनको हटा सकते हैं। लेकिन अगर एक्जीक्यूटिव आफिसर का आप ही एप्वाइंटमेन्ट करें तो यह कभी चलने वाला नहीं है। ऐसे तो आप देखेंगे कि मिनिस्टर का कन्ट्रोल ही नहीं है। लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। नियन्त्रण तो उन्हीं का रहेगा, पर वे नियुक्तियां नहीं कर सकते।

हमारे एक साथी ने चुनाव का जिक्र किया। चुनाव कराने का हमारा इरादा था और आज भी है। आज अगर चुनाव करायें तो दो माह बाद फिर कराना पड़ेगा, यह ठीक

नहीं होगा। पहले इसका री-आर्गेनाइजेशन हो जाए तभी यह कराना ठीक होगा। इसीलिए हमने एक वर्ष का समय लिया है। लेकिन हमारा इरादा डेफिनिट है, चनाव कराने का। आप इस विधेक को पास करें, यही मेरा निवेदन है।

श्री देव कुमार यादव—

माननीय मन्त्री जी ने चूंकि सहकारिता आयोग बना दिया है, अत : मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधन वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय।

(सदन की अनुमति से श्री देव कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत संशोधन वापस हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1976, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 8 खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1976

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने और उनसे सम्बन्धित विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1966 में नई धारा 26-क का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 26 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, और 25 जून, 1976 से बढ़ाई गई समझी जायगी, अर्थात् :—

प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों के लिए सर्वव्यापी सदस्यता

"26-क—(1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम, नियमों तथा उप-विधियों के अधीन सदस्य बनाए जान के लिए अर्ह है और किसी प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति की सदस्यता के लिए नियत रीति के प्रार्थना-पत्र देता है, तो यह समझा जायगा कि वह समिति के कार्यालय में ऐसे प्रार्थना-पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से ऐसी समिति का सदस्य बनाया गया है।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन उक्त व्यक्ति के सदस्य बनाए जाने के दिनांक के पश्चात् किसी समय यह पता लगे कि सम्बद्ध व्यक्ति इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन ऐसी समिति का सदस्य होने के लिए अर्ह नहीं है, तो निबन्धक इस अधिनियम में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, ऐसा पता लगने के दिनांक से तीन महीने की अवधि के भीतर या तो स्वत : या सम्बद्ध समिति के प्रार्थना-पत्र पर ऐसे व्यक्ति को कारण बताने का नोटिस दे सकता है कि उसे समिति की सदस्यता

से क्यों न हटा दिया जाय, और ऐसा व्यक्ति निबन्धक के इस निमित्त दिए गए आदेश पर, आदेश के दिनांक से, ऐसी समिति का सदस्य न रह जाएगा।"

धारा 29 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 29 में —

(एक) उपधारा (2) में, प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जायगा और 25 जून, 1976 से निकाला गया समझा जायगा।

(दो) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, और 16 फरवरी 1976 से रखी गयी समझी जायगी :—

"(4) (क)—जहां, किसी कारण से, चाहे वह जो भी हो, प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन, निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व नहीं हुआ है अथवा नहीं हो सका वहां इस अधिनियम या नियमों या समिति की उपविधियों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रबन्ध कमेटी ऐसे कार्यकाल के समाप्त होने, पर विद्यमान नहीं रह जाएगी।

(ख) निबन्धक, ऐसे कार्यकाल की समाप्ति पर या समाप्ति के पश्चात्, यथाशीघ्र, प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन होन तक समिति के कार्यकलापों का, इस अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध करने के लिए प्रशासक नियुक्त करेगा और निबन्धक को समय-समय पर प्रशासक को बदलने की शक्ति होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि जब तक इस उपधारा के अधीन कोई प्रशासक नियुक्त न किया जाय तब तक समिति का, यथास्थिति, सचिव या प्रबन्ध निदेशक प्रबन्ध कमेटी के केवल साम्प्रतिक कर्त्तव्यों का प्रभारी होगा।

स्पष्टीकरण:—जहां वहिर्गामी कमेटी के निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसी कारण से, चाहे जो भी हो, प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन के परिणाम घोषित न किए गए हों या घोषित न किए जा सके हों, वहां यह समझा जायगा कि इस उपधारा के अर्थान्तर्गत कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन नहीं हुआ है।"

(तीन) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी और 16 फरवरी, 1976 से रखी गयी समझी जायगी अर्थात् :—

"(6) उपधारा (4) के अधीन नियुक्त प्रशासक, यथाशक्य शीघ्र, किन्तु उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ होने के दिनांक से अथवा अपनी नियुक्ति के दिनांक से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व इस अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के अनुसार समिति का प्रबन्ध उससे प्राप्त करने के लिए, प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन करने की व्यवस्था करेगा।

स्पष्टीकरण:—उपधारा (4) के अधीन प्रशासक की नियुक्ति के पूर्व निर्वाचन की प्रक्रिया के प्रारम्भ हो जाने से पर भी ऐसी नियुक्ति के पश्चात् निर्वाचन की नई प्रक्रिया प्रारम्भ की जायगी।"

(चार) उपधारा (7) निकाल दी जायगी और 16 फरवरी, 1976 से निकाल दी गई समझी जायगी।

धारा 34 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 34 में, उपधारा (1) में, द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के आरम्भ में आए हुए शब्द "अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि" के स्थान पर शब्द "अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्ड में किसी बात के होते हुए भी" रख दिए जायेंगे और 17 जनवरी, 1972 से रखे गए समझे जायेंगे।

नए अध्याय 11-क का बढ़ाया जाना

5—मूल अधिनियम की अध्याय 11 के पश्चात् निम्नलिखित नया अध्याय बढ़ा दिया जायगा और 28 अगस्त, 1976 से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्:—

"अध्याय 11-क

बीमाकृत सहकारी बैंक

निर्वाचन

एक्ट संख्या 47, 1961

90-क—इस अध्याय में 'बीमाकृत सहकारी बैंक" का तात्पर्य डिपाजिट इन्श्योरेन्स कारपोरेशन एक्ट, 1961, जिसे आगे इस अध्याय में उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन किसी बीमाकृत सहकारी बैंक से है।

बीमाकृत सहकारी बैंकों पर लागू होने वाले विशेष उपबन्ध

90-ख—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित उपबन्ध प्रत्येक बीमाकृत सहकारी बैंक पर लागू होंगे, अर्थात् :—

(एक) किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के समामेलन या विलयन या विभाजन या समापन की योजना या संकल्प को स्वीकृत करने वाला कोई आदेश निबन्धक द्वारा रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व स्वीकृति मात्र से ही दिया जा सकता है।

(दो) किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के समापन का आदेश उक्त अधिनियम की धारा 13-डी में निर्दिष्ट परिस्थितियों में रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी अपेक्षा किए जाने पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन दिया जायगा।

(तीन) यदि रिजर्व बैंक की यह राय हो कि लोक हित में या किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के कार्य कलाप की ऐसी रीति से जो निक्षेपकों के हित के विरुद्ध हो, संचालन रोकने के लिए या ऐसे सहकारी बैंक के समुचित प्रबन्ध को सुनिश्चित करने के लिये ऐसा करना आवश्यक है तो वह निबन्धक से कुल मिलाकर पांच वर्ष से अनधिक उतनी अवधि के लिए, जितनी रिजर्व बैंक के द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे सहकारी बैंक के प्रबन्ध कमेटी या अन्य प्रबन्ध निकाय के (चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाय) अवक्रमण का और उसके लिए प्रशासक की नियुक्ति का आदेश देने की अपेक्षा कर सकता है और निबन्धक तदनुसार आदेश देगा और धारा 35 तथा 36 के शेष उपबन्ध ऐसे आदेश के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे मानों आदेश धारा 35 के अधीन दिए गए हों, किन्तु प्रबन्ध कमेटी को सुनवाई का अवसर देने और समिति के सामान्य निकाय की राय प्राप्त करने की उस धारा की अपेक्षायें लागू नहीं होंगी।

(चार) किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के प्रबन्ध कमेटी के सभापति या सदस्यों द्वारा धारा 35-क की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपना-अपना पद रिक्त करने की दशा में रिजर्व बैंक निबन्धक से ऐसे बैंक के कार्य-कलाप का प्रबन्ध करने के लिए ऐसी व्यवस्था करने की अपेक्षा कर सकता है जैसी वह उचित समझे और निबन्धक तदनुसार आदेश देगा, और धारा 35-क के शेष उपबन्ध ऐसे आदेश के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे मानों आदेश उस धारा के अधीन दिया गया हो।

(पांच) किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के समामेलन या विलयन या विभाजन या समापन की योजना या संकल्प को स्वीकृत करने वाले या रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व स्वीकृति से या अपेक्षा पर ऐसे बैंक के प्रबन्ध कमेटी या अन्य प्रबन्ध निकाय (चाहे वह किसी नाम से पुकारा जाय) के अवक्रमण तथा उसके प्रशासक की नियुक्ति के आदेश पर किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं की जाएगी।

(छः) यथा स्थिति, परिसमापक या बीमाकृत सहकारी बैंक या अन्तरिती बैंक उक्त अधिनियम की धारा 21 में उल्लिखित धनराशि डिपाजिट इन्श्योरेन्स कारपोरेशन को उक्त धारा में निर्दिष्ट परिस्थितियों में और सीमा तक और रीति से प्रतिसंदाय करने के लिए बाध्य होगा।"

बैधीकरण

6--किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, --

(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (4) के अधीन निबन्धक द्वारा दिया गया या दिए जाने के लिए तात्पर्यित कोई आदेश उसी प्रकार विधिमान्य समझा जायगा मानो इस अधिनियम द्वारा उक्त उपधारा में किए गए संशोधन सभी सारवान समय पर प्रवृत थे।

(2) निबन्धक इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त धारा 29 के उपबन्धों के अनुसार कोई ऐसा नया आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे।

(3) राज्य सरकार के द्वारा मूल अधिनियम की धारा 34 के अधीन किया गया या किए जाने के लिए किसी समिति की प्रबन्ध कमेटी के सभापति का नाम-निर्देशन, विधिमान्यतः किया गया समझा जायगा मानों इस अधिनियम द्वारा उक्त धारा में किया गया संशोधन सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

नियम 445 का परिणामी संशोधन

7--उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम 445 में प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जायगा और 16 फरवरी, 1976 से निकाला गया समझा जायगा।

निरसन तथा अपवाद

8- (1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, 1976 तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19, 1976 तथा संख्या 27, 1976

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही उसी प्रकार समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1976, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1976, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 1976†

श्रम राज्य मन्त्री (श्री रमेन्द्र वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 1976, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इस संशोधन विधेयक द्वारा दो एक धाराओं में संशोधन किया जा रहा है। इसमें एक नए अध्याय—1-क को बढ़ाया जा रहा है। एक धारा 40 में संशोधन किया जा रहा है। यह संशोधन दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के हित में किए गए हैं। उनकी सेवा की शर्तों को और सुरक्षित किया गया है। एक यह है 4-क जिसमें दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों के सम्बन्ध में रजिस्टर रखे जाने के लिए है, जो इस प्रकार से है —

4-क—मुख्य निरीक्षक उन समस्त दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों का, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, एक रजिस्टर ऐसे प्रपत्र में रखेगा और जिसमें ऐसा विवरण दिया जाएगा जैसा नियत किया जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे रजिस्टर विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न वर्ग की दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए भिन्न-भिन्न रखे जा सकते हैं।

4-ख—(1) प्रत्येक दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान का स्वामी ऐसे कारोबार के प्रारम्भ होने की तीन मास के भीतर या उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ होने से तीन मास के भीतर, जो भी पश्चात्वर्ती हो, अपनी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान के रजिस्ट्रीकरण के लिए मुख्य निरीक्षक को आवेदन-पत्र देगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र ऐसे प्रपत्र में होगा, और उसके साथ ऐसी फीस होगी, जैसी नियत की जाय, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र देगा।

4-ग—धारा 4-ख के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र ऐसी अवधि के लिए, जैसी नियत की जाय, विधिमान्य होगा और इस निमित्त आवेदन-पत्र और नियत फीस देने पर, मुख्य निरीक्षक द्वारा उसका समय-समय पर ऐसी अग्रेतर अवधि के लिए, जैसी नियत की जाय, नवीनीकरण किया जा सकेगा।

4-घ—जब कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र खो जाय, नष्ट हो जाय, फट जाय या विरूपित हो जाय या अन्यथा अपठनीय हो जाय तो मुख्य निरीक्षक नियत रीति से और नियत फीस देने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति देगा।

---

†3 नवम्बर, 1976 की कार्यवाही में छपा है।

[श्री रमेन्द्र वर्मा]

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 का जो मूल अधिनियम है, उसमें यह संशोधन लाया गया है जो पहले से प्रगतिशील और बढ़ा हुआ कदम है। श्रम आयुक्त के स्तर पर, जो लोग इन दूकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों में काम करते हैं उनकी सेवा दशा में सुधार करने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है। सभी माननीय सदस्य इससे समहत होंगे कि श्रम आयुक्त के स्तर पर सारी सूचनाओं का विस्तार से प्राविधान हो ताकि बड़े-बड़े सेवायोजकों के शोषण से उनको बचाया जा सके। साथ ही उनको सामाजिक न्याय दिलाने में भी यह विधेयक उनके लिए सहायक होगा। इसी दृष्टिकोण से 1962 के मूल अधिनियम में यह संशोधन लाया गया है। मुझे विश्वास है कि आप इस पर कृपा करके विचार करेंगे तथा इसे पारित करेंगे।

*श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 1976 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिय जाय, जो एक मास में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिए जायेंगे)।

मान्यवर, इस संशोधन को पेश करते हुए मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान उन कर्मचारियों की स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिनके सम्बन्ध में इस संशोधन विधेयक म कोई प्राविधान नहीं किया गया है। मान्यवर, सौभाग्य है कि माननीय मन्त्री जी बहुत दिनों से इस प्रदेश की तमाम श्रमजीवी जनता की और समाजवाद की लड़ाई लड़ते रहे हैं और माननीय मन्त्री जी द्वारा यह संशोधन पेश किया गया है और उन श्रमजीवियों के सम्बन्ध में कोई प्राविधान न हो, यह एक बहुत ही असंगत सी बात है।

मान्यवर, यह देखा गया है कि जो लोग इन दुकानों या इन अधिष्ठानों में काम करते हैं, छोटे से छोटे कर्मचारियों के काम करते रहने की कोई गारन्टी नहीं है कि कब तक उनको काम मिलता रहेगा तथा उनको कितना वेतन मिलेगा ? देखा गया है कि हर तरह से उनका शोषण होता रहता है। जब कि खेतिहर मजदूरों तक का वेतन और उनकी मजदूरी तय कर दी गयी है, तथा अन्य और विभागों की मजदूरी और वेतन न्यूनतम तय कर दिया गया है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के दूकानदार हैं, उनके जितने भी पढ़े-लिखे या अनपढ़े लिखे कर्मचारी हैं, उनका जिस तरह से शोषण होता है वह आज की समाजवादी व्यवस्था की दिशा में ले जाने वाला नहीं है। इसलिए उनका न्यूनतम वेतन निर्धारित होना आवश्यक है। इन दुकानों में काम करने वाले कर्मचारी सबेरे 8 बजे से रात के 12 बजे तक काम करते हैं और उनको साल में एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है। यदि कोई किसी कार्यवश छुट्टी लेता है तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। मुझे मालूम है कि पिछले साल एक कर्मचारी जिसका लड़का बीमार था, उसकी वजह से वह दो-तीन दिन तक काम पर नहीं आ सका। उसे तीन रुपए रोज यानी 90 रुपए महीना मिलता था। उसकी आमदनी का और कोई दूसरा जरिया नहीं था। उसको निकाल दिया और वह बेरोजगारी की हालत में रहा।

माननीय मन्त्री जी को चाहिए कि वह प्रदेश की दूकानों में काम करने वाले कर्मचारियों के काम करने के घंटे तय कर दें कि रोज उनको कितने घंटे काम करना होगा। मेरा ख्याल है कि सरकार के कार्यालय में इस तरह की कोई सूची होगी। उनको क्या-क्या सुविधायें दी गयी हैं, इसका कोई प्राविधान इस संशोधन विधेयक में नहीं किया गया है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से आग्रह करता हूं कि इसका प्राविधान करने के बाद में कोई संशोधन विधेयक लायें। इसीलिए मैं आग्रह करता हूं कि आज इस विधेयक को पारित न कराकर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करें जिससे इसमें समुचित प्राविधान हो सके और फिर विधेयक आए जिससे इन लोगों के काम करने के घंटों और अन्य बातों का प्राविधान हो सके।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, माननीय देव कुमार जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय मन्त्री जी ने मूल अधिनियम का हवाला दिया जिसका संशोधन पेश किया गया है। मूल अधिनियम जब से लागू हुआ तब से आज तक इन कर्मचारियों के बारे में, जो दुकानों और दूसरे इस्टेब्लिशमेन्ट में काम करते हैं, कोई ऐसा कार्य श्रम विभाग ने नहीं किया जिसकी सराहना की जाय।

आपने संशोधन पेश किया है तो अच्छा है, पेश करें। लेकिन पिछला जो मूल अधिनियम है, जो लागू हुआ उसको कोई लेखा-जोखा लेना बहुत जरूरी था कि कितने-कितने कर्मचारी किन-किन अधिष्ठानों में कार्यरत हैं। उनकी सेवा नियमावली वगैरह क्या है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शायद बहुत कम कर्मचारी होंगे जो आपके लेबर कोर्ट में गए होंगे। अधिष्ठान में काम करने की वजह से उनका कोई संगठन नहीं बन पाता। अगर संगठन है तो छिटपुट होने की वजह से यूनियन नहीं गठित हो पाती। उनको तमाम कठिनाइयां हैं। उनका संरक्षण यूनियन बनाकर हो ही नहीं सकता है। किसी यूनियन के माध्यम से लेबर कोर्ट में मुकदमा हो सकता है। इनकी दिक्कतों को देखिए और जो कुछ कमी रह गयी है, मूल अधिनियम में जो संशोधन कर रहे हैं उससे उनकी परेशानियों को आप दूर नहीं कर सकते हैं। सरकार का ध्यान उनकी तरफ जाना चाहिए कि किस प्रकार से उनको संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। मनमाने तरीके से अधिष्ठानों में उनसे काम लिया जाता है। न कहीं हाजिरी पुस्तिका है और न आप यह तय कर सकते हैं कि कब से यह काम कर रहे हैं। मनमाने तरीके से उनको निकाल दिया जाता है। जब छोटे-छोटे कर्मचारी निकाल दिए जाते हैं तो नतीजा यह होता है कि वह दर-दर की ठोकरें खाते हैं।

संशोधन जो आपने पेश किया है अच्छा, पेश करने के लिए मैं मुबारकबाद देता हूं लेकिन प्रश्न इसको लागू करने का है और संरक्षण प्रदान करने का है। चाहे कांग्रेस की यूनियन हो या कम्युनिस्ट की पार्टी की, लेकिन उनको सही तरीके से सुरक्षा प्राप्त नहीं हो सकती है क्योंकि वह बिखरे हुए हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह नियम और कायदे-कानून इस तरह से बना दें कि उनको संरक्षण प्रदान होता रहे। काम के घंटों के बारे में और उनकी नौकरी की गारन्टी होनी चाहिए। दूकान खोलने के नियम बने हैं लेकिन आज भी न तो नियमों के अनुसार दूकान खुलती हैं और न बन्द होती हैं। अब तो स्थिति में काफी सुधार हुआ है। 2 साल पहले जो स्थिति थी उसको हम जानते हैं। लेकिन जबसे आपात स्थिति लागू की गयी है काफी सुधार दुकानों के खुलने और बन्द होने के समय में हुआ है। इधर ढिलाई हो गयी है और अब एक घन्टे पहले तथा एक घन्टे बाद में दुकानें बन्द होने लगी हैं। इसलिए यदि किसी कर्मचारी से ज्यादा घंटे काम लिया जाता है तो उस काम का उनको मेहनताना मिलना चाहिए लेकिन वह नहीं मिल पाता है। उनकी कोई यूनियन नहीं है जिससे उनको कोई संरक्षण नहीं प्रदान कर सकता है।

इसलिए आपसे और डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे-छोटे अधिष्ठान के जो कर्मचारी हैं उनको खुद संरक्षण प्रदान करें, कि उनको हर सुविधा टाइम से मिले, नौकरी की गारंटी हो सके और ज्यादा काम उनसे न लिया जा सके तथा जल्दी और आए दिन अधिष्ठान के मालिक उनको नौकरी से निकाल न सकें। श्रम विभाग के पास जो मशीनरी है वह कम है जो कि इस को नहीं देख सकती है। इसलिए इस पर व्यापक तरीके से देखने की आवश्यकता है। अतः यदि यह संशोधन आज पेश करते तो अच्छा होता। जो संशोधन किया है वह बहुत ही अच्छा है। इसलिए निवेदन है कि इसको प्रवर समिति को यदि ले जाते तो बहुत अधिक अच्छा होगा।

श्री रमेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, इस विधेयक में या मूल विधेयक में कार्य करने के घंटे के सम्बन्ध में धारा 6 और सेवा निवृत्ति की धारा 19-20 न्यूनतम वेतन भी जिसमें निर्धारित है, को देखेंगे तो सेवायोजन की जो शर्तें हैं उसमें कर्मचारियों को समय से काम करने, अवकाश के सम्बन्ध में, वार्षिक छुट्टी के सम्बन्ध में, प्रसूति के सम्बन्ध में जिक्र है। माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकृष्ट किया है, उसको प्रभावी ढंग से लागू करने का जो प्रश्न उठाया गया है, जो कर्मचारियों को परेशानियां होती हैं, उनका जो शोषण होता है वास्तव में उनके प्रति आपके मन में जो स्नेह है और जो आपके मन में विचार उठते हैं, मैं उनसे अपने को शेयर करता हूं।

नियमों के बावजूद, आपकी बात सही है कि उन पर अमल करने में कोताही हो जाती है। इसके कारण सारे प्रतिष्ठानों को जो प्रपत्र तैयार करने हैं, जितनी बातें कही हैं हैं, वह सब बातों को पूरा करते हैं। अब श्रमायुक्त के स्तर पर प्रत्येक दुकान का विवरण होगा जिसमें प्रत्येक कर्मचारी का विवरण होगा और पूरी उसकी स्थिति होगी जो पहले उपलब्ध नहीं होती थी ? यह कानूनी दृष्टि से सुरक्षित होगा। इन नियमों का पालन कड़ाई से हो इसलिए यह संशोधन लाया गया है। मैं सहमत हूं कि पिछले दिनों जो कोताही हुई थी उसी के लिए यह संशोधन है। मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग, सतर्कता के कारण और सरकार की कर्तव्यपरायणता से श्रमिकों का कहीं शोषण नहीं होने पाएगा। आप सहमत होंगे कि जो 15 अक्तूबर से लागू कर दिया गया है और पहले भी लिखा था लेकिन एडवान्स पंजीयन के बाद और अनिवार्य शुल्क का प्राविधान कर दिया गया है। इसके बाद निश्चित रूप से अमल करने में कानून को कार्यान्वित करने में मदद मिलेगी और सरकार का दायित्व है। मैं आपसे सहमत हूं कि इसको कार्यान्वित करने में सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और श्रमिकों का शोषण होने नहीं देंगे। ऐसा मेरा विश्वास है। इन शब्दों के साथ आपसे विनय करूंगा कि आप संशोधन को वापस लें।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या मन्त्री जी श्रमिकों के ऊपर यह प्रोविडेन्ट फन्ड योजना, पेन्शन योजना भी लागू करेंगे ?

श्री रमेन्द्र वर्मा—

इस मूल अधिनियम में और इस में जो प्राविधान है आप उसका अध्ययन कर लें और कभी मालूम हो तो बता दें। उस सिलसिले में निश्चित रूप से जो नियमानुकूल होगा, किया जाएगा।

श्री देव कुमार यादव—

मन्त्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य और आश्वासनों के तहत इस संशोधन को वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री देव कुमार यादव को अपना संशोधन वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय।

(सदन की अनुमति से श्री देव कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत संशोधन वापस लिया।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 1976, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 3, 4 तथा 5

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1962 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, —

(1) खण्ड (1) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(1-क) 'मुख्य निरीक्षक' का तात्पर्य धारा 29 के अधीन नियुक्त मुख्य निरीक्षक से है और इसमें उक्त धारा के अधीन नियुक्त उप-मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक भी सम्मिलित है ; "

(2) खण्ड (13) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(13-क) किसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान के सम्बन्ध में 'स्वामी' के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो ऐसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान चलाता हो या उसका प्रभारी हो ; "

नए अध्याय 1-क का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम के अध्याय 1 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

"अध्याय 1-क

दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों का रजिस्ट्रीकरण

दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों का रजिस्टर

4-क—मुख्य निरीक्षक उन समस्त दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों का, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, एक रजिस्टर ऐसे प्रपत्र में रखेगा जिसमें ऐसा विवरण दिया जायगा, जैसा नियत किया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे रजिस्टर विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न वर्ग की दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए भिन्न-भिन्न रखे जा सकते हैं।

रजिस्ट्रीकरण

4-ख—(1) प्रत्येक दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान का स्वामी ऐसे कारोबार के प्रारम्भ होने के तीन मास के भीतर या उत्तर प्रदेश दुकान और वणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ होने से तीन मास के भीतर, जो भी पश्चात्वर्ती हो, अपनी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान के रजिस्ट्रीकरण के लिए मुख्य निरीक्षक को आवेदन-पत्र देगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र ऐसे प्रपत्र में होगा और उसके साथ ऐसी फीस होगी, जैसी नियत की जाय।

(3) मुख्य निरीक्षक अपना यह समाधान होने पर कि नियत फीस जमा कर दी गयी है, धारा 4-क के अधीन रखे गए रजिस्टर में दुकान या वाणिज्य को दर्ज करेगा और स्वामी को ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसी नियत की जाय, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र देगा।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की अवधि और उसका नवीकरण

4-ग—धारा 4-ख के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र ऐसी अवधि के लिए, जैसी नियत की जाय, विधिमान्य होगा और इस निमित्त आवेदन-पत्र और नियत फीस देने पर, मुख्य निरीक्षक द्वारा उसका समय-समय पर ऐसी अग्रेतर अवधि के लिए, जैसी नियत की जाय, नवीनीकरण किया जा सकेगा।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति

4-घ—जब कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र खो जाय, नष्ट हो जाय, फट जाय या विरूपित हो जाय या अन्यथा अपठनीय हो जाय तो मुख्य निरीक्षक नियत रीति से और नियत फीस देने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति देगा।"

धारा 40 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 40 में—

(1) उपधारा (1) में, शब्द 'नियम बना सकती है' के स्थान पर शब्द 'अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है' रख दिए जायेंगे ;

(2) उपधारा (2) में खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिए जायेंगे ; अर्थात् :—

"(ख-1) अध्याय 1-क के अधीन दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों के रजिस्टर का प्रपत्र ;

(ख-2) अध्याय 1-क के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए फीस ;

(ख-3) अध्याय 1-क के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का प्रपत्र ;"

(3) उपधारा (4), निकाल दी जायगी।

निरसन और अपवाद

5—(1) उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं0 24, 1976

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के तत्सम उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4 तथा 5 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 1976

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों के रजिस्ट्रीकरण की तथा सम्बन्धित विषयों की व्यवस्था करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिय अधिष्ठान अधिनियम, 1962 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) यह दिनांक 15 अक्तूबर, 1976 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रमेन्द्र वर्मा—

महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 1976, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं मान्यवर, जो संशोधन विधेयक इस समय पारित करने के लिए सदन में प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करता हूं इसे पारित होना ही चाहिए लेकिन दो बातें मन्त्री जी से इस सन्दर्भ में निवेदन करना चाहता हूं। अभी प्यारे लाल शर्मा जी ने तीन मूल प्रश्न उठाए थे कि क्या कर्मचारियों को पेन्शन प्राप्त होनी चाहिए या नहीं ? कर्मचारियों पर यह प्रोविडेन्ट फन्ड योजना लागू की जायगी या नहीं ? क्या कर्मचारियों में E.S.I. की योजना लागू होना चाहिए या नहीं ? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जब तक इन बातों से बाजार कर्मचारियों को लाभ नहीं प्राप्त होता है और उसके साथ ही साथ जैसा कि अन्य कर्मचारियों के लिए बोनस का नियम लागू है बाजार के कर्मचारियों के ऊपर यदि इस नियम को लागू नहीं किया जाता है तो उनको दूसरे कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधा प्राप्त नहीं हो सकेगी। मैं इसी सन्दर्भ में एक और निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ समय पूर्व महामहिम राज्यपाल जी ने बाजार कर्मचारियों के ऊपर न्यूनतन वेतन कानून को भी लागू किया, लेकिन चार-छः महीने बीत चुके हैं अभी सैड्यूल निकलना चाहिए था वह नहीं निकला है जिसके कारण वह आदेश अभी तक प्रभावी नहीं हो सका है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि....

श्री अध्यक्ष—

यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री भगवती सिंह विशारद—

अभी इस में बहुत गहंराई में जाने की जरूरत है और भविष्य में जब भी इस सन्दर्भ में आप कोई विचार करें, तो जो विचार मैंने प्रस्तुत किए हैं उनको भी सामने रख कर उन पर भी विचार करेंगे और कर्मचारियों के लाभ के लिए इस विधेयक में आवश्यक संशोधन करने की कृपा करेंगे।

श्री रमेन्द्र वर्मा—

माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिए हैं भविष्य में विचार के लिए सर्विस कन्डीशन के बारें में मैं उनका स्वागत करता हूं। वे स्वयं भी इन संगठनों में हैं और बहुत सक्रिय रूप से स्थिति को जानते हैं। वास्तविक कानूनी दृष्टि से यदि उनके सुझावों का समावेश हो सकेगा, तो भविष्य में विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 1976, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश फन्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन) विधेयक, 1976†

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश फन्डामेन्टल रूल 56(संशोधन)विधेयक, 1976 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

---

†3 नवम्बर, 1976 की कार्यवाही में छपा है।

[श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी]

मान्यवर, यह बहुत ही छोटा सा विधेयक है, जिसके कि सम्बन्ध में हमारा आग्रह है कि आदरणीय सदन इस पर विचार करें। इसके द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खंड 2 भाग 2 के मूल नियम 56 में संशोधन किया जा रहा है। संशोधन की मुख्य बातें इस प्रकार हैं कि मूल नियम 56 खंड 'ग' में द्वितीय बार आये हुए शब्द "पचास वर्ष" के स्थान पर "पैंतालीस वर्ष" रखा जाय।

(इस समय 2 बजकर 6 मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए।)

(2) मूल नियम 56 के खंड (ङ) में एक प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ाया जा रहा है। इसका सम्बन्ध पेन्शन और ग्रेच्युटी से है। मान्यवर, पिछले साल मूल नियम 56 में आंशिक संशोधन किया गया था और इसके लिये 7 जून को एक अध्यादेश पारित हुआ था जिसको बाद में इस आदरणीय सदन की सहमति से अधिनियमित किया गया था। उसमें प्राविधान था कि सरकारी कर्मचारियों को 50 वर्ष के बाद 3 माह का नोटिस देकर सेवा निवृत्त कर दिया जाय। साथ ही साथ सरकारी कर्मचारी को भी यह विकल्प था कि 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की अर्ह सेवा पूरी करने के बाद जो भी पहले हो, नियुक्ति प्राधिकारी को नोटिस देकर स्वेच्छया सेवा निवृत हो सकता है।

मान्यवर, समय-समय पर शासन के कार्यों पर विचार करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिये या अन्य सम्बद्ध मसलों पर विचार करने के लिए मुख्य सचिवों का सम्मेलन हुआ करता था। पिछले 7 और 8 मई को मुख्य सचिवों का एक सम्मेलन दिल्ली में हुआ था उसम सरकारी कर्मचारियों के अनिवार्य सेवा निवृत्त के प्रश्न पर विचार किया गया था और उसने कुछ संस्तुतियां की थीं। मुख्य संस्तुति यह थी कि जो सरकारी अधिकारी या कर्मचारी पदोन्नत न होने के कारण या किन्हीं अन्य कारणवश अपना कार्य सुचारु रूप से न कर पाता हो या किसी कारणवश अपनी कार्यक्षमता न बढ़ा पाता हो तो उसको प्रेरणा देनी चाहिए कि वह 50 वर्ष का इन्तजार न करे बल्कि 45 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वह स्वेच्छया सेवा निवृत्ति आग्रह-पत्र अपने प्राधिकारी को दे दे। उसको प्रेरणा देने के लिये मान्यवर, यह व्यवस्था की जा रही है कि वह 50 वर्ष में या 45 वर्ष में यह जो अन्तर है 5 साल का, तो 50 वर्ष में उसे जो पेन्शन, ग्रेच्युटी मिलती हो, स्वेच्छया सेवा निवृत्ति का आग्रह-पत्र देने पर उसे इसी समय का लाभ मिल सकता है।

मान्यवर, व्यवस्था यह है कि सामान्यत : यह अनुमन्य है कि सरकारी कर्मचारी जो सेवा निवृत्त होना चाहते हों चाहे उसका काम अच्छा हो या बुरा उसे पेन्शन या ग्रेच्युटी दी जाय लेकिन कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। इसमें जो नियुक्ति प्राधिकारी होगा उसका निर्णय ही लोकहित में लिया गया निर्णय माना जायगा। यह स्पष्टीकरण मूल नियम 56 के स्पष्टीकरण 2 में यह जरा सा संशोधन किया जा रहा है कि, वैसे स्पष्टीकरण' इस प्रकार था कि अनिवार्य सेवा निवृत्ति के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का प्रत्येक ऐसा निर्णय जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, लोकहित में लिया गया उपधारित समझा जायगा। अब इसमें जो संशोधन है वह क्वालिफाइंग क्लाज है, उसको हटाया जा रहा है। अब स्पष्टीकरण उसका इस प्रकार है "प्रत्येक ऐसा निर्णय लोकहित में लागू समझा जायगा"। एक ही मन्तव्य है इस विधेयक का कि जो सरकारी कर्मचारी अथवा अधिकारी डेडवुड है उसे प्रेरणा दी जाय कि वह अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्ति के लिए इन्तजार न करे बल्कि पेन्शन और ग्रेच्युटी का लाभ जो उसे 5 साल का दिया जा रहा है उसका लाभ उठा कर स्वयं ही सेवा निवृत्त हो जाय।

श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

माननीय मन्त्री जी के वक्तव्य को सुन कर मैं यह महसूस करता हूं कि यह संशोधन विधेयक राज्य कर्मचारियों के हित में है। इसलिए मैं अपना प्रस्ताव पेश नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश फन्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन) विधेयक, 1976, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2, 3, 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश फन्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन) विधेयक, 1976

(उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

फण्डामेन्टल रूल 56 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश फन्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

फण्डामेन्टल रूल 56 का संशोधन

2—फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में प्रकाशित उत्तर प्रदेश फन्डामेन्टल रूल्स के समय-समय पर यथासंशोधित नियम 56 (जिसे आगे उक्त नियम 56 कहा जायगा) में, —

(i) खण्ड (ग) में, द्वितीय बार आए हुए शब्द "पचास वर्ष" के स्थान पर शब्द "पैंतालीस वर्ष" रख दिए जायेंगे ;

(ii) खण्ड (ङ) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् —

"प्रतिबन्ध यह है कि जहां कोई सरकारी सेवक जो इस नियम के अधीन स्वेच्छया सेवा निवृत्त होता है या जिसे स्वेच्छया सेवा-निवृत्त होने की अनुज्ञा दी जाती है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी उसे पेन्शन और उपदान के, यदि कोई हों, प्रयोजनार्थ, पांच वर्ष की या ऐसी अवधि की, जिसमें वह कार्य किया होता, यदि वह अपनी अधिवर्षिता की आयु के साधारण दिनांक तक रहता, जो भी कम हो, अतिरिक्त सेवा के लाभ की अनुज्ञा दे सकता है।" ;

(iii) स्पष्टीकरण (2) के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिए जायेंगे और सदैव से रखे गए समझे जायेंगे, अर्थात् —

"(2) यह समाधान करने के लिए कि क्या किसी सरकारी सेवक से खन्ड (ग) के अधीन सेवा-निवृत्त होने की अपेक्षा करना लोक-हित में होगा या नहीं, नियुक्ति प्राधिकारी सरकारी सेवक से सम्बद्ध किसी सुसंगत बात पर विचार कर सकता है और यहां पर दी गयी किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि —

(क) किसी अवधि से सम्बन्धित किसी प्रविष्टि पर, जिसके पूर्व ऐसे सरकारी सेवक को दक्षता रोक पार करने की अनुज्ञा दी गई थी या जिसके पूर्व स्थानापन्न या मौलिक रूप में या तदर्थ आधार पर उसकी पदोन्नति की गई थी ; या

(ख) किसी प्रविष्टि पर, जिसके विरुद्ध कोई अभ्यावेदन विचाराधीन है, इस प्रतिबन्ध के साथ कि प्रविष्टि के साथ अभ्यावेदन पर भी विचार किया जाय ; या

(ग) उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, 1965 के अधीन गठित सतर्कता अधिष्ठान की किसी रिपोर्ट पर, विचार करना अपवर्जित है ।

(2-क) प्रत्येक ऐसा निर्णय लोक-हित में लिया गया समझा जायगा ।"

संक्रमण कालीन उपबन्ध

3—जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व उक्त नियम 56 के खण्ड (ग) के अधीन अनिवार्य सेवा निवृत्ति का कोई आदेश किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा इस आधार पर अविधिमान्य निर्णीत कर दिया जाता है कि इस अधिनियम द्वारा यथाप्रतिस्थापित उक्त नियम 56 के स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट किसी बात पर नियुक्ति प्राधिकारी ने विचार किया है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो मास के भीतर ऐसे निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन के लिए ऐसे न्यायालय या अधिकरण को आवेदन कर सकता है और ऐसे आवेदन पर न्यायालय या अधिकरण अपने निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन इस अधिनियम के द्वारा यथाप्रतिस्थापित उक्त नियम 56 के स्पष्टीकरण (2) और (2-क) के अनुसार कर सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश फन्डामेन्ट रूल 56 (संशोधन) विधेयक, 1976, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश फन्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन) विधेयक, 1976, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1976†

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य-क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1976, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, द्विवेदी एवार्ड के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1968 के अधीन उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच स्थायी सीमा निर्धारित की जा चुकी है । ऐसे सीमा निर्धारण के फलस्वरूप बिहार के कुछ राज्य क्षेत्र को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सम्मिलित किया गया है । उक्त अधिनियम की धारा 26 के उपबन्धों के अनुसार बिहार राज्य की कुछ विधियां अभी भी अन्तरित क्षेत्रों पर लागू हैं ।

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त विधियों में एकरूपता लाने और भविष्य में कोई कठिनाई न हो, इस दृष्टि से यह व्यवस्था करना आवश्यक समझा गया है कि बिहार राज्य की विधियों का इस राज्य को अन्तरित क्षेत्रों पर लागू होना समाप्त हो जाय और ऐसे क्षेत्रों पर भी इस राज्य की सभी विधियां लागू की जायं ।

---

†3 नवम्बर, 1976 की कार्यवाही में छपा है ।

माननीय, जो क्षेत्र बिहार से उत्तर प्रदश में आया है उस पर अभी भी बिहार की विधियां लागू हैं। उस पर उत्तर प्रदेश की विधियां लागू हो सकें इस हेतु यह विधेयक लाया गया है।

श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

माननीय मन्त्री के वक्तव्य को सुनने के बाद मैं यह महसूस करता हूं कि मैं अपना संशोधन पेश न करूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य-क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1976, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश (विधि बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1976

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1968 के द्वारा या अधीन बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त कुछ विधियों का विस्तार करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) यह 15 अक्तूबर, 1976 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

परिभाषाएं

2—जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) 'बिहार विधि' का तात्पर्य किसी बिहार अधिनियम, अध्यादेश या विनियम के उस भाग से है, जिसका सम्बन्ध संविधान की सप्तम अनुसूची में सूची 2 और 3 में प्रगणित किसी विषय से है और इसमें कोई परिनियत संलेख भी सम्मिलित है;

(ख) 'राज्य विधि' का तात्पर्य किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम, अध्यादेश या विनियम के उस भाग से है, जिसका सम्बन्ध संविधान की सप्तम अनुसूची में सूची 2 और 3 में प्रगणित किसी विषय से है और इसमें कोई परिनियत संलेख भी सम्मिलित है;

(ग) 'अन्तरित राज्य-क्षेत्र' का तात्पर्य बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1968 द्वारा बिहार राज्य से अन्तरित और उत्तर प्रदेश में परिवर्द्धित राज्य-क्षेत्र से है।

राज्य विधियों का अपनाना

3—(1) अन्तरित राज्य क्षेत्रों में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट राज्य विधियों का विस्तार उसके तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट उपान्तरों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से होगा और उन विधियों के अधीन, किए गए या दिए गए सभी नियुक्तियों, आदेशों या परिनियत संलेखों का विस्तार आश्यक परिवर्तन सहित, जहां तक वे उक्त उपान्तरों से असंगत नहीं हैं, अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर होगा और उपान्तरित रूप में यह सक्षम विधान मन्डल या अन्य सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निरसित या संशोधित होने तक प्रवृत्त बना रहेगा।

(2) अधिसूचना संख्या 10/राजस्व-1/1-6(1)-72, दिनांक 17 मार्च, 1972 द्वारा यथा विस्तारित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट उपान्तर सहित) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल के द्वारा निरसित या संशोधित होने तक अन्तरित राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त बना रहेगा और यह समझा जायगा कि सदैव प्रवृत्त बना रहा है।

(3) अन्य सभी राज्य विधियां, जिनका विस्तार या प्रवृत्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य में है किन्तु जिनका विस्तार या प्रवृत्ति अन्तरित राज्य क्षेत्रों में नहीं है, उक्त दिनांक के अन्तरित राज्य क्षेत्रों में, यथास्थिति, विस्तारित या प्रवृत्त होगी और सक्षम विधान मन्डल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरसित या संशोधित होने तक प्रवृत्त रहेंगी।

वाद, अपील आदि का निस्तारण

4—(1) अन्तरित राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष किसी बिहार विधि के अधीन विचाराधीन सभी वाद, अपील, आवेदन-पत्र या अन्य कार्यवाहियां, इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से, धारा 3 की उपधारा (1) से (3) तक में निर्दिष्ट राज्य विधियों के तद्नुरूप उपबन्धों के अधीन संस्थित या दाखिल किए गए वाद, अपील, आवेदनपत्र या अन्य कार्यवाहियां समझी जायेंगी और तद्नुसार निस्तारित की जायेंगी।

(2) किसी बिहार विधि के अधीन सभी वाद, अपील, आवेदन-पत्र या अन्य कार्यवाहियां, जिस पर उपधारा (1) के उपबन्ध लागू नहीं होते, इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से उपशमित हो जायेंगी।

विधि के लागू करने को सुविधाजनक बनाने के प्रयोजनार्थ न्यायालय की शक्ति

5—इस प्रयोजन के लिए कि अन्तरित राज्य क्षेत्रों में धारा 3 की उपधारा (1), (2) और (3) में उल्लिखित किसी राज्य विधान को लागू करना सुविधाजनक हो, कोई न्यायालय या अन्य प्राधिकारी तत्व को प्रभावित किए विना उस विधि का अर्थ ऐसे परिवर्तन सहित कर सकता है, जो न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष विषय से उसको अनुकूलित करने के लिए आवश्यक या उचित हो।

कठिनाइयों का निवारण करने की शक्ति

6—(1) यदि धारा 3 की उपधारा (4) में उल्लिखित विधियों से उसकी उपधारा (1), (2) और (3) में उल्लिखित विधियों के संक्रमण के सम्बन्ध में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबन्ध बना सकती है, जिन्हें वह ऐसी कठिनाई का निवारण करने के लिए आवश्यक समझे :

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से पांच वर्ष के पश्चात् नहीं दिया जायगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी आदेश को किसी दिनांक से जो उत्तर प्रदेश राज्य में अन्तरित राज्य क्षेत्रों के परिवर्द्धन के दिनांक से पूर्व न हो, पूर्ववर्ती प्रभाव दिया जा सकता है।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई का अस्तित्व नहीं था या निवारण अपेक्षित नहीं था।

निरसन और अपवाद

7—(1) उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य-क्षेत्रों पर विस्तार) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 29, 1976

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जाएगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

अनुसूची

[धारा 3(1) देखिए]

क्रम-सं0	अधिनियम का संक्षिप्त नाम	धारा	उपान्तर की सीमा
1	2	3	4
1	उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960।	धारा 1	उपधारा (3) निकाल दी जायगी।
		धारा 5	उपधारा (1) में, शब्द "उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के दिनांक को और से" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ होने के दिनांक को और से" रख दिए जायेंगे।
2	उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम 1953।	धारा 1	उपधारा (3) निकाल दी जायगी।
3	लैण्ड एक्वीजीशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1954।	धारा 1	उपधारा (3) निकाल दी जायगी।
		धारा 3	निकाल दी जाएगी।
4	संयुक्त प्रान्तीय सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) ऐक्ट, 1948।	धारा 1	उपधारा (2) और (3) निकाल दी जाएगी।
5	उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी अत्यधिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) का अधिनियम, 1951।	धारा 1	उपधारा (2) निकाल दी जाएगी।

1	2	3	4
6	उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश (पुन: अधिनियमन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1970 द्वारा निरसित और परिष्कार सहित पुन: अधिनियमित उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश अधिनियम, 1958।	धारा 1	उपधारा (2) और (3) निकाल दी जाएगी।
7	उत्तर प्रदेश गृह-स्थल (बाढ़ पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, 1957।	धारा 1	उपधारा (3) निकाल दी जाएगी।
8	उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1952।	धारा-1	उपधारा (3) निकाल दी जाएगी।
9	यू0पी0 पंचायतराज ऐक्ट, 1947	धारा 1	उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :— "(3) उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्र पर विस्तार) अधिनियम, 1976 में परिभाषित अन्तरित राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में यह ऐसे परिष्कारों के अधीन रहते हुए, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, लागू होगा।"
10	उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर अधिनियम, 1963।	धारा 1	उपधारा (2) निकाल दी जाएगी।
		धारा 5	निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ाया जायगा, अर्थात् :— "स्पष्टीकरण—अन्तरित राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1976 में परिभाषित है, 'मौरूसी दर' का तात्पर्य उक्त राज्य क्षेत्रों पर इस अधिनियम के लागू करने के पूर्व लगान की विद्यमान दर से है जिसे ऐसी रीति से

1	2	3	4
			सुनिश्चित किया जायगा जैसी विहित की जाय।"
		धारा 7	उपधारा (1) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ाया जायगा, अर्थात् :— "प्रतिबन्ध यह है कि 30 जून, 1976 को समाप्त होने वाले कृषि वर्ष के सम्बन्ध में नियत दिनांक के प्रति निर्देश का अर्थ उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ से दो मास की अवधि की समाप्ति के दिनांक के प्रति निर्देश है।"
11	उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई0 की (अनुसूची 3 की सूची 2 के साथ पठित) धारा 339 द्वारा यथासंशोधित यूनाइटेड प्राविंसेज लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901।	धारा 1	उपधारा (3) निकाल दी जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री वीरबहादुर सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1976, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1976, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रांतीय दिवाला (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976†

न्याय मन्त्री (श्री प्रभुनारायण)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रान्तीय दिवाला (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किय जाय।

†3 नवम्बर, 1976 की कार्यवाही में छपा है।

[श्री प्रभु नारायण]

मान्यवर, यह बहुत छोटा सा विधेयक है। इससे केवल जो इनसोलवेंसी ऐक्ट है उसकी दो धाराओं में परिवर्तन करने की बात है। पहला तो इनसोलवेंसी ऐक्ट की धारा 44(1) है। इसमें प्राविधान है कि किसी व्यक्ति के इनसोलवेंट होने के बावजूद उसको उन ऋणों से मुक्त नहीं किया जाएगा जो धारा 44(1) में वर्णित ऋण है। ऐसे गवर्नमेंट ड्यूज और ऋण जो फ्राडूलेंट तरीके से लिए जायेंगे और साथ ही साथ मैंटेनेंस के मामले जो क्रिमिनल कोर्ट का फैसला हो। इसमें संशोधन की थोड़ी सी आवश्यकता यों पड़ी कि इस समय जो भी ड्यूज लैन्ड रेवेन्यू के मुताबिक आज हैं उन सभी को इसमें जोड़ देने की बात है जिसमें बैंक, कारपोरेशन आदि संस्थायें जो गवर्नमेंट के कन्ट्रोल में हों और साथ ही मैंटेनेंस के मामले, या कोई समझौता हुआ हो और क्रिमिनल कोर्ट्स की डिक्री के साथ सिविल कोर्ट की भी कोई डिक्री हो तो उसको भी 44(1) में लाने की कोशिश की जा रही है।

इसके साथ-साथ 31(1) में भी इस बात का संशोधन किया जा रहा है कि जो प्रोटेक्शन आर्डर 31(1) में देने का अधिकार कोर्ट को है उसमें जो धारा 44(1) के अन्दर ऋण या देय बताया गया है उस सिलसिले में कोई प्रोटेक्शन किसी को न दिया जाय। ऐसी स्थिति में इनसोलवेंट व्यक्ति को 44(1) के अन्दर जो छूट मिल रही है उस सिलसिले में उसको गिरफ्तारी से भी छूट नहीं मिलेगी। तो इतना ही संशोधन इस विधेयक के द्वारा हो रहा है। मैं समझता हूं कि आज देव कुमार जी का कोआपरेशन बहुत अधिक है ऐसी दशा में वह अपना प्रस्ताव सेलेक्ट कमेटी में ले जाने का जो है, उसे भी वापस ले लेंगे।

श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

मान्यवर, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

वापसी की बात नहीं है आपने पेश ही नहीं किया।

प्रश्न यह है कि प्रान्तीय दिवाला (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, क्या मन्त्री जी इसका नाम बदलने पर विचार करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह स्टेज अब नहीं रह गई।

खण्ड 2, 3, 4 तथा खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

प्रान्तीय दिवाला (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम; विस्तार तथा लागू होना

1—(1) यह अधिनियम प्रान्तीय दिवाला (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1976 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह उन समस्त कार्यवाहियों के सम्बन्ध में भी लागू होगा जो 14 जुलाई, 1976 के ठीक पूर्व विचाराधीन हों।

अधिनियम संख्या 5, 1920 की धारा 31 का संशोधन

2—प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 की, जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 31 में,—

(क) उपधारा (2) में,—

(i) शब्द "प्रतिसंहृत या नवीकृत" के स्थान पर शब्द "प्रतिसंहृत, उपान्तरित या नवीकृत" रख दिए जायेंगे ;

(ii) निम्नलिखित परन्तुक बढ़ाया जायगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि कोई संरक्षण आदेश धारा 44 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी ऋण पर लागू न होगा।"

(ख) उपधारा (3) में, परन्तुक में, शब्द "प्रतिसंहृत" के स्थान पर शब्द "प्रतिसंहृत या उपान्तरित" रख दिए जायेंगे।

धारा 44 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में खन्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिए जायेंगे, अर्थात्:—

"(घ) भरण-पोषण के लिए किसी करार के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पारित भरण-पोषण के लिए किसी डिक्री या आदेश के अधीन कोई दायित्व ; या

(ङ) कोई ऋण या दायित्व जिसके सम्बन्ध में देय धनराशि उत्तर प्रदेश लोक धन के (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भू-राजस्व के बकाया के रूप में उससे वसूली योग्य है।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21, 1976

निरसन और अपवाद

4—(1) प्रान्तीय दिवाला (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही, इस प्रकार समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रभुनारायण—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि प्रान्तीय दिवाला (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय। मान्यवर, इस सिलसिले में माननीय सदस्य, देव बहादुर जी ने इसका नाम बदलने की बात कही है। मुझे ऐसे आदमी को इसमें कोई एतराज नहीं है कि इसको प्रान्तीय दिवाला विधेयक न कहकर प्रान्तीय इन्सालवेन्सी कानून कहें, पर चूंकि अब यह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से होकर आ गया है, इसलिए इस समय इसके नाम में तरमीम करना सम्भव नहीं है और न उचित ही है। मैं यह भी समझता हूं कि उन जैसे आदमी को तो इसकी जरूरत पड़ेगी भी नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि प्रान्तीय दिवाला (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976†

वन मन्त्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976, जैसा प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ, पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह विधेयक प्रवर समिति में भेजा गया था और उन्होंने अपनी सात बैठकों में इस पर बहुत अच्छी तरह विचार करके इसे भेजा है, अब मुझे आशा है कि यह सदन इसको यहां स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976, जैसा प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2

अधिनियम कतिपय क्षत्र में लागू न होगा

2—यह अधिनियम—

(क) आरक्षित और संरक्षित वन में स्थित वृक्षों पर,

(ख) किसी वन या वन भूमि में स्थित उन वृक्षों पर जिनके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 [की धारा 38-ज] के अधीन कोई अधिसूचना प्रवृत्त हो,

(ग) नागर क्षेत्रों में स्थित वृक्षों पर,

(घ) राजकीय उद्यान में या सरकार की भूमि पर स्थित वृक्षों पर,

लागू न होगा ;

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 3 तथा 4

परिभाषाएं

3—जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में —

(एक) "रिक्त क्षेत्र" का तात्पर्य पैमाइश में आधा हेक्टेयर या उससे अधिक के किसी भू-खण्ड से है (जिस पर खेती न होती हो), जिस पर पांच या उससे कम वृक्ष उगे हों ;

(दो) "भूमि संरक्षण अधिकारी" का वही तात्पर्य होगा जो उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम, 1963 में उसके लिए दिया गया है ;

(तीन) "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य उस प्राधिकारी से है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उन कर्तव्यों का पालन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त करे, जो इस अधिनियम द्वारा सक्षम प्राधिकारी पर आरोपित या उसे प्रदत्त हैं और इमारती लकड़ी वाले, फल वाले और अन्य वृक्षों के विभिन्न वर्गों के सम्बन्ध में और विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं ;

---

†3 नवम्बर, 1976 की कार्यवाही में छपा है।

(चार) "प्रभागीय वन अधिकारी" का तात्पर्य किसी वन प्रभाग के प्रभारी और उस क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अधिकारी से है ;

(पांच) सजातीय पद सहित "वृक्ष के निपातन" का तात्पर्य वृक्ष को काटने, गिराने, छांटने, ठूंठ करने या किसी अन्य रीति से क्षति पहुंचाने से है ;

(छः) "राजकीय उद्यान" का तात्पर्य फल, फूल या सब्जी उगाने या वृक्षों का रोपण या पोषण करने के लिए प्रयुक्त केन्द्रीय या राज्य सरकार के भू-खन्ड से है, और इसमें केन्द्रीय या राज्य सरकार की बाग भूमि भी सम्मिलित है ;

(सात) "खाता" का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई0 में उसके लिए दिया गया है ;

(आठ) "सार्वजनिक भू-गृहादि" का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 में उसके लिए दिया गया है ;

(नौ) "पुनरीक्षण प्राधिकारी" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी से है ;

(दस) "वृक्ष" का तात्पर्य किसी काष्ठीय वनस्पति से है, जिसकी शाखाओं का उद्भव स्थान और अवलम्ब कोई स्कन्ध या निकाय है और जिसके स्कन्ध या निकाय का व्यास धरातल से तीस सेन्टीमीटर की ऊंचाई पर पांच सेन्टीमीटर से कम नहीं है और ऊंचाई धरातल से एक मीटर से कम नहीं है और क्रमश : पद "इमारती लकड़ी वाले वृक्ष" और "फलवाले वृक्ष" का तात्पर्य क्रमश : अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट जाति के वृक्ष से है :

परन्तु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूचियों में परिवर्द्धन या परिष्कार कर सकती है ;

(ग्यारह) "नागर क्षेत्र" का तात्पर्य किसी ऐसे क्षेत्र से है जो नगर महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड या विकास अधिकारी की सीमा में सम्मिलित हो ;

(बारह) इस अधिनियम में प्रयुक्त और उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 में परिभाषित, किन्तु इस अधिनियम में अपरिभाषित, शब्द और पद के वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में क्रमश : उनके लिए दिए गए हैं।

वृक्ष के निपातन और अपनयन पर निर्बन्ध

4--इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में जैसी व्यवस्था है, उसके सिवाय, कोई व्यक्ति--

(क) किसी भूमि पर, चाहे वह किसी खाते म सम्मिलित हो या न हो, खड़े किसी वृक्ष को नहीं गिराएगा ;

(ख) उस वृक्ष से, जो बिल्कुल सूख गया है और किसी ऐसी भूमि पर किसी मानवीय साधन के बिना ही गिर गया है, भिन्न किसी वृक्ष को नहीं काटेगा, नहीं हटाएगा और अन्य प्रकार से उसका निस्तारण नहीं करेगा।

श्री बालकृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 3 में एक नया उपखंड (सात) निम्नवत् जोड़ दिया जाय :

"(सात) 'पर्वतीय क्षेत्र' का तात्पर्य जिला अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, गढ़वाल, चमोली, टेहरी-गढ़वाल और उत्तर काशी तथा जिला नैनीताल की पहाड़ी पट्टियों और देहरादून जिले की चकराता तहसील व मसूरी नगरपालिका क्षेत्र से है परन्तु उसमें कोई छावनी क्षेत्र सम्मिलित नहीं है।"

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मुझे यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3 में एक नया उपखंड (सात) निम्नवत् जोड़ दिया जाय :

"(सात) "पर्वतीय क्षेत्र" का तात्पर्य जिला अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, टेहरी, गढ़वाल और उत्तर काशी तथा जिला नैनीताल की पहाड़ी पट्टियों और देहरादून जिले की चकराता तहसील व मसूरी नगरपालिका क्षेत्र से है परन्तु उसमें कोई छावनी क्षेत्र सम्मिलित नहीं है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बालकृष्ण सनवाल—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 3 में उपखंड (सात), (आठ), (नौ), (दस), (ग्यारह), (बारह) को क्रमित करते हुए क्रमश : (आठ), (नौ), (दस), (ग्यारह), (बारह) एवं (तेरह) कर दिया जाय।

श्री अजीत प्रताप सिंह—

यह मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3 में उपखंड (सात), (आठ), (नौ), (दस), (ग्यारह), (बारह) को पुनः क्रमित करते हुए क्रमशः (आठ), (नौ), (दस), (ग्यारह), (बारह), एवं (तेरह) कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बालकृष्ण सनवाल—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 में वर्तमान उपखंड (सात) पुनः संख्यांकित उपखंड (आठ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिया जाय—

"(आठ) 'खाता' और 'खातेदार' का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई0 में उनके लिए दिया गया है।"

श्री अजीत प्रताप सिंह—

स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3 में वर्तमान उपखंड (सात) पुनः संख्यांकित उपखंड (आठ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिया जाय —

"(आठ) "खाता" और 'खातेदार' का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई0 में उनके लिए दिया गया है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बालकृष्ण सनवाल--

मान्यवर, मैं अ पकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 के वर्तमान उपखंड (ग्यारह) पुन: संख्यांकित उपखंड (बारह) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिया जाय :

"(बारह) 'नागर क्षेत्र' का तात्पर्य पर्वतीय क्षेत्र से भिन्न किसी ऐसे क्षेत्र से है जो नगरमहापालिका, नगरपलिका बोर्ड, नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड या विकास प्राधिकारी की सीमा में सम्मिलित हों।"

श्री अजीत प्रताप सिंह--

स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 3 के वर्तमान उपखंड (ग्यारह) पुन : संख्यांकित उपखंड (बारह) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिया जाय :

"(बारह) 'नागर क्षेत्र' का तात्पर्य पर्वतीय क्षेत्र से भिन्न किसी ऐसे क्षेत्र से है जो नगरमहापालिका, नगरपालिका बोर्ड, नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड या विकास प्राधिकारी की सीमा में सम्मिलित हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 3 और खंड 4 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 5

वृक्ष के निपातन या अपनयन के लिए अनुज्ञा

5--तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी सक्षम प्राधिकारी किसी व्यक्ति के आवेदन-पत्र पर जो किसी खड़े वृक्ष को गिराने या किसी गिरे हुए वृक्ष को काटने, हटाने या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण करने के लिए हकदार है, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जिसे वह उचित समझे, उस व्यक्ति को ऐसा करने की अनुज्ञा दे सकता है :

परन्तु यदि उस वृक्ष से किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को खतरा है तो ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार नहीं किया जायगा :

परन्तु यह और कि ऐसी अनुज्ञा किसी वृक्ष के निपातन के लिए इस दृष्टि से ईंधन, चारा, कृषि उपकरण या किसी अन्य घरेलू कार्य के प्रयोजनार्थ वास्तविक उपयोग के लिए उसकी लकड़ी या पत्ती को हस्तगत करना है, अपेक्षित नहीं होगी ;

परन्तु यह [और] भी कि ऐसी अनुज्ञा के बिना ऐसी तत्कालिक कार्यवाही की जा सकती है, जो किसी अवरोध या अपदूषण् को हटाने के लिए या किसी खतरे को रोकने के लिए आवश्यक हो।

श्री बालकृष्ण सनवाल--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 5 के प्रारम्भ में उल्लिखित शब्द "तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी" निकाल दिए जायं।

श्री अजीत प्रताप सिंह--

स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 5 के प्रारम्भ में उल्लिखित शब्द "तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी" निकाल दिए जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बालकृष्ण सनवाल—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 5 के द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाय —

"परन्तु यह और कि ऐसे क्षेत्र के सिवाय जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाय ऐसी अनुज्ञा किसी वृक्ष के निपातन के लिए इस दृष्टि से कि ईंधन, चारा, कृषि उपकरण या किसी अन्य घरेलू कार्य के प्रयोजनार्थ वास्तविक उपयोग के लिए उसकी लकड़ी या पत्ती को हस्तगत करना है, अपेक्षित नहीं होगी।"

श्री अजीत प्रताप सिंह—

स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 5 के द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाय —

"परन्तु यह और कि ऐसे क्षेत्र के सिवाय जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाय ऐसी अनुज्ञा किसी वृक्ष के निपातन के लिए इस दृष्टि से कि ईंधन, चारा, कृषि उपकरण या किसी अन्य घरेलू कार्य के प्रयोजनार्थ वास्तविक उपयोग के लिए उसकी लकड़ी या पत्ती को हस्तगत करना है, अपेक्षित नहीं होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 5 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 6 तथा 7

वृक्ष के निपातन या अपनयन के लिये अनुज्ञा

6—(1) धारा 5 के अधीन प्रत्येक आवेदन-पत्र लिखित रूप में होगा और ऐसी रीति से दिया जायगा और उसमें ऐसे ब्योरे होंगे जो विहित किए जाएं।

(2) सक्षम प्राधिकारी अपना विनिश्चय वन, बाग या सार्वजनिक भू-गृहादि में उगे हुए किसी वृक्ष से भिन्न किसी वृक्ष के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र की स्थिति में, ऐसे आवेदन-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर, और किसी गिरे हुए वृक्ष के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र की स्थिति में, ऐसे आवेदन-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से सात दिन के भीतर देगा।

(3) यदि सक्षम प्राधिकारी उपधारा (2) में अनुमत समय के भीतर अपना विनिश्चय देने में असफल रहता है तो धारा 5 में निर्दिष्ट अनुज्ञा दी गयी समझी जाएगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय के दिनांक से तीस दिन के भीतर पुनरीक्षण प्राधिकारी को अभ्यावेदन कर सकता है और ऐसे अभ्यावेदन पर उनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(5) इस अधिनियम के अधीन दी गयी प्रत्येक अनुज्ञा ऐसे रूप में और ऐसी शर्तों के अधीन होगी, जो विहित की जाएं, जिसके अन्तर्गत क्षेत्र में पुनरुत्पादन और वृक्षों के पुन: आरोपण को सुनिश्चित करने के लिए या अन्यथा प्रतिभूति लेना भी है।

वृक्षारोपण का दायित्व

7—प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी वृक्ष को गिराने, काटने, हटाने या निस्तारित करने की अनुज्ञा दी गयी है, उस क्षेत्र में, जहां ऐसी अनुज्ञा के अधीन उसने ऐसे वृक्ष को गिराया है, काटा है, हटाया है या निस्तारित किया है, प्रत्येक वृक्ष के स्थान पर दो वृक्षों के आरोपण और परिपोषण के लिए बाध्य होगा :

परन्तु सक्षम प्राधिकारी उन कारणों से, जो अभिलिखित किए जायेंगे, कम संख्या में वृक्षारोपण करने या किसी अन्य क्षेत्र में वृक्षारोपण करने की अनुज्ञा दे सकता है, या किसी व्यक्ति को [वृक्षारोपण करने] वृक्ष के आरोपण या परिपोषण के दायित्व से मुक्त कर सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 6 और 7 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 8

रिक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण

8—(1) जहां परगना अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के किसी राजस्व-अधिकारी, या जिला उद्यान अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के किसी उद्यान अधिकारी, या भूमि संरक्षण अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के किसी भूमि संरक्षण अधिकारी या सहायक अरण्यपाल से अनिम्न श्रेणी के किसी वन अधिकारी की आख्या के आधार पर या अन्य प्रकार से प्रभागीय वन अधिकारी की यह राय हो कि किसी रिक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, वहां वह ऐसे क्षेत्र के स्वामी, अध्यासी या खातेदार को (जिसे आगे अभ्यर्थी कहा गया है) यह कारण बताने का नोटिस जारी कर सकता है कि क्यों न ऐसे क्षेत्र में, जो ऐसी नोटिस में विनिर्दिष्ट हो, वृक्षारोपण किया जाय।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस ऐसे प्रपत्र में दी जायगी और उसमें ऐसे ब्योरे होंगे और वह ऐसी रीति से तामील की जाएगी जो विहित की जाय।

(3) प्रभागीय वन अधिकारी अभ्यर्थी द्वारा बताए गए कारण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् उसे उतनी संख्या में और उस वर्ग के वृक्षों को लगाने का निदेश दे सकता है, जो निदेश में विनिर्दिष्ट हो।

(4) उपधारा (3) के अधीन दिए गए किसी निदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे निदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर सम्बद्ध अरण्यपाल को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

श्री बालकृष्ण सनवाल—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 8 के उपखंड (3) में शब्द "अभ्यर्थी" के स्थान पर शब्द "अध्यर्थी" रख दिया जाय।

श्री अजीत प्रताप सिंह—

स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 8 के उपखंड (3) में शब्द "अभ्यर्थी" के स्थान पर शब्द "अध्यर्थी" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 8 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 9

धारा 7 और 8 के अधीन दिए गए निदेशों का कार्यान्वयन

9—(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसका धारा 7 के अधीन वृक्षारोपण का दायित्व है या जिसे धारा 8 के अधीन कोई निदेश दिया गया है, यथास्थिति अनुज्ञा के दिनांक से या निदेश की प्राप्ति के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर प्रारम्भिक कार्य शुरू कर देगा, और आगामी वर्षा ऋतु में या ऐसे विस्तारित समय के भीतर, जैसा सम्बद्ध प्रभागीय वन अधिकारी अनुमति दे, ऐसे निदेशों के अनुसार वृक्षारोपण करेगा।

(2) ऐसे व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम करने की स्थिति में प्रभागीय वन अधिकारी वृक्षारोपण करा सकता है और ऐसे व्यक्ति से वृक्षारोपण की लागत विहित रीति में वसूल कर सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 9 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 10

धारा 4 का उल्लंघन करते हुए वृक्ष के निपातन या अपनयन के लिए शास्ति

10—जो कोई भी धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए किसी खड़े वृक्ष को गिराता है या गिराने देता है या किसी वृक्ष को काटता है, हटाता है या अन्यथा निस्तारित करता है या इस अधिनियम के अधीन दी गयी किसी अनुज्ञा की किसी शर्त का उल्लंघन करता है, उसे [कठोर] कारावास का, जो [एक वर्ष] छः मास तक हो सकता है, या जुर्माने का, जो [पांच हजार रुपए] पांच सौ रुपए तक हो सकता है, या दोनों, दण्ड दिया जायगा।

श्री बाल कृष्ण सनवाल—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 10 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय :—

"10—जो कोई भी धारा 4 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए किसी खड़े वृक्ष को गिराता है या गिराने देता है, या किसी गिरे हुए वृक्ष को काटता है, हटाता है या अन्यथा निस्तारित करता है या इस अधिनियम के अधीन दी गयी किसी अनुज्ञा की किसी शर्त का उल्लंघन करता है, उसे कारावास का, जो छः मास तक हो सकता है, या जुर्माने का, जो एक हजार रुपए तक हो सकता है, या दोनों का, दन्ड दिया जायगा।"

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

एक स्पष्टीकरण है। "ईंधन" शब्द जो वह घरेलू काम में आता है और भट्ठे में भी। तो यहां जो यह शब्द आया है वह घरेलू इस्तेमाल के लिए है या भट्टे में इस्तेमाल करेगा?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

सिर्फ घरेलू इस्तेमाल के लिए है।

यह संशोधन स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 10 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय :—

"10—जो कोई भी धारा 4 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए किसी खड़े वृक्ष को गिराता है या गिराने देता है,या किसी गिरे हुए वृक्ष को काटता है, हटाता है या अन्यथा निस्तारित करता है या इस अधिनियम के अधीन दी गयी किसी अनुज्ञा की, किसी शर्त का उल्लंघन करता है, उसे कारावास का, जो छः मास तक हो सकता है या जुर्माने का, जो एक हजार रुपए तक हो सकता है, या दोनों का, दन्ड दिया जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 10 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 11 व 12

11—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध करने के समय उस कम्पनी के कार्य संचालन का प्रभारी और उसके लिए कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए अपराधी माना जायगा और तद्नुसार कार्यवाही किए जाने और दण्ड दिए जाने का भागी होगा :

कम्पनियों द्वारा अपराध

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दण्ड का भागी नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने इस अपराध को किए जाने को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जब कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाय कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्ययक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या अपेक्षाजनित है तो वह प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के लिए अपराधी माना जायगा और तदनुसार कार्यवाही किए जाने और दन्ड दिए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है, और

(ख) "निदेशक" का, किसी फर्म के सम्बन्ध में, तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

12—(1) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाय, वहां न्यायालय कोई इमारती लकड़ी या वृक्ष जिसके सम्बन्ध में अपराध किया गया हो और ऐसे वृक्ष को गिराने में प्रयुक्त उपकरणों को सरकार के प्रति समपहृत किए जाने का आदेश दे सकता है।

इमारती लकड़ी का समपहरण

(2) इस धारा के अधीन समपहृत किसी इमारती लकड़ी को सक्षम प्राधिकारी ऐसी रीति से निस्तारित करेगा, जो विहित की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 11 व खंड 12 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 13

बिना वारन्ट के गिरफ्तार करने की शक्ति

13—(1) वनराजिक से अनिम्न श्रेणी का कोई वन अधिकारी या सब इन्सपेक्टर से अनिम्न श्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी, किसी व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध [इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से सम्बन्धित होने की युक्ति-युक्त शंका हो] यह विश्वास करने का कारण हो कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से सम्बन्धित है, बिना वारन्ट के गिरफ्तार कर सकता है :

परन्तु जिला अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, गढ़वाल, चमोली, टेहरी गढ़वाल और उत्तर काशी और जिला नैनीताल की पहाड़ी पट्टियों के सम्बन्ध में इस धारा में सब-इन्सपेक्टर के प्रति निर्देश का अर्थ इस प्रकार किया जायगा मानों वह नायब तहसीलदार के प्रति निर्देश है।

(2) इस धारा के अधीन गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक अधिकारी, बिना अनावश्यक विलम्ब किए, और बन्ध-पत्र पर छोड़े जाने के सम्बंध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, गिरफ्तार व्यक्ति को उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट या निकटतम थाने के प्रभारी अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भिजवाएगा।

(3) इस धारा के अधीन गिरफ्तार किसी व्यक्ति को उसके द्वारा, मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष, जब कभी आवश्यक हो उपस्थित होने के लिए, बन्ध-पत्र निष्पादित किए जाने पर, छोड़ दिया जायगा।

श्री बालकृष्ण सनवाल—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 13 के उपखंड (1) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"परन्तु पर्वतीय क्षेत्र के सम्बन्ध में इस धारा में सब-इन्सपेक्टर के प्रति निर्देश का अर्थ इस प्रकार किया जायगा मानों वह नायब-तहसीलदार के प्रति निर्देश है।"

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य तो इस समिति के सदस्य थे। इसलिए आपको इसके बारे में कुछ प्रकाश भी देना चाहिए कि आखिर आप संशोधन क्यों कर रहे हैं ?

श्री बालकृष्ण सनवाल—

एक तो इसकी अन्तिम बैठकों में मैं सम्मिलित नहीं हो सका। दूसरे इसके पश्चात् कुछ ऐसी बातें सामने आयी, जैसे पुलिस अधिकारी का इसमें जिक्र है। तो पहाड़ में पुलिस अधिकारी कहीं पर हैं नहीं, वहां पर रेवेन्यू पुलिस होती है। इसलिए नायब तहसीलदार को उस कैटेगरी में रखने की आवश्यकता हुई। दूसरे, नगरपालिकाओं में इसको नहीं लागू किया था। अगर नगरपालिकाओं में छूट दे दी जाती है तो वह भी एक तरह से ऐक्ट को समाप्त कर देना होगा। इसलिए इस संशोधन को लाने की आवश्यकता हुई। मैं समझता हूं कि मन्त्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री अजीत प्रताप सिंह—

स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 13 के उपखंड (1) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"परन्तु पर्वतीय क्षेत्र के सम्बन्ध में इस धारा में सब-इन्सपेक्टर के प्रति निर्देश का अर्थ इस प्रकार किया जायगा मानों वह नायब तहसीलदार के प्रति निर्देश है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 13 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 14

अभिग्रहण करने की शक्ति

14—(1) जब यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई वृक्ष इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए गिराया, काटा या हटाया गया है तो ऐसे वृक्ष की लकड़ी के साथ-सथ ऐसे उल्लंघन से प्रयुक्त नाव, गाड़ीवाहक या पशु भी यदि कोई हो, वनराजिक से अनिम्न पद के किसी वन अधिकारी या सब-इन्सपेक्टर के पद से अनिम्न श्रेणी के किसी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्ति सम्पन्न किसी व्यक्ति द्वारा, अभिगृहीत किया जा सकता है।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अभिग्रहण की आख्या उस अपराध पर, जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है, विचार करने के लिए अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को दी जायगी, और ऐसी इमारती लकड़ी, नाव, गाड़ी वाहक या पशु का निस्तारण, ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के इस निमित्त अधीन रहते हुए विहित रीति से किया जायगा।

(3) कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी, जो तंग करने के लिए या अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है या किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण इस व्याज से करता है कि ऐसी सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन समपहरण योग्य है, वह कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो छः मास तक हो सकती है या जुर्माना से जो पांच सौ रुपए तक हो सकता है या दोनों से दन्डनीय होगा।

श्री बालकृष्ण सनवाल—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 14 में (क) उपखंड (1) के शब्द "या राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्ति सम्पन्न किसी व्यक्ति द्वारा" के स्थान पर शब्द "या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त शक्ति सम्पन्न किसी व्यक्ति द्वारा" रख दिये जायं।

(ख) उपखंड (2) की अन्तिम पंक्ति में शब्द "इस निमित्त" निकाल दिए जायं।

श्री अजीत प्रताप सिंह—

स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 14 में (क) उपखंड (1) के शब्द "या राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्ति सम्पन्न किसी व्यक्ति द्वारा," के स्थान पर शब्द "या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त शक्ति सम्पन्न किसी व्यक्ति द्वारा," रख दिए जायं।

(ख) उपखंड (2) की अन्तिम पंक्ति में शब्द "इस निमित्त" निकाल दिए जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 14 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 15

अपराधों का प्रशमन करने की शक्ति

15—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी अधिकारी को, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके विरुद्ध [युक्तियुक्त शंका] यह विश्वास करने का कारण है कि उसने किसी वन, बाग या सार्वजनिक भू-गृहादि में स्थित वृक्ष से भिन्न किसी वृक्ष के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया है, ऐसी धनराशि, जो [पांच] एक हजार रुपए से अधिक न हो, उस अपराध के लिए प्रशमन के रूप में स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है जिसके बारे में यह [शंका] विश्वास है कि ऐसे व्यक्ति ने उसे किया है।

(2) किसी ऐसे अधिकारी को ऐसी धनराशि का भुगतान करने पर, संदिग्ध व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, छोड़ दिया जायगा और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई अग्रतर कार्यवाही नहीं की जायगी।

श्री बालकृष्ण सनवाल—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 15 में—

(क) उपखंड (1) में शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच हजार रुपये" रखे जायं।

(ख) उपखंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिया जाय—

"(2) किसी ऐसे अधिकरी को ऐसी धनराशि का भुगतान करने पर, संदिग्ध व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, छोड़ दिया जायगा और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जायगी और धारा 14 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा अधिकारी, ऐसी राशि का, जो पांच हजार रुपये से अधिक न हो, जिसे वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, भुगतान करने पर इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत सम्पत्ति को छोड़ सकता है।"

श्री अजीत प्रताप सिंह—

स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 15 में—

(क) उपखंड (1) में शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच हजार रुपये" रखे जायं।

(ख) उपखंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिया जाय—

"(2) किसी ऐसे अधिकारी को ऐसी धनराशि का भुगतान करने पर, संदिग्ध व्यक्ति, को यदि वह अभिरक्षा में है, छोड़ दिया जायगा और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जायगी और धारा 14 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा अधिकारी, ऐसी राशि का, जो पांच हजार रुपए से अधिक न हों, जिसे वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, भुगतान करने पर इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत सम्पत्ति को छोड़ सकता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 15 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तथा 23

अधिनियम के उल्लंघन की आख्या कतिपय अधिकारियों द्वारा दी जाएगी

16—प्रत्येक वन अधिकारी, लेखपाल, पंचायत सचिव, पुलिस-कांस्टेबिल, सहायक उद्यान निरीक्षक या सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक या उनसे वरिष्ठ किसी अधिकारी का कर्त्तव्य होगा कि वह—

(क) धारा 4 के किसी उल्लंघन की या ऐसा उल्लंघन किए जाने की तैयारी की सूचना, जो उसकी जानकारी में आए, तुरन्त सक्षम प्राधिकारी को दे, और

(ख) ऐसे उल्लंघन को, जिसे वह जानता हो या जिसके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह किया जाने वाला है, या जिसके किए जाने की सम्भावना है, रोकने के लिए समस्त युक्तियुक्त उपाय करें, जो उसकी शक्ति में है।

शास्ति देने या अधिहरण से अन्य दन्ड दिए जाने में हस्तक्षेप नहीं होगा

17—इस अधिनियम के अधीन शास्ति या किसी सम्पत्ति का अधिहरण, कोई दन्ड देने को नहीं रोकेगा जिसके लिए उससे प्रभावित व्यक्ति किसी अन्य विधि के अधीन दन्डनीय है।

अधिकारी लोक-सेवक होंगे

18—इस अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग या किसी कर्त्तव्य का पालन या कृत्य का निर्वहन करने वाले अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक-सेवक समझे जायेंगे।

धनराशि के भुगतान के लिए आदेश का निष्पादन

19—कोई धनराशि, जिसमें किसी अपराध के प्रशमन के लिए कोई राशि भी सम्मिलित है, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान किए जाने के लिए निदेश दिया गया हो, उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उससे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जायगी।

कार्यवाहियों पर रोक

20—इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किए गए या किया हुआ तात्पर्यित किसी कार्य के लिए राज्य सरकार या इस अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग या कर्तव्य का पालन या कृत्य का निर्वहन करने के लिए शक्ति सम्पन्न किसी व्यक्ति के विरुद्ध, कोई वाद या कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

छूट

21—ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो आरोपित की जायें, रहते हुए राज्य सरकार, यदि लोक-हित में ऐसा करना आवश्यक समझा जाय, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को या वृक्षों की किसी जाति को इस अधिनियम के समस्त या किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है।

इस अधिनियम के उपबन्ध उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे

22—इस अधिनियम के उपबन्ध, वृक्ष गिराने को प्रतिषिद्ध या विनियमित करने के लिए उस समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उनका अल्पीकरण करेंगे।

वृक्षों के परिरक्षण के लिए राज्य सरकार की शक्ति

23—(1) राज्य सरकार, जन साधारण के हित में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि वृक्षों का कोई वर्ग ऐसी अवधि तक नहीं गिराया जायगा जैसी उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है।

(2) ऐसे वृक्षों का प्रबन्ध विहित रीति से विनियमित किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि, खंड 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 24 तथा बढ़ा हुआ खंड 25

नियम बनाने की शक्ति

24—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम बना सकती है।

श्री बालकृष्ण सनवाल—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 24 के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय —

निरसन तथा अपवाद

"25—(1) उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अध्यादेश, 1976, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 26, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जाएगी मानो यह अधिनियम समस्त सारवान समय पर प्रवृत्त था।"

श्री अजीत प्रताप सिंह—

स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 24 के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय —

निरसन तथा अपवाद

"25—(1) उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अध्यादेश, 1976, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 26, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जाएगी मानो यह अधिनियम समस्त सारवान समय पर प्रवृत्त था।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 24 एवं बढ़ा हुआ खंड 25 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूचियां—1, 2 तथा 3

अनुसूची—एक

(इमारती लकड़ी वाले वृक्ष)

[धारा 3 (दस) देखिए]

क्रम-संख्या	सामान्य नाम	वनस्पतिशास्त्रानुसार नाम
1	2	3
1	देवदार	. . सीड्स दिओदारा
2	चीड़	. . पाइनस राक्सवरगाई
3	केल	. . पाइनस एक्सलसा
4	राय	. . पाइसिया मोरिंडा
5	मौरिन्डा	. . ऐबीज पिनडरु
6	अखरोट	. . जगलेंस रिजिया
7	पपरी/सन्सदू/चिकड़ी	. . बोक्सस सिमपैरविरेन्स
8	चमखरिक	. . करपिनस विमीनिया
9	बांज	. . क्यूरकस इनकाना
10	मौरू	. . क्यूरकस डाइलट
11	खरसू	. . क्यूरकस सैमीकरपींफोलिया
12	साल	. . सौरिया रोबेसटा
13	शीशम	. . डत्वर्जिया सिस्सो
14	सागौन	. . टेक्टोना ग्रेन्डिस
15	खैर	. . ऐकेशिया केटैशू
16	सेमल	. . सलमेलिया मलवेरिका
17	कांजू	. . होलोपटेलिया इन्टेग्रिफलिया
18	गटेल	. . ट्रैविया नूडीफ्लोरा
19	सिरिस	. . ऐल्विज्जिया स्पेसिज
20	सेन/आसना	. . टर्मीनलिया टौमेनटौसा
21	बहेड़ा	. . टर्मीनलिया बैलिरिका
22	हर्र	. . टर्मीनलिया चेबुला
23	तून	. सैड्रेला तूना
24	हल्दू	. ऐडीना कार्डिफोलिया
25	आम	. . मैंगीफेरा इंडिका
26	जामुन	. . सिजिजियम समिनि
27	नीम	. . अजैडिरेक्टा इंडिका
28	बकैन	. . मैलिया एजेडरेक
29	महुआ	. . मधुका लैटिफोलिया
30	अर्जुन	. . टर्मीनिलिया अरजुन

क्रम संख्या	सामान्य नाम	वनस्पतिशास्त्रानुसार नाम
1	2	3
31	चिरौंजी	.. बुचनैनिया लैटिफोलिया
32	चन्दन	.. सन्टालम एलबम
33	इमली	.. टमारिनडस इंडिका
34	यूक्लिप्टस	.. यूकिलिपटिस स्पेसिज
35	तेन्दू	.. डैसपेरस टोमेनटोसा
36	धाऊ/बकली	.. एनोजैसस लेटिफोलिया
37	करधई	.. एनोजैसस पेनडुला
38	सलई	.. बौसवेलिया सेरेटा
39	ढाक/पलास/(केवल मिर्जापुर, बनारस, बांदा और झांसी जिलों के लिए)	.. ब्यूटिया मोनसपरना

अनुसूची–दो

(फल वाले वृक्ष)

[धारा 3 (दस) देखिए]

1	सेव	.. प्यूरस मेलस
2	नाशपाती	.. प्यूरस कम्यूनिस
3	आलूबुखारा	.. पूनस कम्पुनिस
4	आड़ू	.. पूनस परसिको
5	खुबानी	.. पूनस एरमैनाइका
6	लीची	.. नैफेलियम लिची
7	आम	.. मैंगीफेरा इंडिका
8	अमरूद	.. पैसीडियम गाऊबा
9	अनार	.. पुलिका ग्रेनेटम
10	शरीफा	.. एनोना स्कयूमौसा
11	सन्तरा, नारंगी, नीबू, मुसम्मी, माल्टा	. सभी तरह के सिटरस

अनुसूची–तीन

(ईंधन वाले वृक्ष)

[धारा 3 (दस) देखिए]

अनुसूची एक और दो में विनिर्दिष्ट वृक्षों से भिन्न वृक्ष।

श्री बालकृष्ण सनवाल—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूची एक, अनुसूची दो तथा अनुसूची तीन के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां रखी जायं :

अनुसूची–एक

(इमारती लकड़ी वाले वृक्ष)

[धारा 3 (ग्यारह) देखिए]

क्रम-संख्या	सामान्य नाम		वनस्पति शास्त्रानुसार नाम
1	2		3
1	अखरोट	..	जुगलैसरिजिया
2	अर्जुन	..	टर्मीनलिया अरजुन
3	आम	..	मैंगी फैरा इन्डिका
4	इमली	..	टमारिनड्स इन्डिका
5	करधई	..	ऐनोगाइसिस पैनुडुला
6	कंजू	..	होल्पटीलिया इनटैग्रिफोलिया
7	कुसुम	..	स्वाइचेरा त्रिजुगा
8	कैल	..	पाइनस एक्सलसा
9	खरशू	..	क्युरक्स सैमीकरपीफैलिया
10	खैर	..	एकेशिया कटेशू
11	गुटेल	..	ट्रीबिया नूडीफ्लोरा
12	घाऊ/विकली	..	एनोगाइसस लैटीफोलिया
13	चन्दन	..	सन्टालम एलबम
14	चमखरिक	..	करपिनस विमीनिया
15	चिरौंजी	..	बुचनैनिया लेटिफेलिया
16	चीड़	..	पाइनस राक्सवरगाई
17	जामुन	..	साइजीगम धूमिन
18	ढाक/पलास	.	ब्यूटिया मोनसपरना (केवल मिर्जापुर, वाराणसी, बांदा और झांसी जिलों के लिए)।
19	तुनी	..	सिड्रेला सैरटा
20	तून	..	सिड्रेला तूना
21	तेंदू	..	डायस पायरस टोमेनटोसा
22	देवदार	..	सीडस दिओदारा
23	नीम	..	अजैडिरेक्टा इंडिका
24	पपरी/सन्सदू/चिकड़ी	..	वोक्सस् सिमपैरविरेन्स
25	फलियोट	..	क्वेरक्स ग्लाका
26	बैकेन	..	मैलिया एजेडरेक
27	बहेड़ा	..	टर्मीनलिया वैलिरिका
28	बांज	..	क्यूरकस इनकाना
29	महुआ	..	मधुका लैटिफोलिया

क्रम-संख्या	सामान्य नाम	वनस्पति शास्त्रानुसार नाम
	2	3
30	मोरिन्डा	.. एवीज पिनडरू
31	मौरू	.. क्यूरकस डाइलेटा
32	राय	.. पीसिया मोरिन्डा
33	रियोज	.. क्वेरकस लेनीजीनोसा
34	शीशम	.. डलवजिया सिसू
35	सलई	.. वैसिवेलिया सैरेटा
36	सागौन	.. टैक्टोना ग्रेन्डिस
37	साल	.. सोरिया रोवस्टा
38	सिरिस	. ऐल्विज्जिया स्पेसिज
39	सेन/आसना	.. टर्मीनौलिया डोमेनटोसा
40	सेमल	.. सलमेलिया मैलावरिका
41	हर्र	.. टर्मीनलिया चैबुला
42	हल्दू	.. ऐडीना कार्डिफोलिया।

अनुसूची–दो
(फल वाले वृक्ष)
[धारा 3 (ग्यारह) देखिए]

1	अनार	.. पुतिका ग्रेन्टम
2	अमरूद	.. पैसीडियम डागाडवा
3	आड़ू	.. पूनस परसिको
4	आलू बुखारा	.. प्रनस कम्यूनिस
5	आम	.. मैंगीफेरा इन्डिका
6	आंवला	.. एम्बिलिका आफीसेनेल
7	कटहल	.. आरटोकारपस इन्टिग्रिफोलिया
8	खुबानी	.. पूनस एरमैनाइका
9	नाशपाती	.. प्यूरस कम्युनिस
10	नारंगी, नीबू, माल्टा मुसम्मी, सन्तरा	.. सभी तरह के सिटरस
11	लीची	.. नैफिलियम लिची
12	शरीफा	.. एनीनास्कयूमोसा
13	सेव	.. प्यूरस मेलस

अनुसूची–तीन
(ईंधन वाले वृक्ष)
[धारा 3 (ग्यारह) देखिए]

अनुसूची एक और दो में विनिर्दिष्ट वृक्षों से भिन्न वृक्ष।

श्री अजीत प्रताप सिंह—
स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—
प्रश्न यह है कि अनुसूची एक, दो तथा तीन में श्री सनवाल द्वारा प्रस्तावित उपरोक्त संशोधन स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—
प्रश्न यह है कि संशोधित अनुसूची एक, दो तथा तीन इस विधेयक की अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 1

संक्षिप्त, नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

श्री बालकृष्ण सनवाल—
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 1 के उपखंड (1) में शब्द "ग्रामीण क्षेत्र" के स्थान पर "ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र" रख दिया जाय।

श्री अजीत प्रताप सिंह—
स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—
प्रश्न यह है कि खंड 1 के उपखंड (1) में शब्द "ग्रामीण क्षेत्र" के स्थान पर "ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—
प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 1 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश में वृक्षों के निपातन और पुन : आरोपण के विनियमन की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

श्री बाल कृष्ण सनवाल—
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तावना में शब्द "उत्तर प्रदेश में" के बाद शब्द "ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में" जोड़ दिया जाय।

श्री अजीत प्रताप सिंह—
स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित प्रस्तावना में शब्द "उत्तर प्रदेश में" के बाद शब्द "ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में" जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित प्रस्तावना को इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राज बहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

अगर राजा साहब स्वीकार करें, तो मैं भी इस बिल पर कुछ संशोधन दे दूं।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

शीर्षक

उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976

(जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया। प्रवर समिति द्वारा निकाले गये अंश कोष्ठकों [ ] में हैं और बढ़ाये गये अंश अधोरेखांकित हैं।)

उत्तर प्रदेश में वृक्षों के निपातन और पुनः आरोपण के विनियमन की व्यवस्था करने के लिये

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि शीर्षक इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अजीत प्रताप सिंह—

श्रीमन्, म आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976 जैसा कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है और इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976, जैसाकि प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है और इस सदन द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत दो सूचनायें आयी हैं। इन दोनों को मैं अस्वीकृत करता हूं।

अब सप्लीमेन्टरी बजट 5 बजे पेश होगा।

[इसके पश्चात् सदन 2 बजकर 51 मिनट पर आज सायंकाल 5 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।]

(सदन का कार्य सायं 5 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुआ।)

वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुदान

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

कापियां बांटी जायं।

(प्रतियां बंटने के उपरान्त)

श्री ऊदल--

देखने में बहुत छोटा है। ऐसा लगता है कि घोटाला किया गया है। घोटाले को रेगुलराइज किया जा रहा है। मालूम होता है कि जादू की पुड़िया भरी हुयी है।

(हंसी)

वित्तीय वर्ष 1970-71 के अतिरिक्त अनुदान

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1970-71 के अतिरिक्त अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

वित्तीय वर्ष 1971-72 के अतिरिक्त अनुदान

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1971-72 के अतिरिक्त अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष --

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 3 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
8 नवम्बर, 1976।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 627 पर।)

अवशेष गन्ना मूल्य दिनांक 30 सितम्बर, 1976 के अनुसार

क्रम सं0	नाम चीनी मिल	सीजन 1975-76		सीजन 1974-75	योग
		सामान्य	बढ़ी हुई दर		
1	2	3	4	5	6
	पश्चिमी क्षेत्र—				
1	इकबालपुर	13·37	22.43	2.00	37.80
2	देवबन्द	..	37.64	..	37.64
3	लक्सर	..	26.13	3.50	29.63
4	मंसूरपुर	..	24.63	..	24.63
5	खतौली	0.09	22.01	0.27	22.37
6	शामली	0.07	50.86	..	50.93
7	दौराला	..	7.40	..	7.40
8	जसवंत	14.22	18.23	0.80	33.25
9	मोदीनगर	0.42	10. 19	..	10. 61
10	सिम्भौली	0.05	16.27	..	16.32
11	मवाना	..	8.12	..	8.12
	योग, पश्चिमी क्षेत्र ..	28.22	243.91	6.57	278. 70
	मध्य क्षेत्र—				
12	काशीपुर	11.01	18.41	..	29.42
13	बिलारी	26.63	21.85	3.30	51.78
14	रामपुर	26.00	29.55	4.20	59.75
15	सिवहारा	..	40.90	..	40.90
16	धामपुर	..	29.76	..	29.76
17	नेवली	..	20.36	..	20.36
18	बहेड़ी	1.65	16.14	..	17.79
19	पीलीभीत	..	30.85	2.60	33.45
20	रोजा	..	..	..	..
21	हरदोई	..	27.09	2.74	29.83
22	हरगांव	2.23	26.84	..	29.07
23	महोली	0.73	19.72	29.17	49.62
24	बिसवां	..	3.89	0.58	4.47
25	गोला	..	..	..	..
26	ऐरा	..	14.88	..	14.88
27	पलियाकलां	..	13.82	..	13.82
	योग, मध्य क्षेत्र ..	68.25	314.06	42.59	424.90

1	2	3	4	5	6
	पूर्वी क्षेत्र—				
28	मसोधा	..	2.29	0.55	2.84
29	शाहगंज	..	2.15	0.36	2.51
30	वभनान	6.11	3.99	0.16	10.26
31	नवाबगंज	2.70	7.23	..	9.93
32	तुलसीपुर	..	6.60	11.73	18.33
33	बलरामपुर	..	..	0.34	0.34
34	खलीलाबाद	0.01	0.62	..	0.63
35	मुंडेरवा	15.63	0.49	..	16.12
36	बस्ती	0.08	2.44	0.07	2.59
37	वाल्टरगंज	0.06	1.57	..	1.63
38	सिसवा बाजार	0.01	..	15.68	15.69
39	सरदारनगर	..	..	..	..
40	घुघली	20.41	5.73	0.04	26.18
41	आनन्दनगर	..	1.36	..	1.36
42	परतावपुर	..	..	..	..
43	वैतालपुर	..	..	0.03	0.03
44	गौरीबाजार	..	..	..	..
45	देवरिया	..	..	..	..
46	छितौनी	11.81	..	..	11.81
47	कैप्टेनगंज	..	..	..	..
48	लक्ष्मीगंज	..	..	..	..
49	रामकोला (पी)	..	..	..	..
50	पडरौना	..	..	..	..
51	कठकुइयां	—	—	—	—
52	सेवरही	6.32	—	—	6.32
	योग पूर्वी क्षेत्र ..	63–14	34–47	28–96	126–57
	चीनी निगम के अन्तर्गत—				
53	सखौतीटांडा	29–48	4–01	0–35	33–84
54	मोहिउद्दीनपुर	21–29	1–66	0–18	23–13
55	बाराबंकी	1–97	—	—	1–97
56	खड्डा	—	—	—	—
57	भटनी	—	—	—	—
58	किच्छा	21–95	22–35	—	44–30
59	पिपराइच	—	—	—	—
	योग, चीनी निगम के अन्तर्गत। ..	74–69	28–02	0–53	103–24

1	2	3	4	5	6
	डी० आई० आर० के अन्तर्गत—				
60	सहारनपुर	–	19–56	41–39	60–95
61	रोहाना	–	17–39	–	17–39
62	डोईवाला	[14–00	8–76	–	22–76
	योग, डी० आई० आर० ..	14–00	45–71	41–39	1011–10
	रिसीवरशिप—				
63	बुलन्दशहर	–	14–33	–	14–33
64	बुढ़वल	–	–	1–11	1–11
65	अमरोहा	10–93	24–04	1–09	36–06
66	रामकोला (के)	–	–	–	–
67	जरवल रोड	0–15	4–01	12–37	16–53
68	बिजनौर	5–32	13–65	18–89	37–86
69	बरेली	10–70	[13–07	22–18	45–95
	योग, रिसीवरशिप ..	27–10	69–10	55–64	151–84
	सहकारी चीनी मिल—				
70	बागपत	–	0–75	–	0–75
71	मझोली	1–91	–	–	1–91
72	सरसावा	18–84	15–40	–	34–24
73	औराई	0–48	4–47	–	4–95
74	बाजपुर	–	–	–	–
75	कायमगंज	1–15	6–10	–	7–25
76	रसड़ा	0–03	–	–	0.03
77	सठियांव	1–59	1–46	–	3.07
	योग, सहकारी चीनी मिल ..	24–00	28–20	–	52–20
	महायोग ..	299–40	763–47	175–68	1238–55

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 30 का उत्तर पीछे पृष्ठ 635 पर ।)

तालिका

क्रम संख्या	पुलिस अधीक्षक का नाम	लखनऊ में नियुक्ति की तिथि	सरकारी आवास आबंटित हैं या नहीं
1	2	3	4
1	श्री जमुना नरायन अवस्थी, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष अपराध।	.. 27-4-1976	नहीं
2	श्री राधे श्याम, पुलिस अधीक्षक, विशेष जांच।	.. 2-9-1976	नहीं
3	श्री श्रीराम अरुण, पुलिस अधीक्षक, अभिसूचना।	.. 5-8-1975	नहीं
4	श्री महेश चन्द्र द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक, अभिसूचना विभाग।	.. 8-7-1976	नहीं
5	श्री बी0 के0 सिंह, पुलिस अधीक्षक, अपराध अनुसन्धान विभाग।	.. 10-7-1976	नहीं
6	श्री आर0 पी0 दुबे, पुलिस अधीक्षक, अपराध अनुसन्धान विभाग।	.. 3-2-1973	नहीं
7	श्री के0 डी0 दीक्षित, पुलिस अधीक्षक, अपराध अनुसन्धान विभाग।	.. 2-8-1976	नहीं
8	श्री पी0 डी0 रतूरी, सेनानायक, 32वीं वाहिनी, पी0ए0सी0, लखनऊ।	.. 1-5-1976	नहीं
9	श्री मोहम्मद शफी, राज्य अग्निशमन अधिकारी।	.. 10-8-1976	नहीं

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 48 का उत्तर पीछे पृष्ठ 641 पर।)

दिनांक 28 जुलाई, 1976 की घटना

वादी श्री ईश्वर चन्द्र श्रीवास्तव, निवासी मुहल्ला अलीनगर, उत्तरी थाना कोतवाली, गोरखपुर ने थाना कोतवाली में दिनांक 28 जुलाई, 1976 को 17.20 बजे टेलीफोन द्वारा सूचित किया कि 5 मिनट पूर्व मुहल्ला दिलेजाकपुर में कुछ आदमियों ने तीन आदमियों को गोली मार दी है जो वहां पड़े हैं, कार्यवाही की जाय।

दिनांक 31 जुलाई, 1976 की घटना

वादी श्री देव लाल राय, निवासी मौजा राय फ्लावर मिल्स, मोहदीपुर चारों फाटक, थाना कैंट गोरखपुर ने थाना कैंट, गोरखपुर पर दिनांक 31 जुलाई, 1976 को समय 19.50 बजे 10 नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे स्टेडियम में उसी दिन हुए झगड़े को लेकर एक दूसरे पर ढेलाबाजी करने, बन्दूक से गोली चलाने, दोनों पार्टियों के लोगों को चोटें आने की सम्भावना होने के बारे में लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की।

दिनांक 27 अगस्त, 1976 की घटना

वादी श्री मृत्युंजय चौबे, निवासी ग्राम कमलसागर, थाना मधुवन, आजमगढ़ ने थाना केन्ट, गोरखपुर पर दिनांक 27 अगस्त, 1976 को 20.45 बजे 4 नामजद व 3 अज्ञात लोगों के विरुद्ध सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेके के मामले को लेकर दुश्मनी से गोली चलाने, वादी तथा एक अन्य व्यक्ति को चोटें आने के बारे में लिखित रिपोर्ट भेजी। मृत्युंजय चौबे को गंभीर चोट के कारण अस्पताल में मृत्यु हो गई।

प्रथम घटना के सम्बन्ध में टेलीफोन पर रिपोर्ट प्राप्त होते ही थाने पर धारा 307 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत एक मुकदमा उसी दिन कायम करके विवेचना प्रारम्भ की गई। घटना में गिरीश पाल नामक घायल व्यक्ति की दिनांक 2 अगस्त, 1976 को अस्पताल में मृत्यु हो जाने पर मुकदमा धारा 147/148/149/302/307 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित किया गया। विवेचना के उपरान्त तीनों नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया गया। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

दूसरी घटना के सम्बन्ध में थाने में सूचना प्राप्त होने पर थाने पर धारा 147/148/149/307 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत मुकदमा कायम करके उसी दिन विवेचना प्रारम्भ की गई जो प्रचलित है। इस घटना में न तो किसी की मृत्यु हुई, न कोई घायल हुआ।

तीसरी घटना के सम्बन्ध में थाने पर सूचना प्राप्त होने पर धारा 147/148/149/307 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत मुकदमा कायम करके उसी दिन विवेचना प्रारम्भ की गई। 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। विवेचना प्रचलित है।

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 643 पर।)

31 मई, 1976 तक लोक सेवा अधिकरणों में दायर किए गए मामलों की स्थिति

अधिकरण का नाम	शासन से सम्बन्धित				गैर सरकारी विभागों से सम्बन्धित			
	प्राप्त	निर्णीत	पक्ष में	विरुद्ध	प्राप्त	निर्णीत	पक्ष में	विरुद्ध
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(1) लोक सेवा अधिकरण–1	388	21	15	6	73	3	3	..
(2) लोक सेवा अधिकरण–2	512	*29	22	5	89	13	12	1
योग ..	900	50	37	11	162	16	15	1

*2 याचिकायें वादी को लौटा दी गईं।

नत्थी 'ङ'।

(देखिये पीछे पृष्ठ 651 पर।)

प्रेषक—राघवेन्द्र सिंह,
सदस्य, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

प्रेषित —
माननीय अध्यक्ष,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दिनांक 28 अक्तूबर, 1976

महोदय,

मैं मीसा के अन्तर्गत दिनांक 9 अगस्त, 1975 से निरुद्ध हूं और इस समय आदर्श कारागार, लखनऊ में हूं। 1975 के मेरी निरुद्धि काल में जो विधान सभा का सत्र हुआ उसके सभी उपवेशनों में मैं अनुपस्थित रहा। अब 1976 के इस चालू सत्र में भी उपवेशनों में अनुपस्थित रहूंगा। इसमें मेरी विवशता है। (× × ×) इच्छा होते हुए भी उपस्थित नहीं हो सकता हूं। अतएव विनम्र निवेदन है कि वर्तमान सत्र के उपवेशनों के पूर्ण काल के लिए मुझे अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की जाए और उपस्थिति से मुझे मुक्त करने अथवा अवकाश स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

भवदीय,
राघवेन्द्र सिंह,
एम० एल० ए०।

नत्थी 'च'

(देखिए पीछे पृष्ठ 651 पर।)

जिला कारागार,
बुलन्दशहर,
दिनांक 29 अक्तूबर, 1976

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष महोदय,
विधान सभा, लखनऊ (उ0 प्र0)
द्वारा:--जिलाधीश महोदय, बुलन्दशहर।

महोदय,

सूचनार्थ है कि मैं दिनांक 28 सितम्बर, 1976 से जिला कारागार, बुलन्दशहर में मीसा के अन्तर्गत बन्दी बना लिया गया हूं। चूंकि 1 नवम्बर सन् 1976 से विधान सभा का शीतकालीन अधिवेशन होने जा रहा है ऐसी परिस्थिति में मेरा सत्र में भाग लेना असम्भव है।

अत: प्रार्थना है कि एक नवम्बर से प्रारम्भ होने वाले सत्र से मुझे अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान करें तथा की गई कार्यवाही से मुझे भी अवगत करायें।

धन्यवाद।

भवदीय,
एदल सिंह,
एम0 एल0 ए0।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 658 पर।)

खाद्य अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम खाद्य अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 1 अप्रैल, 1976 से प्रवृत्त समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 47, 1975 के कतिपय उपबन्धों का निकाला जाना।

2—खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 6 में, खन्ड (1), (2), (3) और (5) एतद्द्वारा निकाले जाते हैं।

विधान परिषद

उद्देश्य और कारण

खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री के अपमिश्रण से सम्बन्धित अपराधों के लिए प्रतिरोधक दन्ड की व्यवस्था करने के निमित्त, खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1974 पारित किया गया था। इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति की सहमति से भारतीय दन्ड संहिता, 1860 ; दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973; औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में कतिपय संशोधन किए गए थे।

2--खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में किए गए मुख्य संशोधन निम्नलिखित आशय के थे:--

(क) केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से राज्य स्तर पर खाद्य प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए शक्ति प्राप्त की गयी थी ;

(ख) धारा 16 के अधीन दण्ड को बढ़ाकर आजीवन कारावास कर दिया गया था;

(ग) इस बात को साबित करने का भार कि अभिगृहीत वस्तु अपमिश्रित या मिथ्या छाप वाली नहीं है, उस व्यक्ति पर डाला गया था जिसके कब्जे से ऐसी वस्तु अभिगृहीत की जाय ; और

(घ) अपराध को संज्ञेय और अजमानतीय बनाया गया था।

3--तत्पश्चात् उपर्युक्त (क), (ख) और (घ) को कतिपय छोटे-मोटे परिवर्तनों के साथ अंगीकृत करके संसद ने स्वयं विधि में संशोधन किया। अतएव, यह प्रस्ताव है कि उपर्युक्त (क), (ख) और (घ) के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश संशोधनों को, जो निरर्थक हो गए ह, 1 अप्रैल, 1976 से, जब से केन्द्रीय अधिनियम प्रवृत्त हुआ, औपचारिक रूप से निरसित किया जाय।

तदनुसार यह विधेयक पुर:स्थापित किया जाता है।

प्रभु नारायण सिंह,
स्वास्थ्य मन्त्री।

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ 658 पर।)

उत्तर प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण (पथ-कर) विधेयक, 1976

पथ-कर का उद्ग्रहण करने हेतु विकास प्राधिकरण को शक्ति प्रदान करने, और पहले से उद्ग्रहीत पथ-कर को विधिमान्य करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है: —

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण (पथ-कर) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा यथा पुन: अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, 1973 की धारा 20 का संशोधन।

2—उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 20 में, उपधारा (1) में, खन्ड (ग) में, शब्द "फीसें और प्रभार" के स्थान पर शब्द "फीस पथ-कर और प्रभार" रख दिए जायेंगे।

धारा 39-क का बढ़ाया जाना।

3—मूल अधिनियम की धारा 39 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :—

सुख-सुविधा के लिए पथ-कर

"39-क—प्राधिकरण अपने विकास क्षेत्र के भीतर इस प्रकार अधिसूचित लोक प्रिय समागमन स्थान के (जिसमें कोई प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक सम्मिलित है) पहुंच मार्ग के लिए और अन्य सुख-सुविधा के उपयोग के लिए ऐसी दर पर और ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा अधि-सूचित की जाय, पथ-कर लगाने और परिदर्शकों से संग्रह करने का हकदार होगा :

परन्तु—

(क) पथ-कर की दर प्रति परिदर्शक दो रुपए से अधिक न होगी ;

(ख) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी वर्ग या वर्गों के परिदर्शकों को पथ-कर देने से छूट दे सकती है और ऐसा या ऐसे दिन नियत कर सकती है जब कोई पथ-कर नहीं लगाया जायगा।"

पहले से किए गए संग्रह का वैधीकरण।

4—(1) इस अधिनियम द्वारा बढ़ायी गयी मूल अधिनियम की धारा 39-क में निर्दिष्ट किसी लोकप्रिय समागम स्थान के किसी परिदर्शक से इस

अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व प्राधिकरण द्वारा किए गए किसी संग्रह को इस अधिनियम द्वारा बढ़ायी गयी मूल अधिनियम की धारा 39-क के अधीन किया गया संग्रह समझा जायगा और उसे विधिमान्य समझा जायगा और वह सदैव विधिमान्य रहेगा।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ, यदि संग्रह राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अनुमोदित दर से किया गया हो तो यह समझा जायगा कि उक्त धारा 39-क के अनुसार राज्य सरकार द्वारा इस आशय की आवश्यक अधिसूचनायें इस प्रकार जारी की गयी थी, मानों उक्त धारा सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थीं।

सत्यमेव जयते

उद्देश्य और कारण

इस राज्य में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन अधिसूचित विकास क्षेत्रों में अनेक समागम स्थान हैं जिनमें प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक भी सम्मिलित हैं। भारत के विभिन्न स्थानों और विदेश से अनेक पर्यटक ऐसे समागम स्थानों को देखने के लिए आते हैं। जिन नगरों में ऐसे समागम स्थान स्थित हैं, उनकी सड़कों को चौड़ा करके, अपेक्षित सुविधाओं की व्यवस्था करके और आस-पास के क्षत्रों का सौन्दर्यीकरण करके, विकास करना आवश्यक हो गया है । उपर्युक्त कार्यकलाप को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक संसोधन जुटाने की दृष्टि से यह आवश्यक समझा गया है कि उपर्युक्त अधिनियम के अधीन गठित विकास प्राधिकारी को प्रति परिदर्शक से पहुंच-मार्ग और अन्य सुख-सुविधाओं का उपयोग करने के लिए दो रुपए से अनधिक पथ-कर लेने और संग्रह करने के लिए सशक्त किया जाय । यह भी प्रस्ताव है कि प्राधिकारी द्वारा किसी भी लोकप्रिय समागम स्थान के किसी परिदर्शक से अब तक किए गए संग्रह को विधिमान्य बनाया जाय।

2--तदनुसार उपर्युक्त अधिनियम का संशोधन करने के लिए यह विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है।

शिव प्रसाद सिंह,
पर्यटन मन्त्री।

विधान परिषद

पी0एस0यू0पी0--एल0 224 वि0 सभा--(510)--1977--840 I